खण्ड-216, अंक-3
बुधवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(31 अगस्त, 1960 ई0)

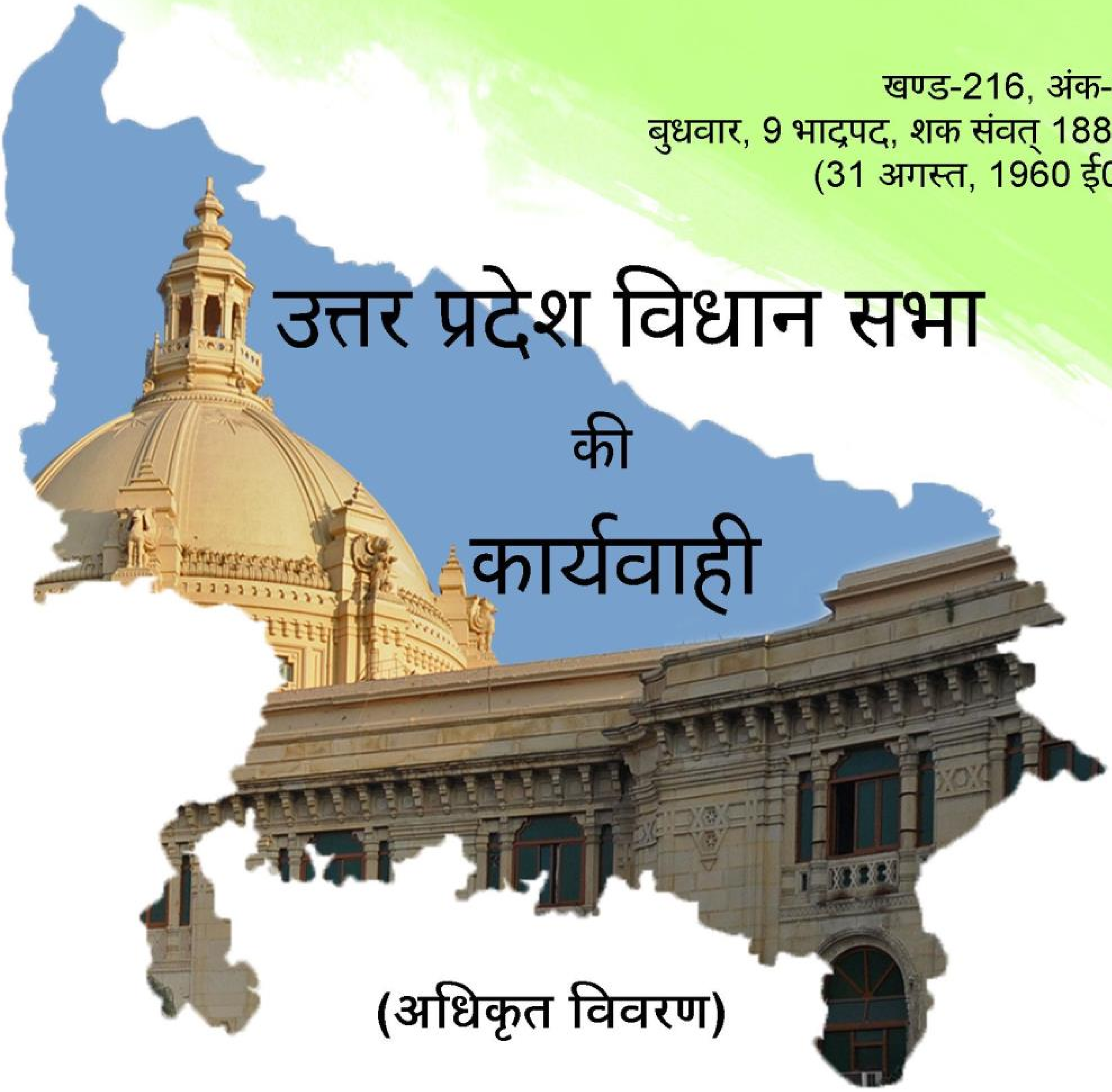

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरभलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ना उत्पादकों के अवशेष मूल्य का भुगतान

****१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि गन्ने का डेफर्ड पेमेंट मिलों की मर्जी पर नहीं बल्कि (statutory) व्यवस्था शूगर पालिसी में भारत सरकार ने कर दी है ? यदि हां, तो किस वर्ष से, और उन वर्षों में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को यह रकम न मिलने का क्या कारण है ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। १९५८-५९ से। किन्तु किस हिसाब और किस दर से गन्ना किसानों को यह अतिरिक्त मूल्य मिलेगा, ऐसा कोई शेड्यूल अभी तक केन्द्रीय सरकार ने विज्ञापित नहीं किया है।

****२—श्री गेंदासिंह तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त डेफर्ड पेमेंट के फार्मूला में परिवर्तन करने का भी अधिकार राज्य सरकार को मिला हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, लेकिन केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से। राज्य सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा एक सात सदस्यों की समिति नियुक्त की गई है जो इस सम्बन्ध में एक उचित फार्मूला बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से इस शेड्यूल को बनाने के लिये, इतनी बड़ी रकम जो करीब १० करोड़ रुपये के है, जो किसानों को मिलने वाली है, उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्रयत्न किया है और वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिवा चिट्ठी-पत्री लिखने के और कोई चीज हम कर नहीं सकते हैं। वह हम बराबर करते रहते हैं। हमने यह भी उनसे कहा है कि पुराना फार्मूला तो आप पीछे का करते रहें लेकिन भविष्य के लिये जो हमने एक सरल फार्मूला बनाया है उसको ही मान लीजिये। लेकिन वे दोनों में से एक बात अभी तय नहीं कर पाये हैं।

श्री गेंदासिंह—भारत सरकार किसी भी हालत में हमारी बात और स्टेट गवर्नमेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई प्रस्ताव हम लोगों के सामने (विधान सभा के सामने) रखने की कृपा करेंगे जिससे किसानों को रुपया दिलाया जा सके, जैसा कि बम्बई की सरकार ने कराया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसमें थोड़ी-सी दिक्कत यह हो रही है कि यह जो फार्मूला है जिसे हम सरल फार्मूला कहते हैं, उसके ऊपर विचार करने की जो मीटिंग बुलायी गयी उसमें बिहार के प्रतिनिधि आये नहीं, नहीं तो वह फार्मूला यदि बन गया होता तो ज्यादा जोर के साथ हम दबाव डाल सकते। उनका कहना यह है कि अगर आप कोई दूसरा फार्मूला निकाल सकें तो उस पर हम अपनी स्वीकृति दे देंगे और उसको आप चालू कर सकते हैं। आशा ऐसी की जाती है कि बिहार वाले भी जल्दी राजी हो जायेंगे और उसके बाद हम इसको जोरों के साथ कर सकेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किसानों को जो रकम मिलने वाली है वह कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि शायद इसको कोई नहीं बतला सकता।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समिति की चर्चा उनके उत्तर में है, उस समिति को बने हुए कितने दिन हो गये और इसकी मीटिंग बुलाने के कितने प्रयास हुए और उसकी कोई मीटिंग हुई भी या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह समिति बनी थी नवम्बर, १९५८ में और यह कि उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ हुई जिसमें कि फार्मूला निकला लेकिन उस फार्मूले का अन्तिम रूप निकालने के लिये उसकी मीटिंग नहीं हो सकी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार के सुझाव को स्वीकार करने में भारत सरकार को क्या आपत्ति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई कठिनाई किसी के दिल में हो वह तो मैं नहीं जानता लेकिन अभी अन्तिम फार्मूला नहीं रखा गया है क्योंकि उसको अन्तिम रूप देने में अभी कुछ देर है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—यह जो गत २ साल से कोई फार्मूला नहीं बना है और अभी यह भी निश्चित नहीं है कि कितना समय लगेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भी यह फार्मूला बन सकेगा तब १९५८ से अब तक का जो बकाया है वह सब उनको दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह १९५८ से ही नहीं बल्कि १९५३-५४ तक का दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो फार्मूला उन्होंने तजवीज किया है वह क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो फार्मूला हमने तजवीज किया है वह यह है कि

$$\frac{X}{100} - X \times S - \frac{F}{C}$$

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो फार्मूला बना है उसका आधार क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैं बता सकता हूं कि X, F और C का मतलब क्या है, बाकी विशेषज्ञों ने सभी दृष्टि से इसको देखा होगा।

श्री गेंदासिंह—यह जो फार्मूला माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है, क्या विभाग ने इसकी जानकारी कराई है कि किसानों को प्रति मन कितना रुपया मिल जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतना ही कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के फार्मूले में जरूर कुछ ज्यादा मिल जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के फार्मूले में क्या अन्तर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारत सरकार का फार्मूला है— $\frac{X}{100}\left(\frac{D\times T\times C\times S}{M}\right)-5$

श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—मुख्य मन्त्री जी इसे जरा हिन्दी में समझावें ।

श्री अध्यक्ष—जो फार्मूला है वह उन्होंने बता दिया, डिटेल तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने बताया कि बम्बई की सरकार ने एक फार्मूला बनाकर और भारत सरकार से रुपया लेकर किसानों को दिलवा दिया तो वहां की बात को जांच करके उसी तरह का फार्मूला यहां की सरकार भी बनाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में अक्सर यहां जो काम होता है वह यू० पी० और बिहार सरकार का मिलकर होता है, कई साल से किसानों और सरकार के दृष्टिकोण से जो काम होता है वह उन दोनों की राय और गन्ना उत्पादकों की राय से होता है लेकिन यह जो विशेषज्ञ हैं सरकार के, गन्ना उत्पादकों के और शकर बनाने वालों के उनका यह खयाल है कि हमारा जो नया फार्मूला बना है वह बम्बई से भी बहुत अच्छा है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिलों के ऊपर जो रुपया बाकी है उनमें से किसी पर भी कोई फार्मूला एप्लाई किया जाय और किसानों को उनका रुपया मिल जाय इसके लिये क्या कोई ऐसा कदम उठाया गया है कि उनका वह रुपया लाजमी तौर से दिलाया जा सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दुनिया के काम भरोसे पर ही होते हैं और यही समझ कर चला जाता है कि वह ईमानदार हैं ।

गांव सभाओं की सीमा में परिवर्तन सम्बन्धी आदेश

**३—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संचालक पंचायत राज ने अप्रैल सन् १९६० में कोई ऐसा आदेश निकाला है जिसके अनुसार १९६१ में होने वाली जन-गणना से पूर्व ग्राम पंचायतों की सीमाओं में कोई परिवर्तन न किया जायगा ?

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—जी हां, परन्तु अब निदेशक ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि आवश्यकता के अनुसार गांव सभाओं की सीमा में जनगणना से पूर्व भी परिवर्तन किया जा सकता है ।

**४—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन मन्त्री उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—दोनों आदेशों की †प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भ में जो आदेश निकाले गये, उस का क्या कारण था ?

---

*प्रतियां छापी नहीं गयीं ।

श्री जयराम वर्मा—बात यह थी कि जन-गणना जो हो रही है उसके काम में उससे कुछ अड़चन पड़ेगी ऐसा खयाल था, इसलिये उस तरह का आदेश जारी किया गया था ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी पुनः ऐसा आदेश निकालने की कृपा करेंगे कि संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया जाय कि शीघ्रातिशीघ्र जहां पर ग्राम पंचायतों में सीमा परिवर्तन की बात है उसको कर दें जिससे कि चुनाव होने में सुविधा हो सके ?

श्री जयराम वर्मा—परिवर्तन के बारे में सुझाव तो मांगे गये हैं ३० सितम्बर तक और उनके अनुसार कार्यवाही जल्दी ही की जायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो आदेश मंत्री जी ने निकाले हैं उनमें क्या यह आदेश भी है कि सीमा परिवर्तन इस प्रकार हो कि जो विस्थापित परिवार पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं, उनकी नई ग्राम सभायें बनाई जा सकें ?

श्री जयराम वर्मा—हिदायत यह है कि जहां आबादी घटी है, बढ़ी है, या गैर-आबादी जमीन के जोतने वाले किसी ऐसे गांव में रहते हैं जिसमें गैर-आबाद को शामिल नहीं किया है, तो उसके हिसाब से वह भेजें, उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—कुछ गांव पहले ग्राम पंचायतों से विभक्त कर दिये गये थे और फिर गांव वालों ने दरख्वास्त दी कि हम उसी पंचायत में रहना चाहते हैं, उन्हें भी मिलाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो सुझाव मांगे गये हैं, मैरिट्स पर विचार किया जायगा ।

बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के सदस्यों का नामांकन

**५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बद्रीनाथ टेम्पुल एक्ट के अनुसार टेहरी-गढ़वाल जिले से बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के लिये सदस्यों का नामांकन इस वर्ष बनायी गयी नयी कमेटी हेतु अब तक क्यों नहीं हो सका है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां, नामांकन हो गया है

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह नामांकन कब हुआ और किन सदस्यों को नामांकित किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—७ जुलाई, १९६० को नामांकन हुआ । जिन सदस्यों का नामांकन किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं श्री त्रिलोकीसिंह, एम०एल०ए०, श्री गोविंद प्रसाद नौटियाल जर्नलिस्ट, नन्द प्रयाग । महाराजा टेहरी के द्वारा जो लोग नामांकित किये गये वे हैं श्री सी० एस०भटनागर, भटनागरऐण्ड को०, ६० रीगल बिल्डिंग, कनाट सरकस, नई दिल्ली, और श्री जिया लाल वर्मा, ५१६ वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली । और बाकी लोग तो यहां से चुने गये थे । इसके अलावा श्री जगन्नाथ आचार्य, एम० एल० सी०, गोरखपुर और स्वामी नित्यानन्द, नैनीताल, हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इनमें टेहरी-गढ़वाल के महाराजा साहब के कौन नामांकित व्यक्ति हैं ?

श्री अध्यक्ष—अभी बतला दिया है उन्होंने ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस कमेटी के लिये नामांकन करने के कौन से आधार बनाय गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बद्री नाथ टेम्पिल ऐक्ट में धारा ५ है। धारा ५ के (१) में कुछ लोग नामांकित किये जाते हैं और फिर २ व्यक्ति अलग से नामांकित होते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जो व्यक्ति नामांकित किये गये हैं उनकी अवधि कितने दिनों की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तीन वर्ष ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---कुल कितने सदस्य नामांकित किये जाते हैं और कितनों का नामांकन सरकार करती है तथा कितनों का टेहरी के राजा साहब ?

श्री अध्यक्ष---यह तो ऐक्ट के अनुसार है, वह आपको पढ़ लेना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---मंत्री जी बतायेंगे कि बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी में अब तक महिला सदस्य का नामांकन क्यों नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---शायद बद्रीनाथ तक जाने में बार-बार कठिनाई हो इसलिये।

श्री अध्यक्ष---लेकिन शायद तादाद में महिलायें ही ज्यादा जाती हों।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह कोई आवश्यक भी नहीं है कि कोई महिला नामांकित की ही जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मंत्री जी ने कहा कि आवश्यक नहीं है कोई महिला नामांकित की जाय। क्या यह आवश्यक है कि कोई महिला नामांकित न की जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह भी आवश्यक नहीं है ।

चौक, लखनऊ, से 'सिल्वर रिफाइनरीज' हटाने की प्रार्थना

६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास लखनऊ शहर के चौक वार्ड के निवासियों का एक सामहिक प्रार्थना-पत्र आया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि उक्त क्षेत्र में दो "सिल्वर रिफाइनरीज" को, जिनके प्रतिष्ठान से रोजाना 'नाइट्रिक एसिड' का बहुत अधिक प्रयोग होने के फलस्वरूप प्राणघातक धुआं निकलता रहता है, अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, वह प्रार्थना-पत्र मुख्य नगर अधिकारी, नगरमहापालिका, लखनऊ, को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि इसके बारे में जांच करके शीघ्र रिपोर्ट दें। उनकी रिपोर्ट का इन्तजार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि जब यह ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में था तब भी यह शिकायत आयी थी ? उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा---प्रश्न तो हाल की शिकायत के बारे में पूछा गया है और उसी की जानकारी है। इसके पहले कोई और शिकायत आयी, उसकी जानकारी नहीं है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस बात को देखते हुये कि लखनऊ शहर के इतने बड़े हिस्से की जनता संकट में है और इस प्राणघातक धुयें का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या ऐसी कृपा मंत्री जी करेंगे कि वह रिपोर्ट १ हफ्ते के अन्दर आ जाय ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जहां चुनी हुई नगरपालिकायें हैं उनका मुख्यतः यह कार्य है, और सवाल है। बाकी हम भी देखेंगे। लेकिन प्राइमरी ड्यूटी उन्हीं की है और उनसे ही कहना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन सदस्यगण तो उनसे कहेंगे नहीं। आपसे ही कहेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मंत्री जी बतायेंगे कि राजधानी के भीतर ऐसा वायु-मंडल दा हो रहा है जो प्राणघातक हो रहा है तो इन्क्वायरी की आवश्यकता क्या है, क्यों नहीं, शीघ्र ऐक्शन लिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---दुर्भाग्य है कि स्वायत्त शासन का सबसे पहला काम यह है कि जनता को अधिकार दिये जायं ताकि वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मांगी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसे आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही नहीं है कि जब अधिकार कारपोरेशन को दिये गये उसके पहले स्वायत्त शासन पूरे तौर से लखनऊ का सरकार के हाथ में था और उसी समय से यह प्राणघातक गैस निकल रही है और वह उसकी रेमेडी नहीं कर सके ?

श्री जयराम वर्मा---मैंने तो बताया कि पहली शिकायत के बारे में इस समय कोई जानकारी नहीं है।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी बतायेंगे कि विभागीय अधिकारियों के पास रिपोर्ट के लिये कब लोगों की दरख्वास्त भेजी गई ?

श्री जयराम वर्मा---यह दरख्वास्त १८ अगस्त को मिली है और उसी रोज जांच के लिये भेजी गई।

सहकारी खेती की रूप-रेखा

***७---श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 'सहकारी खेती' की कोई रूप-रेखा अभी तक निश्चित की गई है अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रूपरेखा के मुख्यांशों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

सहकारिता उपमन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---जी हां। इसकी रूपरेखा के मुख्य अंग निम्नलिखित है :---

(१) सहकारी कृषि समिति कम से कम १० व्यक्ति जिनके पास कम से कम ३० एकड़ भूमि हो, वही बना सकते हैं।

(२) समिति को कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबंधीकरण कराना चाहिये।

(३) सहकारी कृषि समिति का निबंधीकरण होने के पश्चात् हर एक सदस्य को अपनी भूमि समिति को सौंप देनी होगी।

(४) भूमि का कृषिकरण समिति ही करेगी और उसका लगान अथवा मालगुजारी भी वही देगी, परन्तु सदस्यों की मिलिकियत बरकरार रहेगी।

(५) समिति का प्रबंध कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट तथा उसके अन्तर्गत बनाये हुये नियमों के अनुसार होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मंत्री जी बतायेंगे कि सहकारी खेती सम्बन्धी जो नीति बनायी गई यह कब बनायी गई और क्या यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई है या प्रादेशिक सरकार ने ही बनायी है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जो अब तक बातें हुई हैं वे इसी प्रदेश की सरकार द्वारा बनाये हुये नियम तथा उप-नियम हैं उनके अनुसार चल रही हैं और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिजलिंगप्पा। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट पर मिनिस्टर्स कांफ्रेंस, श्रीनगर में, बातचीत हुई थी और वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के विचाराधीन है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया बहुत शीघ्र ही उस पर फैसला करके हम लोगों को बतलायेंगी कि उनका फैसला क्या है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो नियम बनाये गये हैं सहकारी कृषि सम्बन्धी उनमें यह कि कम से कम १० व्यक्ति हों और उनके पास ३० एकड़ भूमि हो वही सहकारी कृषि समिति बना सकते हैं, इस नीति के अनुसार जो ३० एकड़ से कम के काश्तकार हैं वे सरकारी खेती कैसे कर सकेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम—१० सदस्यों का नियम तो कानून में है कि १० सदस्यों से कम की सहकारी समिति नहीं बन सकती। दूसरे ३० एकड़ तक जमीन हो, तब सहकारी समिति रजिस्टर होती है। एक चीज यह देखनी पड़ती है कि वह सफल हो। अगर यह मालूम हो कि यह सहकारी समिति सफल नहीं होगी तो उसको रजिस्टर नहीं होना चाहिये। ३० एकड़ से कम में अगर कोआपरेटिव फार्मिंग होगी तो यह माना गया है कि वह सफल नहीं हो सकेगी। लेकिन यह बात भी विचाराधीन है और कुछ सुझाव उसे कम करने के भी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जो रिजियन हैं जैसे, बुन्देलखंड तथा कुमायूं, उनकी अलग अलग स्थिति देखते हुये प्रदेश में सहकारी खेती के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के लिये अलग से कमेटी बनायेंगे जिससे वैज्ञानिक विश्लेषण हो सके और सहकारी खेती हो सके ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस माननीय सदन के लिये पहला मौका होगा जब कोआपरेटिव सोसायटी बिल आयेगा, उसमें इन सब चीजों पर विवाद होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में किस तरह से सहकारी खेती हो, यह प्रश्न नियमों का है। हमारी सूचना तो यह है कि कम से कम कितनी जमीन हो जिससे एक सफल सहकारी खेती बन सके। सहकारी खेती के जो अल्फाज प्रयोग किये हैं तिवारी जी ने उनके मानी हैं सहकारी संयुक्त खेती। कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटी हो सकती है बेटर फार्मिग सोसायटी जिसमें साधन जुटाये जाते हैं। इस समय ज्वाइंट फार्मिग सोसायटी को मान कर उत्तर दिया गया है। देखना यह होगा कि कम से कम कितनी जमीन पर एक खेती कामयाब हो सकती है। उसके आगे ज्यादा हो तो कोई एतराज नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—वर्तमान रूपरेखा के अनुसार जो लगान और मालगुजारी की अदायगी की जिम्मेवारी सहकारी समिति पर डाली गयी है उसकी वसूलयाबी उसके हर एक मेम्बर से अलग-अलग की जा सकेगी सामूहिकरूप से ?

श्री मोहनलाल गौतम—जब ज्वाइंट फार्मिग सोसायटी के लिये लोग इकट्ठा हुये तो उन्होंने अपनी जमीन भी फार्मिग के लिये इकट्ठा दे दी थी और उन्हीं का इन्तजाम है। चूंकि जमीन उसकी है तो जो पैदावार होती है वह सोसाइटी के पास आती है, व्यक्ति के पास नहीं आती। इसलिये उस पैदावार में से लगान या मालगुजारी की अदायगी की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से है लेकिन कोई ऐसा मौका आ जाय कि अदा न हो सके तो व्यक्ति की असल जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।

श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार सहकारी खेती के प्रश्न को इनीशियेटिव देने के लिये कोई घोषणा करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इनीशियेटिव यही होगा कि लोगों को यह मालूम हो कि मिल कर खेती करने से फायदा होगा। थोड़ी सी रकम उनको अनुदान के रूप में देने से वह खेती कामयाब नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सहकारी खेती लोग मिल कर करें और यह साबित हो सके कि अलग-अलग करने से मिल कर खेती करने से अधिक लाभ है। जब तक यह साबित नहीं होगा तब तक सहकारी खेती सफल नहीं हो सकती।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—जमींदारी एबोलिशन में सहकारी खेती की जो रूपरेखा है और मंत्री जी ने जो आज बतलाई उसमें क्या भिन्नता है?

श्री अध्यक्ष—वह तो आपको खुद देख लेना चाहिये, मंत्री जी से पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या इस वक्त दिक्कत माननीय सहकारिता मंत्री को सहकारी खेती कराने में यह है कि अभी उनकी फेहरिस्त तैयार हो रही है और उनके विश्वास के लोग उनमें नामजद करने के लिये पूरे नहीं हो पाये हैं, इसलिये काम आगे नहीं बढ़ रहा है?

श्री मोहनलाल गौतम—ये जितनी बातें मान कर गेंदासिंह जी ने प्रश्न किया वे सब गलत हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में बतलाया कि मालगुजारी समिति से वसूल की जायगी और मालिकाना रहेगा जो उसमें शरीक होंगे उनका, तो जो मालगुजारी वसूल की जायगी वह कागजात में किस खाने में इन्दराज की जायगी, समिति के नाम होगी या अलग-अलग सदस्यों के नाम से दर्ज की जायगी?

श्री मोहनलाल गौतम—यह ऐसा कानूनी प्रश्न है कि इसको जरा मुझे पूछना पड़ेगा कि उसका लीगल ऐस्पेक्ट क्या होगा। वैसे सामूहिक रूप से जिम्मेदारी तो है, इतना तो मैं जानता हूं लेकिन व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी, इसको जरा पूछना पड़ेगा।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सहकारी खेती में प्रगति तब होगी जब लोगों को उसमें फायदा नजर आयेगा। तो सरकार की ओर से सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या विचार किया है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जैसा कि माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा, जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में भी कुछ सुविधायें देने का सरकार ने उस समय निश्चय किया था। अलावा उसके सरकार अब भी आगे लगान में, मालगुजारी में, आबपाशी में, कर्ज में और बीज और खाद के दिये जाने में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय मंत्री ने बताया कि दस व्यक्तियों को मिला कर कम से कम ३० एकड़ भूमि की सहकारी खेती रजिस्टर्ड हो सकेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें सरकार की ओर से भी कोई कर्मचारी रखे जायेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस बात को देखते हुये कि उत्पादन वृद्धि के हेतु सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सहकारी खेती, का माननीय मंत्री जी कोई समिति बनायेंगे जो इस बात की जांच करे कि हमारे यहां के लिये सबसे अच्छा कौन-सा तरीका है, कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग का या सहकारी वेटर फार्मिंग का?

श्री मोहन लाल गौतम—जहां तक वेटर फार्मिंग सोसायटीज का सम्बन्ध है वह और जो सर्विस कोआपरेटिव्ज की आजकल पालिसी है, इनमें कोई भेद नहीं है। सर्विस कोआपरेटिव्ज वेटर फार्मिंग सोसायटीज का ही एक रूप है। देश में कोई व्यक्ति या दल ऐसा नहीं है

जो यह कहने को तैयार हो कि किसानों को उनकी पैदावार बढ़ाने के लिये साधन न जुटाये जायं। इसलिये उसमें तो तेजी से काम हो रहा है और उसके लिये किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। पिछले साल हमने दस हजार सर्विस कोआपरेटिव्ज बनायीं और इस साल भी पांच हजार बनाने का लक्ष्य है। लेकिन सवाल उसमें यह है कि प्राइमरी सोसायटी का साइज क्या हो। नशनल डेवलेपमेन्ट कौंसिल ने यह फैसला किया था कि एक एक गांव के आधार पर यह हों और अगर बहुत छोटे गांव हों तो दूसरे गांव मिलाये जायं लेकिन कुल आबादी एक हजार से ज्यादा न हो। उसमें कुछ समस्यायें उत्पन्न हुईं और एक समिति बकुन्ठ भाई मेहता की अध्यक्षता में बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी जो इस वक्त गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के विचाराधीन है। दोनों में मुख्य भेद यह है कि एक गांव की सोसायटी बनायी जाय या एक हजार आबादी के दो-तीन गांवों की बनायी जाय और अगर वह अपना खर्चा खुद निकाल सके तो क्या हो। कमेटी की रिपोर्ट यह थी कि ऐसी सोसायटी बनायी जाय जो अपना खर्चा चला सके और उनकी राय में तीन हजार से लेकर चार हजार तक आबादी जरूर हो। यह प्रश्न कि एक हजार की आबादी हो या ऐसी इवल सोसायटीज बनायी जायं जो अपना खर्चा खुद चला सकें इस वक्त गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के विचाराधीन है। तो यह रिपोर्ट उस कमेटी की आयी थी जिसमें इस देश के बड़े-बड़े सहकारिता के पंडित मेम्बर थे। क्या साइज हो, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और इसीलिये इसमें देर हो रही है। मैंने कल बातचीत की थी तो मालूम हुआ कि जल्दी ही उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जायगी। तो बेटर फार्मिग सोसाइटी में तो कोई मतभेद है नहीं। इसलिये कमेटी की कोई जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत इस बात की है कि प्रचार करें और मैं तमाम सोशलिस्ट लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो गैरसोशलिस्ट लोग इसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं उसके जवाब में सोशलिस्ट लोग इसका प्रचार करें कि कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिग सोसाइटीज लोग बनायें . . . .।

श्री शिवप्रसाद नागर—प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं समझता कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर है। आप कृपा करके बैठिये।

श्री मोहनलाल गौतम—इसलिये मैं तिवारी जी से और उनके सब साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज का प्रचार करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि सहकारी खेती की जो रूपरेखा उन्होंने बताई है उसके सम्बन्ध में सभी नियम और उपनियम कब तक लागू हो जायेंगे और कब से ऐसी सहकारी खेती के शुरू होने की उम्मीद की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह तो बने हुये हैं और ४००-५०० सोसाइटियां इस प्रकार की चल रही हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सोसाइटियों के कार्य, उत्पादन और उनकी मीटिंग इत्यादि सब सुपरवाइजरों और कामदारों की देख-रेख में होंगे या वह अपना कार्य करने में स्वयं स्वतंत्र होंगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—बहुत सी ऐसी सोसाइटियां हैं जिनका अच्छा मुनाफा है और अच्छी तरह से चल रही हैं और जिनके पास कोई कामदार और सुपरवाइजर फटकने नहीं पाता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस बात को देखते हुये और मंत्री जी ने जो अपील की है उसके महत्व को भी देखते हुये और यह भी देखते हुये कि ज्वाइंट फार्मिग के भी बहुत से रूप हैं तो कौन-सा ज्वाइंट फार्मिग का रूप उचित होगा, इसकी भी कोई जांच वह करायेंगे और सदन को बतायेंगे ताकि ठीक से प्रचार हो सके?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला हो चुका है। जहां तक ज्वाइंट फार्मिंग का ताल्लुक है, इसके दो रूप हैं। एक तो यह कि व्यक्तियों की जायदाद रहे

और दूसरा यह कि व्यक्तियों की जायदाद न रहे। जिसमें व्यक्तियों की जायदाद रहेगी उसका नाम कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग सोसायटी है और इसी को हमने अपनाया है, जैसा कि उत्तर में भी है कि हम उनकी जायदाद बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग के माने हैं कि जमीन व्यक्तियों की न रहकर सोसायटीज की होगी। ऐसी शायद हमारे यहां एक दो सोसायटीज होंगी। इसका कोई आधार नहीं है और इसको हम चला नहीं सकते हैं। इसके मानी हैं कि हम किसानों से जमीनें छीन लें, ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिये हमारा इरादा कलेक्टिव फार्मिंग का नहीं है। हम किसानों की ही मिल्कियत कायम रखना चाहते हैं इसलिये कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग सोसायटीज होंगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

ड्राफ्ट्समैन व ओवरसियर छात्रों का परीक्षाफल

*१—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश के ओवरसियर छात्रों का परीक्षाफल १७ प्रतिशत रहा और ड्राफ्ट्समैन का शून्य ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। ओवरसियर कोर्स के छात्रों का परीक्षाफल ३१.०५ प्रतिशत रहा और ड्राफ्ट्समैन का ४४.११ प्रतिशत।

*२—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि इस वर्ष पर्चों में कोर्स से बाहर के विषय थे ? यदि हां, तो क्या सरकार फेल हुये विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। फेल हुये विद्यार्थियों के सप्लीमेंटरी में बैठने के लिये नियमों में कुछ शिथिलता कर दी गई है जिसके फलस्वरूप कुल १९१० फेल हुये ओवरसियर कोर्स के विद्यार्थियों में से ९५९ विद्यार्थियों को सप्लीमेंटरी में बैठने का अवसर मिला है और ड्राफ्ट्समैन कोर्स के विद्यार्थियों में से जो १९ फेल हुये थे उनमें से ७ विद्यार्थियों को यह अवसर मिला है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रतिशत की बात बताई गई है उसमें आई० टी० आई० के ड्राफ्ट्समैन भी सम्मिलित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक-एक स्कूल का नाम तो मैं नहीं बता सकता हूं कि कौन-कौन सम्मिलित हैं लेकिन मेरा खयाल है कि सभी होंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में से ७८ विद्यार्थी बैठे और ३ पास हुये, सिविल इंजीनियरिंग स्कूल से १३० बैठे और ६ पास हुये और वोकेशनल सिविल इंजीनियरिंग स्कूल का जीरो परसेंट रिजल्ट रहा और वह उत्तर किस आधार पर दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक एक स्कूल की सामग्री मेरे पास नहीं है क्योंकि पूछा नहीं गया था। मैं सारे प्रदेश में जितने विद्यार्थी बैठे थे उसके बारे में बतला सकता हूं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या २ के उत्तर में जो दिया हुआ है कि १९१० विद्यार्थी फेल हुये, उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२,९०६ ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, २९०६ विद्यार्थियों में जो १९१० विद्यार्थी फेल हुये हैं, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । उन्होंने ठीक नहीं पढ़ा होगा, इसलिये फेल हो गये ।

श्री भोलालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कायदों में वह कौन-सी शिथिलतायें दी गयी हैं, जिनके अनुसार इतने विद्यार्थियों को सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन में बैठने का अवसर प्रदान हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह कई प्रकार की हैं । कौन-कौन विषयों में फेल हुये, उनको मौका दिया गया । किन ग्रुप्स में फेल हुआ, पूरा ब्यौरा तो है नहीं कि क्या-क्या सुविधायें दी गयीं । लेकिन अगर यह सुविधायें न दी जातीं तो इसका नतीजा यह होता कि कुल ४२२ विद्यार्थी बैठ सकते और सुविधाओं के कारण ५५७ बैठ रहे हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फेल होने का एक यह भी कारण था कि उनको ठीक से पढ़ाया नहीं गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं अध्यापकों पर दोषारोपण करना पसन्द नहीं करता और न स्वीकार करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि एलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन दोनों के परीक्षा-पत्र कोर्स के बाहर आये थे, एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने इस पर बाईकाट कर दिया, लेकिन मेकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने बाई काट नहीं किया, तो एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को तो सप्लीमेंटरी में बैठने का मौका दिया गया लेकिन मेकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को, जिन्होंने प्रिंसिपल के आदेश का पालन किया और बायकाट नहीं किया, उनको सप्लीमेंटरी में बैठने का मौका नहीं दिया गया, और क्या उनको भी फिर बैठने का मौका देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग में ३४ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुये और मेकेनिकल इंजीनियरिंग में ३४.५ प्रतिशत पास हुये । तो उनके मुकाबले में अच्छे ही रहे । अगर एलेक्ट्रिकल ओवरसियर से मतलब हो, तो ५० प्रतिशत पास हुये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा प्रश्न दूसरा था । जब यह परीक्षा-पत्र बांटा गया हाल में तो एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लगभग १४५ विद्यार्थियों ने वाक आउट कर दिया और बाहर आ गये । वह प्रिंसिपल के समझाने पर भी नहीं माने । लेकिन मेकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने आदेश का पालन किया । तो जिन्होंने वाक आउट कर दिया उनको तो सप्लीटरी में बैठने का मौका दिया गया और जिन्होंने वाक आउट नहीं किया उनको सप्लीमेंटरी में बैठने का मौका नहीं दिया गया । ऐसी सूरत में जिन्होंने आदेश का पालन किया उनके प्रश्न पर फिर विचार करके क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उनको सप्लीमेंटरी में बैठने का मौका देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ लड़के मुझसे मिले थे । उन्होंने कहा कि हमने अनुशासन का पालन किया । मैंने उनकी तारीफ भी की । बाकी जो कुछ बताया, उसकी बाबत मैं जांच कर रहा हूं ।

[३१ अगस्त, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मदन पांडेय—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

इंडियन स्कूल आफ साइंस ऐन्ड अप्लाइड जियोलोजी, धनबाद, में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने छात्रों को इंडियन स्कूल आफ साइंस ऐन्ड अप्लाइड जियोलोजी, धनबाद, में शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रति छात्र कितनी छात्रवृत्ति दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कुल आठ छात्रवृत्तियां दी गयी हैं और प्रति छात्रवृत्ति ५० रुपये मासिक के हिसाब से दी गयी है । वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में भी आठ छात्रवृत्तियां देने का आयोजन है ।

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार के लिये उत्तीर्ण छात्रों को अपने यहां नौकरी देना अनिवार्य होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्कूल से गत ३ वित्तीय वर्षों में जिन छात्रों को राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति दी और वे उत्तीर्ण हुये, इस समय राज्य सरकार के अन्तर्गत किस पद पर कहां नियुक्त हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई कहीं नियुक्त नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ८ व्यक्तियों को गत वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति दी गई उनके चुनाव का मुख्य आधार क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—और तो कोई आधार होता नहीं । जो दरख्वास्तें डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के पास आती ह उन दरख्वास्तों के देखने पर जिनको योग्य समझते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह खर्चा बरदाश्त कर सकें उनकी सिफारिश गवर्नमेंट से करते हैं । तब स्टाइपेन्ड दिया जाता है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे कि छात्र वेतन जब निश्चित किया गया था तब से आज रहन-सहन का व्यय बहुत अधिक हो गया है और इस छात्र वेतन को बढ़ाने के साथ ही अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके ? इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक तो ऐसा लगता है कि हमारे यहां से लड़के बहुत ज्यादा वहां पढ़ने जाते नहीं हैं लेकिन यदि यह बात साबित हो कि बहुत ज्यादा पढ़ने जाते हैं और पढ़कर आने के बाद उनकी पढ़ाई प्रदेश के लिये उपयोगी साबित हो तो इस प्रश्न पर हम विचार कर सकते हैं ।

मधुवन-दुवारी सड़क के बबला नाले पर पुल की आवश्यकता

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन से दुवारी सड़क पर बबला नाले पर पुल के निर्माण हेतु अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़, ने कई बार प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकार से ५० हजार रुपये की मांग की है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं ।

*६—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में उक्त पुल के अभाव में जिला केन्द्र से दुबारी देहात का सम्बन्ध टूट जाया करता है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फिर से वह जांच करने के लिये तैयार हैं कि इस तरह का प्रस्ताव परिषद् में पास हुआ था और परिषद् ने उसको कार्यवाही के लिये उनके पास नहीं भेजा है ?

श्री जयराम वर्मा—५० हजार रुपये की मांग का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था । जो प्रस्ताव पास हुआ था मेरे पास है । वह प्रस्ताव इस प्रकार है कि "मधुबन से दुबारी जाने वाली सड़क पर नाले पर जो पुल पड़ता है उसका कार्य तत्काल शुरू किया जाय । परिषद् उसको बनवाने में असमर्थ है तो सरकार को लिखा जाय" । यही प्रस्ताव है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस पुल के न होने से मार्ग पर आने-जाने में यात्रियों को कठिनाई होती है, इसकी जानकारी उन्हें है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, कठिनाई अवश्य होती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस कठिनाई को दूर करने के लिये उनके पास जो प्रस्ताव आया है उसको उनका स्वीकार करने का विचार है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, यह देखकर कि इसमें कठिनाई होती है ऐसा निश्चय किया गया था । जिला परिषद् को लिखा गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल कर लें । लेकिन अन्तरिम जिला परिषद् ने जो निर्णय किया है उसमें पुल के लिये पांचवी प्राथमिकता दी है और सड़क को छठी प्राथमिकता दी है । इसलिये कहा नहीं जा सकता है कि यह पुल तथा सड़क तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्भव होगी या नहीं ।

यू० पी० हैन्डी क्राफ्ट्स से आर्ट व टेक्सटाइल वस्तुओं की बिक्री

*७—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स में अलग-अलग वर्षों में आर्ट की वस्तुओं और टैक्सटाइल की क्या बिक्री रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स द्वारा की गई बिक्री के विभिन्न वित्तीय वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	आर्ट	टेक्सटाइल
१९५६–५७	१०,६४,०५१.९५	९,००,७२५.७३
१९५७–५८	६,५५,३३९.५७	८,३६,८०१.५८
१९५८–५९	६,३९,०२५.७९	६,१९,५१८.८८
१९५९–६०	७,२८,१९८.८१	७,३५,४७८.६२

श्री गेंदासिंह—क्या कभी सरकार ने इसके कारण का पता लगाया कि यह बिक्री क्यों घटी बढ़ी है और १० लाख तक पहले साल पहुंची थी तो यह बिक्री जो घटी है इसका कारण क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हम इसमें जांच कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कारण समझ में नहीं आया। दो वर्ष तक मन्दी आती रही लेकिन अब फिर देखते हैं कि अच्छी बिक्री हो रही है और फिर बाजार ऊंचा हो रहा है और बिक्री अधिक हो रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें उसने हैन्डीक्रैफ्ट्स की बदइन्तजामी और खरीद बिक्री की गड़बड़ी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ध्यान गया है। मुझे ऐसा खयाल नहीं पड़ता कि बिक्री के संबंध में उन्होंने शिकायत की हो, खरीद के बारे में शिकायत की है। लेकिन जो कुछ वह लिखते हैं उस पर हम हमेशा ध्यान देते रहे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३ साल में जो ६ लाख की बिक्री कम हो गयी है उसका मुख्य कारण यह है कि इसमें जो बराबर आमदनी, गबन और चोरी की गड़बड़ियां पैदा होती रहती हैं, अधिकारीगण उनकी जांच आदि के सिलसिले में फंसे रहते हैं और बिक्री की तरफ ध्यान नहीं देते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गालिबन यह कारण सही नहीं है क्योंकि इस तरह की शिकायत अभी भी होती रहती है और हम फिर भी देखते हैं कि १९५९-६० में बिक्री बढ़ी है। इससे मालूम होता है कि कारण कुछ और है, यह नहीं।

हजरतगंज, लखनऊ, में हैन्डीक्राफ्ट्स के शो रूम पर व्यय

*८—**श्री गेंदासिंह तथा श्री अब्दुलरऊफ लारी**—क्या सरकार वित्तीय वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के १५ जुलाई, १९६० तक मरम्मत एवं बिजली की फिटिंग इत्यादि पर हजरतगंज, लखनऊ, में स्थित गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स के शो-रूम पर किये गये खर्चे के आंकड़े सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स हजरतगंज स्थित शो रूम पर मरम्मत तथा बिजली आदि की फिटिंग में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९६०-६१ में कोई व्यय नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष १९५९-६० में बिजली की फिटिंग इत्यादि पर रु० १७,९०२.७४ नये पैसे का व्यय हुआ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले साल बिजली से उसमें आग लग जाने के बाद यह रुपया खर्च हुआ है और यह रकम १७ हजार की नहीं बल्कि ७० हजार की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय गेंदासिंह जी के सवाल का जो मतलब हो सकता था उसको ध्यान में रखते हुये जो जवाब दिया गया है वह ठीक है कि फिटिंग में क्या खर्च हुआ, लेकिन डी० सी० से ए० सी० में बिजली की सारी लाइन करनी पड़ी इसलिये उसमें ७० हजार रुपया खर्च हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस फिटिंग पर यह नया खर्च होने के बाद भी क्या कोई आग लगने की घटना हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संभव है, लेकिन ठीक याद नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतना रुपया खर्च होने के बाद भी रात को शो रूम की बिक्री बंद रहती है महज बिजली की खराबी के कारण ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं उधर कभी गया नहीं कि जान सकूं कि वहां अंधेरा रहता है या उजाला।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १७ हजार या ७० हजार जो भी रुपया लगा है उसक पहले क्या इसके लिये विशेषज्ञों से राय ली गयी थी फिटिंग आदि के बारे में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विशेषज्ञों का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि वहां डी० सी० सब जगह थी और सब दूकानों को ए० सी० करानी पड़ी, इसलिये ऐसा करना जरूरी था। बिजली कंपनी ने जो बतला दिया वह करना पड़ा। इसमें किसी विशेषज्ञ से राय लेने का सवाल नहीं होता।

हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विकास खंड अधिकारी

*९—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त प्रदेश में कुल कितने विकास खंड अधिकारी हैं और उनमें से कितने हरिजन हैं और कितने पिछड़ी हुई जातियों से हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—प्रदेश में कुल ५५२ क्षेत्र विकास अधिकारी हैं जिनमें ३६ हरिजन हैं तथा २० पिछड़ी जाति के हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब हरिजनों की १८ प्रतिशत सीटें सुरक्षित हैं तब उनके करीब ९० विकास खंड अधिकारी होने चाहिये थे, लेकिन ३६ ही रखे गये, इसका कौन-सा कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैं माननीय सदस्य को इतना और बतला दूं कि अभी हाल ही में १२० बी० डी० ओ० और भरती किये गये हैं और उनमें से २२ शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। इस तरह उनकी ५८ की तादाद हो जाती है और यह सही है कि अभी १८ फीसदी तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन १३ फीसदी तक पहुंच गये हैं। दिक्कत हमारी यह है कि जब अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उतने लोग भरती नहीं हो पाते जितने कि होने चाहिये।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कभी भी यहां सदन में यह प्रश्न उठता है कि १८ प्रतिशत हरिजन क्यों नहीं रखे गये, तो उसके उत्तर में सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि उपयुक्त कैन्डीडेट्स नहीं मिलते तो क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि इस कारण के अलावा भी कोई और कारणहै जिसकी वजह से उपयुक्त आदमी नहीं मिल पाते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसी के लिये अभी एक कमेटी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की अध्यक्षता में मुकर्रर की गयी थी और अभी तीन चार दिन हुये उस कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आई है जिसमें कुछ सुझाव दिये गये हैं। मैं सदन को यही विश्वास दिला सकता हूं कि उसमें जो भी सुझाव दिये गये होंगे उनका पालन करने की कोशिश की जायेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन विकास खंड अधिकारियों की नियुक्ति के समय उनकी निम्नतम योग्यता क्या रखी गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—ग्रेजुएट है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—सरकार ने अपने उत्तर में बतलाया कि हरिजन लोग नहीं मिलते, तो क्या वह उनके स्थान पर पिछड़ी हुई जाति के लोगों को लेने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह तो माननीय सदस्य को मालूम है कि रिजर्वेशन केवल हरिजन लोगों के लिये ही है, पिछड़ी जाति के लिये नहीं। वैसे वे लोग कम्पीटीशन में अगर आ जाते हैं तो लिये जा सकते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो परीक्षा होती है उसमें हरिजन लोगों को सवर्ण लोगों से कुछ रिआयत दी जाती है या दोनों की परीक्षा एक ही प्रकार की होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—परीक्षा में कोई अलग रिआयत नहीं होती। परीक्षा एक साथ होती है, लेकिन यह जरूर देखा जाता है कि कोई हरिजन उपयुक्त नम्बर प्राप्त करता है तो उसको सवर्ण के मुकाबले में पहले रखा जाता है और उस समय उनके साथ कुछ रिआयत कर दी जाती है।

फीरोजपुर कनियारी ग्राम सभा के प्रधान की शिकायत

*१०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री दिनांक १३ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कोपागंज, जिला आजमगढ़, द्वारा जांच कराने का परिणाम क्या निकला तथा प्रधान का बयान अब तक क्यों नहीं लिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—जांच से ज्ञात हुआ है कि गांव सभा फीरोजपुर कनियारी तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के प्रधान की शिकायत आपसी मनमुटाव के कारण की गई थी। उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया।

सहायक विकास अधिकारी द्वारा प्रधान का बयान लेने का प्रयास किया गया परन्तु उन्होंने बयान देना नहीं चाहा।

इस संबंध में परगनाधीश घोसी ने भी जांच की है और प्रधान का भी बयान लिया है। परगनाधीश ने भी सहायक विकास अधिकारी की रिपोर्ट की पुष्टि की है और आरोपों को तथ्यहीन बताया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सहायक विकास अधिकारी ने जो रिपोर्ट लिखी है और जिसमें आपसी मनमुटाव का जिक्र है, तो उन दोनों में प्रधान में और पंचायत सेक्रेटरी में आपसी मनमुटाव क्या था ?

श्री जयराम वर्मा—कारण यह बताया है कि उनके बीच में मनमुटाव है और शिकायत करने का कारण यही मालूम पड़ता है और यह भी सही है कि कुछ पंचायत सेक्रेटरी से भी मनमुटाव था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार का ध्यान प्रधान के प्रार्थना-पत्र की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जाली प्रस्ताव पास कराया, उसको हम लोगों ने कैंसिल किया और उनके हाथ से सेक्रेटरी कार्यवाही को छीन कर ले गये और बी० डी० ओ० के जरिये से २०० पया ठेकेदार को बिना प्रस्ताव के दे दिया ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, जांच की गयी, मालूम यह हुआ कि पहला प्रस्ताव जिसके अनुसार ठेकेदार को रुपया देना स्वीकार किया गया था, वह पास हुआ था। प्रधान का कहना है कि १० रोज के बाद एक दूसरा प्रस्ताव पास किया गया जिसमें पहले प्रस्ताव के विरोध में फैसला किया गया, लेकिन उस तरह का प्रस्ताव कार्यवाही में कोई नहीं मिला और न उसकी प्रतिलिपि विकास अधिकारी के यहां मिली। इसलिये यह सिद्ध नहीं हुआ कि दूसरा प्रस्ताव पास हुआ है।

*११-१३—**श्री गरीबदास** (जिला जौनपुर)—[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

*१४-१५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये]

लार टाउन एरिया के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*१६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया लार, जिला देवरिया, के कर्मचारियों की तनख्वाह ६ महीने से बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं। केवल ३ महीने की तनख्वाह बाकी है।

*१७—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या यह सही है कि उपरोक्त टाउन एरिया के चेयरमैन ने अप्रैल, १९६० में स्वायत्त शासन मंत्री को एक पत्र दिया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि थाना लार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ऊपर बकाया टैक्स के रुपये को सरकार से दिला दें, ताकि मेहतरों की तनख्वाह दे दी जाय ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

*१८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने कृपा करेंगे कि उपरोक्त पत्र में थाने के जिम्मे कुल कितना रुपया बाकी दिखाया गया है और सरकार ने इसकी वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयराम वर्मा—(क) १४९२ रुपये।

(ख) जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाई गई और उनको यह आदेश दिये गये कि थानेदार तथा उनसे ऊपर के कर्मचारियों से बकाया धन की वसूली के लिये टाउन एरिया कमेटी से टाउन एरिया ऐक्ट की धारा २० तथा २१ के अधीन कार्यवाही करने के लिये कहा जावे। पुलिस के अन्य कर्मचारियों के बारे में पुलिस प्रधान कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा जा रहा है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३० जुलाई तक वहां के मेहतरों की ६ महीने की तनख्वाह बाकी थी, प्रश्न करने के बाद ३ महीने की तनख्वाह दे दी गयी और ३ महीने की बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना तो नहीं है कि प्रश्न करने के पहले ६ महीने की बाकी थी। जो हमारे पास रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार ३ महीने का वेतन बाकी है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को यह भी सूचना है कि तनख्वाह के अलावा वहां के मेहतरों का और भी पैसा बकाया था, जो अब तक नहीं दिया गया है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधिकारी के जिम्मे जो १,४९२ रुपया बाकी है वह कितने दिनों का बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन् जी, यह तो निश्चित सूचना नहीं है कि कितने दिन का है ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि यह रुपया दूसरों से पाना है और इसकी कमी की वजह से वहां मेहतरों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है जिससे तरह तरह के वह दुख पा रहे हैं, इसको जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—इसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है। जहां तक कि दारोगा और उनके अधिकारियों पर बकाया का सवाल है, टाउन एरिया सीधे उनसे वसूल कर सकता है, लेकिन जहां तक हेड कांस्टेबिलों के नीचे के बकाया का सवाल है, उसके लिये लिखा जा रहा है, वह शासन से रुपया मिलेगा।

नोट—तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पर्वतीय जिलों के नियोजन की रूपरेखा

*१९—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय जिलों के लिये नियोजन की एक अलग इकाई बनाने जा रही है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पर्वतीय जिलों की योजना प्रदेश की योजना का ही अंग होगी। परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रक्खा जायगा। अभी रूपरेखा बताना संभव नहीं है।

सिंचाई के कुओं के लिये सहायता

*२०—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई के कुंये के लिये अब १२५ रुपये सबसिडी दी जाती है और इसके पूर्व ५०० रुपये दी जाती थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिंचाई के कुंओं के लिये दिये गये ऋण पर इस समय २५ प्रतिशत के हिसाब से सबसिडी दी जाती है। ५०० रुपये की सबसिडी १९४९ और १९५० में दी जाती थी।

जिला रोजगार कार्यालय, गोंडा, द्वारा नौकरी मिलना

*२१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १ जनवरी, १९५९ से लेकर ३० जनवरी, १९६० तक कितने हरिजन नवयुवकों ने अपने नाम जिला रोजगार कार्यालय, गोंडा, में रजिस्टर कराये और उनमें कितने मिडिल, हाई स्कूल, इंटरमीडियेट, बी०ए० पास को किन-किन विभागों में भेजा गया और कितने अनपढ़ लोगों को और कितने नवयुवकों को रोजी दिलायी गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३५–२३६ पर)

वाराणसी काटन मिल, चौकाघाट

*२२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय वाराणसी काटन मिल, चौकाघाट को जो व्यक्ति चला रहे हैं उनको कितने दिन के लिये चलाने के लिये मिल को दिया गया है? उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला जज वाराणसी ने सर्वश्री रामलाल राजाराम को बनारस काटन मिल ३ वर्ष के पट्टे पर चलाने के लिये दी है। इस पट्टे की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० तक है।

*२३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वाराणसी काटन मिल को पूरी तरह चलाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है? क्या कोई योजना सरकार उस मिल को पूरी तरह चलाने के लिये बना रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२४—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया है।]

कारपोरेशन के मेयरों का भत्ता

*२५—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस कारपोरेशन के मेयर गाड़ी एवं अन्य खर्चे का, कितना-कितना भत्ता ले रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वाराणसी तथा कानपुर कारपोरेशन के नगर प्रमुख कोई भत्ता नहीं ले रहे हैं। इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ करपोरेशन के मेयरों की गाड़ी पर तथा प्रमुख व्यक्तियों व विशिष्ट आगन्तुकों के स्वागत सत्कार व प्रेस सम्मेलनों पर जो खर्चा होता है उसका भुगतान महापालिका निधि से शासन द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर किया जा रहा है।

*२६-२७—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३१—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

मिनिमम वेजेज ऐक्ट, कमेटी की सिफारिशें

*३२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जो कमेटी बनाई गई थी, क्या उसकी सिफारिशें सिर्फ कालीन व दरी के मजदूरों के संबंध में प्रकाशित हुई हैं ? यदि हां, तो अन्य उद्योगों के श्रमिकों के लिये इस कमेटी ने क्या सिफारिश की हैं। उसे सरकार कब प्रकाशित करने जा रही है और उनको लागू करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कथित कमेटी की सिफारिशें केवल ऊनी कालीन साजी अथवा शालसाजी के उद्योग के श्रमिकों के संबंध में थीं। उक्त कमेटी का संबंध अन्य किसी उद्योग से नहीं था।

*३३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जो मिनिमम वेज कारपेट मजदूरों के लिये निर्धारित किया गया है, उसे वाराणसी, मिर्जापुर के कालीन उद्योगपति मजदूरों को दे रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मास्टर बीवर्स को भुगतान करने तथा विभिन्न बूटेदार (Designed) कालीनों के लिये न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के विषय में नियोजकों तथा श्रमिकों में कुछ मतभेद है। इस प्रश्न को सुलझाने का श्रम विभाग प्रयत्न कर रहा है। अन्यथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है।

*३४—श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३६—श्री बाबूराम—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिले में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार श्री भुवनेशभूषण शर्मा ने और श्री भजन लाल ने भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन श्री भुवनेश भूषण शर्मा का पहले आया था, इसलिये मैंने उसे स्वीकार किया है वह इस प्रकार है—

"गत १ हफ्ताह से लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण इटावा जिले के अन्तर्गत करीब २,००० से अधिक मकान गिरे, एवं बहुत से व्यक्ति चोटहिल हुये तथा करीब २ दर्जन से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्युयें हुई हैं एवं लाखों रुपयों की आर्थिक हानि एवं सैकड़ों पशुओं का ह्रास हुआ है। हजारों की तादाद में व्यक्ति बेघर-बार होकर धर्मशालाओं एवं पाठशालाओं तथा देहात में निराश्रित अवस्था में सड़कों एवं नहर की पटरियों पर पड़े हैं। मनुष्यों एवं पशुओं को भोजन तथा चारा भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इटावा जिले की नदियां, जमुना, सरसों तथा सेंगर आदि ने अधिक वर्षा के कारण भीषण रूप धारण कर लिया है, जिसके फलस्वरूप जिले की खरीफ की फसल हजारों एकड़ बरबाद हो चुकी है। कितने ही गांवों से जिले का संबंध विच्छेद हो गया है, जन-जीवन खतरे में है। अतः इस अविलम्बनीय विषय पर माननीय माल मंत्री जी सदन को अपना वक्तव्य देने की कृपा करें।"

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि २६ और २७ अगस्त को इटावा में ६ इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके फलस्वरूप तमाम वाटर-लागिंग हो गया और सैलाब भी आ गया। इटावा शहर में ११५० मकानों को और देहात में भी कई सौ मकानों को क्षति पहुंची है। जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनको स्कूलों इत्यादि में पनाह दे दी गई है। १ लड़की और ३ औरतें मकान गिरने से मर गईं। कई आदमी जख्मी हुये जिनमें से १५ अस्पतालों में हैं लेकिन वे खतरे से खाली हैं।

फसल को भी नुकसान हुआ है जिसका अन्दाजा पानी सबसाइड होने पर ही किया जा सकता है। बिजली भी कुछ देर के लिये फेल हो गई थी।

क्षति-ग्रस्त इलाका जसवन्तनगर और उसके कुर्बीजवार में बिजौली, बकेवर, लखना, महेवा और भरथना हैं, जिनमें १०,००० रुपया ग्रैचुटस रिलीफ के लिये और १,००० रुपया रैस्क्यू वर्क के लिये भेज दिया है। कलेक्टर से कह दिया है कि जितने रुपये की आवश्यकता हो वह मांगें और तार के जरिये हम भेज देंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—वाटर-लागिंग निकालने के लिये भी सरकार ने कोई व्यवस्था की है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी २, ३ दिन हुये हैं, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं किया जा सकता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी अधिक से अधिक धनराशि दिलाने की कृपा करेंगे जिससे लोग छाया पाकर रहने लगें?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पूरी क्षति की पूर्ति करना तो किसी सरकार के काबू की बात नहीं है। लेकिन तिनके का सहारा भी काफी होता है, और जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं और करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, अतिवर्षा और वाटर-लागिंग की खबरें तो प्रदेश के कोने-कोने से आ रही हैं। इटावा का प्रश्न आज उठाया गया है। मेरे पास खबर कल ही आ चुकी थी कि एटा में और बुन्देलखंड में भी ऐसा ही है।

चूंकि मामला बहुत गम्भीर है, इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय नेता सदन से और आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि २ घंटे का समय नहीं बल्कि पूरा १ दिन का समय इसके लिये दें। यह हम सब लोगों की भावना है।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में बाद में देखेंगे। अब तो इटावे के प्रश्न हो रहे हैं।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि कस्बा फफूंद में एक वृद्ध महिला और जवान लड़की की मृत्यु हो गई और इतना सैलाब आया है कि खरीफ की फसल तमाम नष्ट हो गई और क्या मंत्री जी सर्वे कराके लगान माफ करने पर और लोगों को तमाम प्रकार की सहायता देने पर विचार करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सैलाब खत्म होने पर नुकसानात का अन्दाजा होगा। और जो कायदे के अन्दर आवेंगे उन्हें हम जरूर सहायता देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—वाटर-लागिंग का क्षेत्रफल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी ठीक तरह से नहीं बताया जा सकता है लेकिन ज्यादा रकबे में है।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जमुना और कुंवारी नदियों की भीषण बाढ़ से उनके तटीय क्षेत्र में खरीफ की तमाम फसल बरबाद हो गई है और उसका सर्वे कराके वहां खरीफ की फसल का लगान माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सभी नुकसान देखा जायगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी देहातों की मृत्युओं का भी पता लगाने की कृपा करेंगे जहां से अभी तक संबंध स्थापित नहीं हो सका है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—४ मृत्युओं का पता अभी तक चला है जो बता दिया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार मवेशियों के लिये चारा तत्काल वहां भिजवाने पर विचार करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर कलेक्टर लिखेंगे तो कुछ न कुछ इंतजाम जरूर किया जायगा।

श्री भजनलाल—इस भीषण बाढ़ से कितने पशुओं की मृत्यु हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसकी तादाद मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब ये प्रश्न समाप्त करता हूं।

वर्षा से हुई क्षति पर विवादार्थ समय-निर्धारण

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रश्न यह है कि जिसके बारे में नेता विरोधी दल और श्री पालीवाल जी ने भी कल कहा था कि वर्षा की क्षति पर पूरे प्रदेश की हालत पर विवाद हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—हमने भी कहा था।

श्री अध्यक्ष—आपने भी कहा था और करीब सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा था। नेता विरोधी दल ने २ घंटे की बहस के लिये कहा था। श्री पालीवाल जी ने और अन्य लोगों ने १ दिन मांगा। मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की। एक प्रस्ताव तो कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा यह पास हो चुका है कि १६ तारीख तक तो उपस्थित विधेयक पारित

[श्री अध्यक्ष]

करना है और उनमें ८ दिन खंडों और तीसरे वाचन के लिये दिये जावेंगे। २ दिन आम बहस के लिये हैं, जो आज खत्म होगी। चुनाव के बारे में शायद यह घोषणा हुई थी कि अगर १६ तारीख तक यह पास हो गया और परिषद् से भी पास हो जायगा और सितम्बर में पास हो जाते तो सरकार इस बात का जोर से प्रयत्न करेगी कि फरवरी में चुनाव करा दे मुख्य मंत्री जी को १ दिन की बहस के लिये भी कोई आपत्ति नहीं है। तो अगला शनिवार इसके लिये हो सकता है चूंकि सरकार को भी तमाम बाढ़ वाले जिलों से सूचना मंगानी होगी या एक चीज और यह हो सकती है कि २ दिन शाम को १।।, १।। घंटे अधिक बैठ जावें। आप जो उचित समझें इन दोनों तरीकों में से, मुझे बता दें और उस हिसाब से मैं समय तय कर दूंगा।

श्री उग्रसेन—पश्चिमी जिलों में बाढ़ से बड़ी गम्भीर स्थिति है, इसलिये माननीय मंत्री जी जल्दी से रपट मंगा लें और जल्दी बहस हो जाय। तभी उससे कुछ लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष—आप जानते हैं कि कायदा यह है कि एक चावल देखने से पता चल जाता है कि चावल पक गये हैं या नहीं। अगर सभी जिलों के बारे में बहस करनी है तो सरकार की भी कठिनाई है कि सभी जिलों से सूचना मंगानी होगी। अधूरी जानकारी से बहस भी अच्छी नहीं होती। तारीख १०, शनिवार को बैठक होने के बारे में एक प्रस्ताव यहां पर आ जावेगा। और मैं समझता हूं कि प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सब की यह राय है कि शनिवार को बैठना है तो मैं आपकी कन्सेन्ट लिये लेता हूं और १० तारीख शनिवार, को इस पर पूरे दिन बहस हो जायगी।

५ सितम्बर, १९६० को बारावफात होने के कारण सदन की बैठक न करने के लिये प्रार्थना

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई) (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, रबीउल अव्वल की छुट्टी ४ तारीख की है लेकिन मून की विजिबिलिटी के मुताबिक वह ५ तारीख को पड़ रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि रबीउलअव्वल (बाराबफात) की छुट्टी ५ तारीख को हो और यह हाउस बन्द रहे।

श्री अध्यक्ष—पूरक अनुदानों के लिये ५ तारीख रखी गयी है, जिसको समय श्री राज्यपाल महोदय नियुक्त करते हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, बाराबफात की बात हमको भी मालूम हुई थी। हम श्री राज्यपाल से प्रार्थना करेंगे कि वे इस दिन को बदल दें।

श्री अध्यक्ष—अगर उस रोज की छुट्टी होती है तो बिल के लिये भी एक रोज बढ़ जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिनों की संख्या तो वही रहेगी। उसके लिये एक चीज हो सकती है कि हम १७ तारीख, शनिवार को बैठ जायं तो यह उसी हफ्ते में समाप्त हो सकता है और दूसरे हफ्ते में परिषद् में विचार हो सकता है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, बजाय इसके कि इसके लिये १७ तारीख को बैठें, १० तारीख को शनिवार को हम बैठ रहे हैं, उसके सिलसिले में रविवार को भी बैठ जायं ११ तारीख को।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर अगले हफ्ते में विचार हो जायगा।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अगला शनिवार जो आने वाला है उसको ही क्यों नहीं बैठ जाते ?

श्री अध्यक्ष—अगले शनिवार के सबके अपने अपने प्रोग्राम बाहर जाने के निश्चित हो चुके हैं, उनको काटना मुश्किल है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आपने जो कहा कि अगले सप्ताह में निश्चित कर लेंगे तो मैं भी समझता हूं कि आपने जो सुझाव दिया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। उसकी एक वजह है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही यह जिला परिषद बिल समाप्त हो जाय, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर सदन में बहस हो जाय और इसलिये मेरा भी निवेदन है जितनी जल्दी खत्म हो जाय उतना ही अच्छा है।१७ तारीख को अगर यह खत्म हो जाय तो मैं फौरन ही सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार हो जाय। मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि उसको मैं और टालना नहीं चाहता। हमने उसकी एक रूपरेखा बनायी है और उसके बारे में दिल्ली में प्लानिंग कमीशन के साथ हमारी गवर्नमेंट की बातचीत २२ तारीख को होने वाली है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यह सदन उस पर विचार कर ले क्योंकि जो सदन में उसके बारे में विचार होगा उससे हमें बल मिलेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस योजना के संबंध में जिस पर विचार होने वाला है उसके संबंध में सारा साहित्य हमें पहले से मिल जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—वह तो जरूर मिलेगा ही ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से यही पूछना है कि किस तारीख को योजना पर विचार किया जायगा। १७ तारीख को यह बिल समाप्त हो जायगा तो क्या १९ तारीख को उसको ले लिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (क्रमागत)*

†**श्री जगदीश शरण अग्रवाल** (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विचार है कि यह विश्वास करना शायद गलत होगा कि इस विधेयक के द्वारा हम लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। शायद यह कहना भी गलत होगा कि इस बिल के अन्दर उन सारी भावनाओं का समावेश अनिवार्य रूप से है जो कदाचित् इस सदन की इस विषय में होंगी लेकिन मान्यवर यह कहना भी उतना ही या उससे भी अधिक गलत होगा कि यह एक निकम्मा बिल है और इसके पीछे केवल एक भावना है ब्यूरोक्रेटिक शिकन्जे को मजबूत करने का। मान्यवर, कल इस माननीय सदन में जो आशंकायें प्रकट हुई मेरा तो ऐसा विचार है कि शायद उन में से बहुत सी का समाधान इस विधेयक के अध्ययन से ही हो सकता है।

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण स्थिति में मैं भी इस बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने का समर्थन करता और कदाचित् माननीय मंत्री जी की ऐसी ही इच्छा होती कि एक ऐसा बिल जिसमें २७३ धारायें हैं और ८ शिड्यूल्स हैं वह अवश्य प्रवर समिति में जाय लेकिन इसके पीछे एक दूसरी भावना भी है सरकार की और कदाचित उधर के बैठने वालों की, दोनों की इच्छा है कि हम इस बिल को जल्द से जल्द पारित करके उसके फलस्वरूप जल्दी से जल्दी चुनाव करा सकें, इस विशेष कारण से और

*३० अगस्त, १९६० की कार्यवाही से ।
†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

दूसरे इसलिये भी कि करीब करीब इसी तरह का बिल सन् १९५८ के अन्त में जिला परिषद बिल था और उसमें इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में अन्तर है और वह प्रवर समिति में जा चुका है इसलिये अब इसके वहां जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगी, इसी लिये मैं भी अपने को प्रवर समिति में इसके भेजे जाने का समर्थन करने में असमर्थ पाता हूं।

कल दो तीन बातों पर इस सदन में जोर दिया गया था। हमारे माननीय सदस्य आचार्य दीपंकर जी ने तो यह आरोप लगा दिया कि यह बिल ऐसा है जिसमें आफिशियल्स को यह अधिकार है कि वे चुने हुए मेम्बरों को आउट वोट कर सकते हैं। ताज्जुब हुआ। मान्यवर, अगर कोई भी इस बिल का अध्ययन करे तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इसमें आफिशियल्स को वोट देने का अधिकार नहीं है, वे वोट देने वाले मेम्बर नहीं होते। तो यह शंका कितनी निर्मूल है। इससे पता लगता है कि कितनी निर्मूल शंकाओं के आधार पर बातें उठाई जा रही हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात पर बड़ा जोर दिया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की परिभाषा करते हुये उन्होंने बतलाया था कि इसका अर्थ है "रूल बाई कमेटीज" और उनकी आपत्ति यह थी कि इसमें जिन कमेटियों का प्राविधान किया गया है, जिन कमेटीज के बनाने का प्राविजन रखा गया है उसमें उन्होंने एक कमी बतायी कि कृषि कमेटी इसमें नहीं है। मान्यवर, इस बिल में जितनी परमावश्यक कमेटियां हो सकती थीं उनका जिक्र है और उसके बाद दूसरी धारा में जिला परिषदों को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि जितनी और कमेटियों की आवश्यकता समझें अपने कार्य संचालन के लिये उनको निर्मित कर सकते हैं। कृषि आधिकारी अलग से नियुक्त किये गये हैं तो कृषि की बात सरकार की आंखों से ओझल हो ऐसी तो बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कदाचित् कृषि के लिये अलग से कमेटी बनाना इस स्टेज पर उतना आवश्यक भी नहीं था।

मान्यवर, दूसरा बड़ा आरोप लगाया गया है कार्य समिति बनाने की बात पर। माननीय विरोधी दल के नेता का विचार था कि अगर कार्य समिति बनायी गयी तो उसका परिणाम यह होगा कि यह अन्त में फार्स में रिड्यूस हो जायेंगी और निरर्थक हो जायेंगी। बड़े आदर से उनकी बात सुनने के बाद मेरा विनम्र मत यह है कि ऐसी परिषद जहां पर बनी है जिसके अन्दर इतने विस्तार रूप से कार्य करने हैं और डेसीजन्स को इम्प्लीमेंट करने हैं तो वहां पर कार्य समिति का बनना आवश्यक ही नहीं नितान्त अनिवार्य भी है। अगर कोई कार्य समिति न बने तो उसका परिणाम यह होगा कि वहां पर सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी रहेगी और किसी पर यह उत्तरदायित्व नहीं होगा कि वह उस सारे निश्चय को इम्प्लीमेंट करे और उसे कार्यान्वित करे। इसलिये कार्य समिति का बनाना परम आवश्यक है।

मान्यवर, एक इस बात पर भी कल जोर दिया गया बहुत काफी बल के साथ कि इसमें एक बड़ा ही लज्जाजनक प्राविजन यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक परिषद को उसी तरह ऐड्रेस कर सकता है जैसे सदन को माननीय राज्यपाल करते हैं। मैं इस भावना से सहमत हूं लेकिन मैंने इसको बार बार पढ़ने की कोशिश की तो इस ऐक्ट में मुझे ऐसा कोई प्राविजन दिखलाई नहीं दिया जिसमें इस आशंका का कोई आधार होता। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल ऐक्ट में ऐसी धारा मौजूद हैं जिसके अनुसार मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ जब आवश्यकता हो तो वह म्युनिसिपल बोर्ड को ऐड्रेस कर सकता है, एक्जीक्यूटिव आफिसर जब आवश्यकता हो तो म्युनिसिपल बोर्ड को ऐड्रेस कर सकता है। इसी तरह से हमारे इस सदन के लिये भी यह प्राविजन मौजूद है कि एडवोकेट जनरल यदि आवश्यकता हो तो इस हाउस को ऐड्रेस कर सकता है। अगर ऐड्रेस करने का अधिकार न रखा जाय तो आवश्यकता पड़ने पर भी कोई अधिकारी परिषद को ऐड्रेस नहीं कर सकेगा। इन आवश्यकताओं के लिये ही यह प्राविजन है इससे यह कल्पना कर लेना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसी तरह से ऐड्रेस करेगी जैसे गवर्नर इस सदन को करते हैं, मैं आदरपूर्वक कहूंगा कि यह निर्मूल है। मैं यह भी समझता हूं कि यह बिल कई माने में जो सन् ५९ के बिल का मसविदा सामने आया

था उससे इम्प्रूव्ड है, उससे आगे बढ़ा हुआ है और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बलवन्त राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका प्राण, उसकी मूल रिकमेंडेशन यह थी कि क्षेत्रीय समितियों का खंड स्तर पर पावर का विकेंद्रीकरण किया जाय। पहला बिल जो आया था जिसे फिर प्रवर समिति को वापस कर दिया गया, उसमें इस सिफारिश को नहीं माना गया था लेकिन इस बिल में उस मुख्य सिफारिश को मान लिया गया है और खंडों की क्षेत्रीय समितियों को पूर्ण अधिकार देने का प्रयत्न किया गया है। यह प्रयास विकेंद्रीकरण की दिशा में एक सबल कदम है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त इसमें कई और ऐसी मुख्य बातें हैं जो बहुत सराहनीय और प्रमुख है। मेरा अनुभव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संस्था का सदस्य दस पांच साल तक रहने के नाते और चेयरमैन रहने के नाते यह है कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और अन्य स्थानीय निकायों की सबसे बड़ी दिक्कत है सर्विसेज की नियुक्तियों के ऊपर और उसके कंट्रोल के ऊपर। पहली बार इस बिल के द्वारा इस चीज को नियंत्रित किया गया है जो इस बिल का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इस बिल में यह प्राविधान किया गया है कि जो २०० रुपये महीने से ऊपर की नियुक्तियां हों उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श हो या उसके समकालीन कोई और कमीशन हो, उसका परामर्श हो। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, अभी तो मेरे तीन चार मिनट और होंगे ?

श्री अध्यक्ष—आपके दो मिनट और हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—बहुत अच्छा। तो यह जो प्रावीजन नियुक्तियों के सम्बन्ध में किया गया है वह इस बिल का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। एक दूसरी कल्पना है कि सेंट्रल केडर की एक सर्विस बनायी जायगी और जो ट्रांसफरेबिल पोस्ट होगी वहां उनको रखा जायगा। श्रीमन्, आपने दो मिनट दिया ही है, एक मिनट और दे दें तो मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं सिर्फ तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना परम आवश्यक समझता हूं।

पहली बात यह है कि जो हम जिला परिषदें बना रहे हैं उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने अच्छे और मजबूत होने चाहिये कि वे अपने बल पर चल सकें। इस बिल में आवश्यकता पड़ने पर कुछ रुपया देने के लिये जो प्राविजन रखा गया है मैं समझता हूं कि वह कम है। दूसरी बात यह है कि जो जिला परिषद् के चेयरमैन या अध्यक्ष बनाये जायेंगे उनके स्थानों को आपको और ज्यादा सुरक्षित करना पड़ेगा और उनके तथा मुख्य कार्याधिकारी के बीच का रिश्ता और स्पष्ट करना पड़ेगा जिसमें रोजमर्रा के कार्य में कोई दिक्कत न पड़े और जिसमें वह मुख्य कार्याधिकारी जो ए० डी० एम० के स्तर का होगा, जनता के चुने हुये आदमियों पर हावी न हो सके। इसके लिये आप को और स्पष्ट करना होगा और उस के स्टेटस को क्लीयर करना होगा।

आखिर में मैं इतना और कहूंगा कि जहां पर २०० रुपया से ऊपर की सर्विसेज में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात रखी गई है वहीं दूसरी चीज बोर्ड की भी रख दी गई है। अच्छा ही है कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन पर प्रदेश की जनता का विश्वास है इसलिये यह सारा सलाह मशविरा उन्हीं तक छोड़ा जाय और दूसरा सेलेक्शन बोर्ड न बनाया जाय। दूसरे मैं यह भी कहूंगा कि एलेक्शन सम्बन्धी जो पावर्स ली गई हैं उन का विवरण पहले बिल की धारा २४ में था और इस की धारा २३ में है। मौजूदा बिल में इस खंड के द्वारा बहुत सी एग्जहास्टिव पावर्स ली गई हैं। पहले बिल में यह था कि अगर ऐक्ट में प्राविजन हो तभी यह अधिकार लिये जांय लेकिन मौजूदा ऐक्ट में और आगे बढ़ा गया है। मेरा निवेदन है कि जिन का ऐक्ट में प्राविजन है उन पर सरकार को जी० ओ० द्वारा तब्दीली करने का अधिकार न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा समय कितना है ?

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, इस बिल को आज से कम से कम १२ वर्ष पहले पेश हो जाना चाहिये था। आप को याद होगा कि सन् ४७ के अन्त और सन ४८ के प्रारम्भ में जब जिला बोर्डों के चुनाव हुये थे उस समय आप ही स्वायत्त शासन मंत्री के पद पर सुशोभित थे और यह आशा थी कि सन् ४९ में नया ऐक्ट बनकर दुबारा चुनाव हो जायेंगे। ४९ के बजाय आज सन् ६० में यह बिल हमारे सामने आया है, इसीलिये मैंने यह कहा कि यह बिल आज से १२ साल पहले आना चाहिये था। खैर, यह अब आया, यह काफी बड़ा बिल है, इस में १४ अध्याय, २७३ खंड, ८ अनुसूचियां और १४८ पृष्ठ हैं लेकिन इस सब को देखने के बाद भी केवल यही कहा जा सकता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अब १२–१३ साल के बाद भी जो कुछ इस बिल में रखा गया है उससे मुझे यह आशा नहीं होती कि उससे गांव की जनता का भला, जैसा कि सरकार चाहती है या इस बिल का जो उद्देश्य है वह हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं गांव में ही पैदा हुआ हूं और अपने समूचे विद्यार्थी जीवन तक, एम० ए० तक गांव ही मेरा प्रधान निवास स्थान रहा है। उस के ठीक २ साल के बाद ही मैं ग्रामीण क्षेत्र से तत्कालीन कौंसिल के लिये चुना गया और पिछले ३७ वर्षों में जब जब निर्वाचित हुआ हूं, केवल एक बार को छोड़कर वह सदा ग्रामीण क्षेत्रों से ही चुना गया हूं। इसके अलावा मैं सन् ३७-३८ में इस प्रदेश का विशेष ग्राम सुधार अधिकारी भी था। इन तमाम कारणों से गांव के सम्बन्ध में मेरा कुछ निजी अनुभव व ज्ञान है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी मैं २० साल तक मेम्बर और दस साल तक चेयरमैन रहा हूं। परन्तु मुझे यह कहते हुये दुख है कि इस से गांव की भलाई की जो आशा की जाती है वह पूरी न हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल का उद्देश्य तो यह बताया गया है कि इस के द्वारा विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है किन्तु वास्तव में यदि बिल की धाराओं को अच्छी तरह से देखा जाय तो यह विकेन्द्रीकरण के नाम पर केन्द्रीकरण किया जा रहा है और कुछ अंशों में तो जो हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट था उससे भी यह पीछे गया है, चेयरमैनों के अधिकार उस से भी कम किये गये हैं और मुख्य अधिकारी के अधिकार पहले से बढ़ाये गये हैं। सच बात यह है कि बेचारी जनता को तो विकेन्द्रीकरण का झुनझुना दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि बच्चों को खिलाने के लिये खासतौर पर देहातों में जहां कीमती खिलौने नहीं होते हैं वहां सरकंडे का एक बजने वाला खिलौना बनाया जाता है, उसको झुनझुना कहते हैं। वह बच्चों को बहलाने के लिये दे दिया जाता है और छूट्टी पाली जाती है कि बच्चे परेशान न करें। इस विधेयक में भी विकेन्द्रीकरण का झुनझुना तो जनता के हाथ में दे दिया है, लेकिन वास्तव में तमाम अधिकार अपने अधिकारियों को देकर सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं। मुझे इस बात से और भी दुखः है कि इस विधेयक को लाने वाले हमारे मंत्री महोदय गांधी मार्ग में विश्वास करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह स्वंय इस बात पर विचार करें कि आजकल के उनके समाजवाद और गांधी मार्ग के कहां तक यह अनुकूल है। इसमें विकेन्द्रीकरण के लिये कहां तक जगह है? मैं मानता हूं कि आपने जिला परिषदों का और उसके अध्यक्षों का निस्संदेह कर्तव्य भार उनके कर्तव्यों की सीमा तो बहुत अधिक बढ़ा दिया है, उसकी तो कोई इन्तहा नहीं, उसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं। कर्त्तव्य बहुत हैं, लेकिन उनको पालन करने के लिये उनके पास जो साधन होने चाहिये धन के और सम्पत्ति के वह कहां है इस बिल में यहां माननीय मंत्री महोदय यह बतलावें।

एक जो विभव और सम्पत्ति कर की बात कही गई वह तो पहले भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगाया करते थे। उसमें तो सिर्फ इतनी ही विचित्रता हो सकी है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का नाम विचित्र भाई है विभव जी को शिकायत का मौका मिल गया है कि उन पर विभव कर लगा दिया और बंसल वगैरह जो और लोग हैं उन पर नहीं लगाया। सही बात यह है कि जो अधिकार थोड़े बहुत दिये गये हैं वह ऐसे हैं जिनकी वजह से सरकार को और अधिकारियों को जिला परिषद्, उसके सदस्यों और उसके अध्यक्ष को बदनाम करने का मौका मिले। यानी कर लगाने का अधिकार दिया गया है और ऐसे कर लगाने का जो कि किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराये जा

सकते हैं । उदाहरण के लिये इस विभव सम्पत्ति कर में कह दिया गया कि जिस किसी की आय ५० रुपया मासिक से अधिक हो उस पर विभव कर लगता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि एक ओर यह मांगा जा रहा है कि चपरासियों का न्यूनतम वेतन १२५ रुपया मासिक हो और दूसरी ओर यह न्याय किया जा रहा है कि गांव के लोगों के साथ कि ५० रुपया मासिक भी कमाते हैं तो सम्पत्ति और विभव कर दें । यह कर लगाने का जो अधिकार दिया गया है वह नाम का तो अधिकार है लेकिन वह ऐसा अधिकार है जो कि अपने को जनता में अप्रिय बनाने का और जनता का गला काटने का अधिकार है, उनकी भलाई करने का अधिकार नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन के संबंध मे कई बार प्रदेशीय सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने भी कमेटियां बैठाई और हर कमेटी ने सिफारिश की कि अगर आप स्वायत्त शासन संस्थाओं से चाहे वह जिला परिषद् हो, नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, यह चाहते हैं कि वह जनता की भलाई कर सकें तो जैसे राज्य सरकार ने यह अधिकार लिया है कि कुछ जो वित्तीय साधन है वह उसके स्वतंत्र होने चाहिये उसी तरह से कुछ करों पर स्वायत्त शासन का अधिकार होना चाहिये, और उन करों का वर्गीकरण भी किया गया है जोकि उनको दिये जाने चाहिये ।

इस इतने बड़े विधेयक में जो १३ वर्ष बाद लाया गया है और महानगरपालिका के विधेयक के बाद लाया गया है, ऐसी एक भी बात नहीं है जिसमें कहा जाय कि वित्तीय साधन बढ़ाने के लिये हमने जिला परिषद् को यह अधिकार दिये हैं, इस तरह से वह वित्तीय साधन बढ़ावें, सही बात यह है कि जिला परिषदों को अपने काम करने के लिये सरकार का भिखारी हो करके रहना पड़ेगा । एक अंग्रेजी की कहावत है "Beggars cannot be choosers" भीख मांगने वाले कभी स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं । मैंने जहां तक सुना है, मंत्री महोदय मानते होंगे समाजवाद का सबसे पहला उसूल तो यह है कि इकोनोमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिये, आर्थिक स्वाधीनता होनी चाहिये । और इन जिला परिषदों को आर्थिक रूप से बिलकुल पराधीन रख कर स्वाधीनता, समता का जब नाम लिया जाता है, विकेन्द्रीकरण का नाम लिया जाता है तो समाजवाद, विकेन्द्रीकरण और जनतंत्र का उपहास किया जाता है । और तमाशा यह कि उनको तो सम्पत्ति बढ़ाने का साधन नहीं है लेकिन राज्य सरकार ही नहीं जिला मैजिस्ट्रेट जब चाहे तब एमर्जेन्सी बता करके कर सकता है कि जिला परिषद् को कोई आदेश दे कि अमुक कार्य करो और अगर उनके पास पैसा नहीं है, या नहीं करना चाहती तो इस बात के लिये मजबूर होंगी वह, जिलाधिकारी अपने अधिकारी से काम करा लेगा और उसका रुपया जिला परिषद् से ले लेगा । तो इस तरह के बन्धन यह दिखाते हैं कि जिला परिषदों को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा ।

बजट को स्वीकार करने का विधान है, अधिकारियों का जो पहले निमंत्रण था उसका अनभव अध्यक्ष महोदय, मुझे चेयरमैन की हैसियत से हो चुका है । अधिकारियों की मनोवृत्ति भी मुझको मालूम है । मैं एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं जिससे आपका भी थोड़ा सम्बन्ध है । सन् १९३८ में जब मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन था तब वहां के कमिश्नर ने केवल इसलिये बजट को नामंजूर कर दिया था कि उनकी सिफारिश बोर्ड ने नहीं मानी । नियम के अनुसार उन्होंने पहले बजट को वापस किया तीन आइटम्स पर एतराज करके और कहा कि बोर्ड इस पर रीकंसीडर करे । बोर्ड ने रीकंसीडर किया और सर्व सम्मति से अपने पहले निर्णय को कायम रखा । कमिश्नर ने दोबारा रीकंसीडरेशन के लिये भेजा । बोर्ड ने फिर सर्व सम्मति से वही निर्णय दुहराया । इस पर कमिश्नर ने नाराज हो कर बजट को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया यह मनोवृत्ति उन अधिकारियों की होती है जिनके हाथ में सरकार अधिकार देती है । और कारण यह था कि एक घाट का ठेका कमिश्नर साहब के हेड क्लर्क के किसी रिश्तेदार के नाम हुआ था और उसमें बोर्ड को बहुत नुकसान था । तो चूंकि उसको मंजूर नहीं किया गया और दूसरा ठेका करा करके कहीं ज्यादा आमदनी पर उठाया गया, इस पर कमिश्नर साहब नाराज हो गये कि मेरे हेड क्लर्क के रिश्तेतदार को वह ठेका क्यों नहीं दिया गया । इसलिये बजट को स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया । यह अधिकारियों की मनोवृति होती है ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मुझे इस बात पर दुख है और आश्चर्य भी है कि हमारे वर्तमान मंत्री अधिकारियों पर इतना विश्वास करते हैं । समाजवाद में ईश्वर पर तो विश्वास होता नहीं लेकिन मेरा ख्याल यह है कि आस्तिकों को भी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को भी ईश्वर पर इतना विश्वास नहीं होगा जितना आजकल के मंत्री महोदय को अधिकारियों में है । वह यह समझते हैं अधिकारी अच्युत हैं और जो वह करते हैं ठीक करते हैं । इसलिये सम्पूर्ण अधिकार उन्हीं के हाथ में होने चाहिये । तो अधिकारियों से यह प्रेम जनतंत्र, गांधीवाद और समाजवाद के अनुकूल है ? एक ओर तमाशा है एक मामले में स्वतंत्र हैं अधिकारी भी और स्वायत्त शासन संस्थायें भी गबन करने में । और गबन के मामले जब यहां लाये जाते हैं, लखनऊ का मामला पहले लाया गया था और कहा गया था कि उससे अभी तक साल भर में जवाब क्यों नहीं आया, तब वह छुट्टी ले कर चला गया और उसके बाद मुख्य नगराधिकारी को फुरसत नहीं थी कि जवाब ले । इसलिये जनवरी से ले कर जून के आखिर तक ६ महीने के भीतर नहीं आया । तो यह सब बातें होती रहीं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने बतलाया है वह पूरा नहीं हुआ । माननीय मंत्री महोदय अपनी व्यवस्था की बात जानते हैं इन महानगर-पालिकाओं के सम्बन्ध में । उनके पास इस बात की शिकायतें भी आई हैं, शिष्ट मंडल भी मिले हैं और समाचार पत्रों में रोज खबरें आ रही हैं और कानपुर का उदाहरण स्पष्ट है कि मुख्यनगरा-धिकारी और नगर प्रमुख में कैसे अच्छे सम्बन्ध हैं । मैंने निवेदन किया कि कुछ बातें तो इस समय ऐसी हैं कि जो अधिकार पहले भी अधिकारियों को प्राप्त नहीं थे वे इसमें दिये गये हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और जो अधिकार पहले चेयरमैनों को प्राप्त थे वे अब नहीं हैं, खास तौर से सर्विसेज को कंट्रोल करने के बारे में, नियुक्तियों के संबंध में और सजा देने के सम्बन्ध में पूरे अधिकार अध्यक्ष को नहीं हैं । जो कुछ है मुख्याधिकारी को है । जिला परिषदों के पास न साधन है और सत्ता और न कर्तव्य उन पर अनेक थोप दिये गये हैं । माननीय मंत्री महोदय इस पर फिर से विचार करें और इस विधेयक को फिर से वे सुधारें ।

मैं इसका विरोध नहीं करता हूं । कितना भी बुरा हो, बाद में इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन ईश्वर के लिये १२ वर्ष तक आपने जो बोर्डों का चुनाव नहीं कराया है उसका अन्त कीजिये और जनतंत्र का इस तरह से गला न घोटिये । ऐसे बिलों को लाने के बहाने से चुनाव रोके गये । आपने फरवरी, मार्च ६१ तक चुनाव करा दिये तो मैं इस बिल का विरोध नहीं करता बावजूद इसके कि जैसा मैंने कहा इस बिल से जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

***नियोजन उप मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)**---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस बिल पर मुबाहसा जारी है । मैंने जो भाषण यहां पर हुये उनमें से चन्द को मैंने सुना और खास तौर से माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय पालीवाल जी ने जो तकरीरें इस सदन के सामने कीं मैंने उनको बहुत गौर से सुना । जब इस मुबाहसे को मैं सुन रहा था तो ऐसा अहसास होता था कि आम मुबाहिसे के बजाय बिल की सैकिंड रीडिंग पर गौर हो रहा है क्योंकि मुश्किल से कोई ऐसी धारा होगी इस बिल की जिसका पोस्ट मार्टम न किया गया हो और जिसके उपर रोशनी न डाली गयी हो । जो जो यहां विचार प्रकट किये गये मुझे ऐसा लगा कि उनमें से बहुत सी बातें इस वजह से कही गयीं कि इस तरफ जो लोग बैठते हैं या जिनके हाथ में सरकार के चलाने का काम है उन पर विश्वास नहीं है । और ज्यादातर बातें ऐसी भी कहीं गयी जिनसे यह पता लगता था कि जितने अधिकारी और कर्मचारी इस प्रदेश के अन्दर काम करते हैं उनमें से एक आदमी भी इस काबिल नहीं है कि उस पर भरोसा और एतबार किया जाय । मैं किसी अधिकारी या कर्मचारी की तरफ से कोई ओफ नहीं रखता कि मैं उसकी तरफदारी करूं या उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये सफाई दूं, लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूं और वह यह कि गलतियां होती हैं लेकिन एक स्वीपिंग रिमार्क, जनरलाइजेशन की बात अगर कही जाय तो वह किसी के हित में भी अच्छी नहीं होती।

यह बात कही गयी कि यह बिल १२-१३ वर्ष की कोशिशों के बाद इस सदन के सामने आया और फिर जब आया तो एक झुनझुने की हैसियत से आया कि जो झुनझुना बच्चों के हाथ में दे दिया गया कि उससे वे खेलें, उससे कोई कारामद चीज उनको नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि यह बिल १३ साल के बाद पेश हो रहा है, लेकिन अगर पिछले इतिहास पर आप नजर डालें तो यह अन्दाजा होगा कि लोकल बाडीज के कानूनों को बदलने के लिये, उनमें तरमीम करने के लिये वक्तन फ वक्तन बहुत से बिल यहां आते रहे चाहे वह टाउन एरियाज अमेंडमेंट बिल हों, चाहे म्युनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट बिल हो, उसके बाद कारपोरेशन बिल भी हमारे सामने आया, खुद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बदला गया, उसके बाद जब तकाजा हुआ तो अन्तरिम जिला परिषद कायम किये गये और जब यह जिला परिषद का बिल हमारे सामने आया है। यह ठीक है कि इसके आने में कुछ देर हुई लेकिन जो कुछ हुआ वह हुआ पर इस इन्नोसेंट बिल के मुताल्लिक यह कहना कि इसे जनमत के लिये भेज दिया जाय या इसको किसी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, यह कहां तक मुनासिब है? एक तरफ तो यह फरमायश की जाती है कि चुनाव फरवरी में जरूर हो जाय और दूसरी तरफ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इस बिल को जनमत के लिये भेजा जाय और प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। तो ये दोनों चीजें मुतजाद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जिस पर हम गौर कर रहे हैं इसके उसूलों पर अगर हम नजर डालें यह मैं मानता हूं कि जहां तक इसके डिटेल्स का ताल्लुक है उसमें मतभेद हो सकता है लेकिन जिस वक्त सेकेंड रीडिंग का वक्त आये तो तरमीमें पेश हो सकती हैं और उन पर हम गौर कर सकते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि इस बिल के ऊपर चाहे प्रेस में हो, चाहे पब्लिक में हो, इतनी चर्चा हुई है कि इसके बाद इसकी कतई जरूरत बाकी नहीं रही है कि इसको प्रवर समिति में या जनमत के लिये भेजा जाय।

इस बिल पर जो एतराजात हुये उन्हें, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, बहुत गौर से सुना। कल जब माननीय नेता विरोधी दल तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि यह अधिनियम लागू हो जायगा लेकिन एमर्जेन्सी के वक्त यह अधिनियम या इसके कुछ प्राविजन विदड्रा किये जा सकते हैं। इस पर उनको बड़ा सख्त एतराज था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जो दुनिया की स्थिति है, आज जिन हालत में से हम गुजर रहे हैं क्या उसका यह तकाजा नहीं है कि हम ऐसे प्राविजन इस बिल के अन्दर रखें कि अगर, खुदा न करे, कभी कोई ऐसी एमर्जेन्सी आ जाय तो उसका हम फौरी इस्तेमाल कर सकें? क्या यह बात सही नहीं है कि आज हमारी उत्तरी सीमाओं पर खतरा है और उसकी वजह से हमारे यहां तीन नये जिले कायम हुये हैं जिनका इन्तजाम भी एक्सपिडाइट करने के लिये एक मखसूस तरीके पर काम किया जा रहा है। जो मुल्क इन तमाम चीजों का सामना कर रहा हो उसके लिये इस बात की जरूरत है कि वह विजिलेंट रहे, प्रिकाशनरी मेजर्स ले और अपने अन्दर इस किस्म की पावर रखे कि वक्त के ऊपर उन चीजों का मुकाबला कर सके। इस तमाम डिस्कशन के दौरान में जिन जिन दफाओं का हवाला दिया गया है और जिन पर डिटेल्स में बहस की गई है, मैं उस बहस में तो नहीं जाना चाहूंगा, इस लिये कि इसका समय सैकिन्ड रीडिंग में आयेगा लेकिन जो इस बिल के एम्स एन्ड आब्जेक्टस हैं उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा।

यह बात सही है कि एक अरसे से हमारे मुल्क के अन्दर और प्रदेश के अन्दर इस बात का बड़ा सख्त मतालबा होता रहा है कि हम विकेन्द्रीकरण करें। आज हम जिस युग से गुजर रहे हैं वह प्लानिंग और डेवलपमेंट का जमाना है और हमारे यहां प्लानिंग और डेवलपमेंट का

[श्री सुल्तान आलमखां]

काम हो रहा है और इसके मुताल्लिक कुछ शिकायतें हों, कुछ खामियां हों, कुछ एतराजात हों, वह अलग बात है, लेकिन इसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकती हैं कि प्लानिंग और डेवलपमेंट की हमारे मुल्क के लिये सबसे बड़ी जरूरत है और यह हमारे मुल्क के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल है। हमने देखा कि दूसरे सूबों ने भी अपने यहां प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम किया। हम भी अपने सूबे में पहले से इस काम को करना चाहते थे लेकिन हमारा बिल पिछले साल आया और यह सही है कि उसके अन्दर विकेन्द्रीकरण की गुंजायश जिला स्तर तक रखी गई थी। लेकिन यह बात कही गई कि हम इसको जिला स्तर से भी नीचे ले जाना चाहते हैं। चुनान्चे यह बिल जो इस समय सदन के सामने पेश है हमारी जरूरियात को पूरी करता है और हमने विकेन्द्रीकरण स्टेट से लेकर जिला स्तर तक और जिला स्तर से लेकर विकास क्षेत्र तक और विकास क्षेत्र से लेकर गांव पंचायतों तक पहुंचा दिया।

यह भी सही है कि पंचायत राज्य के मामले में हमारा प्रदेश सबसे आगे था और जो इसका नेट वर्क किया गया है हम उसके लिये महसूस करते हैं और यह हमारी पहली स्टेट थी जिसने इस ओर अपना कदम सबसे पहले उठाया। इसके बाद विकास और नियोजन का काम आया तो आपके सूबे में और देश भर में कुछ खंड बनाये गये और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारा तमाम मुल्क इन खंडों से सेचुरेटेड हो जायगा तो जो खंड हमने बनाये थे और उनका काम हो रहा था और वह हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिये होता था, उसके अन्दर विकेन्द्रीकरण के पहुंचाने की जरूरत थी और इस बात की जरूरत थी कि उनको एक स्टैच्यूरी रूप दे दिया जाय क्योंकि अब तक जितने खंड हमारे यहां बने थे वह सब ऐक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये से ही बने थे लेकिन इस कानून से उनको स्टैच्यूट का दर्जा दिया जा रहा है।

इसके अलावा हम विकेन्द्रीकरण के कितने ख्वाहिशमंद हैं इसका इससे पता लगता है कि जब हमें महसूस हुआ कि हमारा बिल जो सदन के सामने पेश है, इसके बनने में और कौंसिल से मंजूरी के बाद और कानून बनने के प्रोसीजर में वक्फा लगे और नये चुनावों में वक्फा लगे इसलिये एक्जीक्यूटिव आर्डर से विकेन्द्रीकरण का ऐलान कर दिया और आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमारे खंडों में या नई कमेटियों के चेयरमैन का इलेक्शन होगा या कहीं होने वाला है। अब तक उनके अन्दर यह होता था कि हाकिम परगना चेयरमैन होता था ब्लाक कमेटी का। लेकिन अब सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि उनका चुनाव कराया जाय और अब वहां का सदर गैर सरकारी आदमी होगा जो उसी विकास खंड का मेम्बर होगा।

जहां तक ग्रांट इन एड के रुपये का ताल्लुक है इसमें फंकशनल सब कमेटीज बना दी गई है और इसके अलावा गांव पंचायत के लेविल पर भी कमेटियां बना दी गई हैं। उनके मेल-जोल से रुपया खर्च किया जायगा। आज जिस विकेन्द्रीकरण के लिये एक्जीक्यूटिव आर्डर से, इस कानून के पहले, इंतजाम किया गया है उसको सोचा जा सकता है और समझा जा सकता है कि विकेन्द्रीकरण की कहां जरूरत है और डिसेंट्रेलाइजेशन की ओर हमारा कदम बढ़ा है या नहीं? दूसरी जगह इस बात को माना गया है कि हमारी सबकी ख्वाहिश है और इस बिल के एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स का मकसद है कि हम डिसेंट्रेलाइजेशन की तरफ जायं और देखें कि हम उस तरफ जा रहे हैं या नहीं। ऐतराज यह किया जाता है कि इसके अन्दर जितने भी अख्तियारात हैं वह सब सरकारी आदमियों के पास होंगे। मैंने इस बिल को कई मर्तबा देखने की कोशिश की मगर यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह भी सुनने को मिला कि जो पिछला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट था उसके अन्दर गैरसरकारी लोगों के हाथ में ज्यादा अख्तियारात थे। लेकिन जो विधेयक हमारे सामने है इसके अन्दर वह अख्तियारात नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इसकी सबसे बड़ी शिकायत माननीय नवलकिशोर को है।

श्री सुल्तान आलम खां—मैं तो सभी से अर्ज कर रहा हूं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह शिकायत है कि सरकारी अधिकारियों के हाथ में अख्तियारात हैं लेकिन यहां तो पंचायतों, खंडों और परिषद की शक्ति और फंकशंस को अलहदा अलहदा डिफाइन कर दिया गया है आपके अधिकारी और कर्मचारी भी उनकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। कोई भी सरकार हो चाहे यह सरकार हो या उधर के बैठने वालों की सरकार हो, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि विकेन्द्रीकरण होने के बावजूद भी यह मुमकिन नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को रुख्सत कर दिया जाय। अगर उनमें से बुरे आदमी होंगे तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। लेकिन विकेन्द्रीकरण के मानी यह हैं, कि उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी न हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

इस बिल को इस नुक्ते नजर से देखिये कि विकेन्द्रीकरण इससे होता है या नहीं और इसमें जो भी अख्तियारात दिये गये हैं उनसे कुछ फायदा उठाया जा सकता है या नहीं। यह भी हो सकता है कि इस बिल के वर्किंग के बाद कुछ दिक्कतें नजर आयें। वह हर इंसानी काम में रहेंगी। एक्सपीरिएंस की रोशनी में उसमें तब्दीली करने का मौका मिल सकेगा। उस वक्त हम तब्दीली भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू से यह कह देना कि यह बिल इतना खराब है कि रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है, यह मुनासिब नहीं होगा। लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है। इस हाउस में हमेशा हर बिल पर कहा जाता है कि यह बिल बेकार है, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता, यह रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। मैं नहीं जानता कि वह कौन से लोग होंगे जो ऐसा बिल बनायेंगे जो हमारे दोस्तों की जरूरतों को पूरा कर सकें। मैं अपने तमाम दोस्तों से, चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के यह अपील करूंगा कि इसको कोआपरेटिव स्पिरिट में लें। इस बहुत बड़े एक्सपेरीमेंट को मदद के साथ चलाने की कोशिश करें और अगर पहले से कोई राय कायम कर लेंगे तो इससे ज्यादा इस मुल्क और सूबे की बदकिस्मती नहीं होगी।

*श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि माननीय मंत्री जी ने संसद के सदस्यों को, विधान सभा के सदस्यों को, सरकारी नौकरों को फलने-फूलने का एक अवसर प्रदान किया है।

मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार सबसे बड़ा पाप और कुकर्म महात्मा गांधी के पक्के चेलों की मार्फत करवाती है। मंत्री जी गांधी जी के बहुत निकट सम्बन्धी हैं। प्रदेश के अन्दर इस बात की काफी चर्चा है कि वह गांधीवादी हैं। मैं भी उनकी तारीफ करूंगा कि उनका व्यक्तिगत चरित्र बहुत अच्छा है। लेकिन जनता के अधिकारों को छीनने का सबसे बड़ा पाप यह सरकार उनसे करवाती है। मंत्री जी ने सबसे बड़ा हमला किया पंचायतों में पंचों और सरपंचों को नामजद करके।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

दूसरा हमला किया विधान परिषद् के सदस्यों के चुनाव में अफसरों के वोट दिलाकर। अब तीसरी बार इस बिल के द्वारा हमला किया है। इसमें १/३ से कम चुनाव के द्वारा सदस्य आयेंगे और २/३ सरकारी अफसर, संसद के सदस्य और विधान सभा के सदस्य, या क्षेत्रीय समिति के प्रमुख वगैरह होंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता के पास अब रह क्या गया है। यों तो यह सरकार कुछ लोगों को परमिट और कोटा देकर जरूर तरक्की दे देती है या कुछ लोगों को नौकरी दे देती है। इससे दो चार लाख लोगों की तरक्की हो जाया करती है लेकिन बाकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूर्मसिंह]

जनता बराबर गरीबी की दलदल में पड़ी हुई है। उस जनता के पास एक ही चीज थी मतदान और उसकी वजह से कभी-कभी कुछ लोग उसके पास जाते थे और उनसे जाकर विनती करते थे कि हमें वोट दो लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने उनसे उस वोट को छीनने की पूरी कोशिश की है। अगर माननीय मंत्री जी वाकई गांधीवादी हैं और गांधी जी के निकट सम्बन्धी हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि इस बिल को पेश करने से पहले इस्तीफा दे देते तो अच्छा था। वह बिनोबा जी के साथ हो जाते या गांधी जी के सिद्धान्तों का प्रचार करते और उनके सिद्धान्तों को अमल में लाने का लोगों से प्रयत्न कराते या सरकार को इस बात का न्योता देते कि सरकार गांधीवादी सिद्धान्तों का प्रचार करके उनको सफल बनाये और प्रदेश में लागू करे।

मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं, माननीय मन्त्री जी से मैं क्या कहूं, हमारे जो उपमंत्री जयराम जी वर्मा हैं, वह भी इस विभाग में हैं, उनके होते हुये भी उन गरीबों के मतदान के हक को किस चालाकी और दांवपेंच से छीना जा रहा है। कम से कम उपमंत्री जी इस बात को महसूस करें। आज उन गरीबों के पास क्या रह गया है। इस वोट की ताकत को उन गरीबों से छीना जा रहा है। अन्तरिम जिला परिषद् में आपने किस तरीके से गठन किया था ? अब विधान सभा के सदस्य और संसद के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य उसके सदस्य होंगे। इसके साथ ५ हरिजन उसके सदस्य रखे जायेंगे जो चुनकर नहीं आयेंगे। आप जानते हैं कि वे चुनकर नहीं आ सकते हैं। अपनी मर्जी से सरकार उनको नामजद करेगी। इसी तरह से महिलायें जो चुनकर नहीं आयेंगी उनको भी यह सरकार नामजद करेगी। वे भी इन की श्रीमती जी ही होंगी। या वे आयेंगी जो सरकार की लाडली होंगी और सरकार के इशारे पर बोलेंगी। उनका समर्थन करेंगी वही वहां पर रखी जायेंगी। विकास का जो अनुभव रखते हैं ऐसे आदमी ५ रखे जायंगे। वे भी सरकार के लाडले ही होंगे। तो फिर जनता की शक्ति क्या रह गई है इस जिला बोर्ड और क्षेत्रीय समिति में। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जैसा कि पालीवाल जी ने फरमाया कि यह झुंझुना जनता को दे दिया है, यह सही है। जनता की कोई आवाज इस जिला बोर्ड या क्षेत्रीय समिति में नहीं होगी। हां, जो सरकार के पालतू लोग होंगे या सरकारी लोग होंगे उनका बोलबाला होगा। उनकी चलेगी। जनता की उसमें क्या चल सकती है।

साथ ही माननीय मन्त्री जी ने इस बात को नहीं सोचा कि सालभर में वह क्या खर्च करते हैं? अगर ईमानदारी से हिसाब लगाया जाय तो माननीय मन्त्री जी सालभर में ७०, ८० हजार रुपया खर्च करते हैं। यहां पर सलाह दी गई है कि ६०० रुपये सालाना की आमदनी पर टैक्स लगा दिया जाय। आपका जीवन तो ७०, ८० हजार में चले और एक मजदूर या गरीब आदमी जिसकी आमदनी ६०० रुपया सालाना है, उस पर १८ रुपया टैक्स लगे, यह कहां का न्याय है ? क्या इसी तरीके से देश में समाजवाद आयेगा ? माननीय मंत्री जी ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि बड़े शहरों की सजावट हो, बड़े बड़े लोगों को सुख सुविधा के साधन जुटायें लेकिन जो गरीब मुश्किल से अपना निर्वाह करते हैं उनकी रोटी छीनी जाय। यह ६०० रुपये सालाना की आमदनी क्या होती है। एक मंहगाई के जमाने में एक बीबी और २, ३ बच्चे ४, ५ सदस्य हों तो ५० रुपये महीने में सूखा गल्ला भी नहीं खा सकते हैं। मैं जयराम वर्मा जी से भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस विषय में ध्यान दें क्योंकि आप इस विभाग के उपमंत्री हैं कि ६०० रुपये सालाना यानी ५० रुपये मासिक में आजकल मंहगे जमाने में जबकि गेहूं का भाव २ सेर का है तो ६, ७ आदमियों के परिवार वालों की गुजर इतने में कैसे हो सकती है। कभी आपने इस पर सोचा कि आप किन आदमियों पर टैक्स लगाना चाहते हैं। मेहरबानी कर के कम से कम सोशलिस्ट पार्टी ने जो कुछ आपके सामने रखा है कि सौ रुपये मासिक से कम की जिनकी आमदनी है उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये किसी तरह का उसे तो आप ध्यान में रखिये। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह ६०, ७० हजार रुपया साल

में खर्च हैं इसलिये कम से कम वह ६०० रुपये वाले मास्टर की ओर तो नजर न डालें। तो इस लिये २,००० रुपये से कम की जिनकी आमदनी हो उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये।

अब रही विकेन्द्रीकरण की बात। आप जितने भी बालिग हैं उनके हाथ में सत्ता सौंप रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह विकेन्द्रीकरण नहीं है, बल्कि इस बिल में तो यह सरकार केन्द्रीकरण कर रही है और सोलहों आना केन्द्रीकरण कर रही है। यह गांधी जी के निकट संबंधी जो मंत्री जी हैं उन्होंने जनता के हाथ में जो ताकत थी उसे भी इस बिल द्वारा छीनने की कोशिश की है।

चौखम्भा राज्य के आधार पर यह विधेयक पास किया जाना चाहिये था। गांव सभा को राज्य की इकाई मान कर सारे अख्तियार गांव सभा को दिये जाने चाहिये थे। लेकिन बीच में क्षेत्रीय समिति को डाल दिया गया है ताकि वह गांव सभा का सभापति उन लोगों की खुशामद करे और जो ग्राम निसा स(उन लोगों की खुशामद करे उनको तो क्षेत्रीय संचालक सारे अनुदान और सहायता दें और बाकी लोगों को किसी प्रकार की सहायता न मिल सकेगी। जो लोग क्षेत्रीय समिति के लाडले होंगे वही सहायता तथा अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये चौखम्भे के आधार पर सरकार की आमदनी गांव सभा को मिलनी चाहिये थी। वह १/४ हिस्सा जिला बोर्ड को मिलना चाहिये था और यदि इस प्रकार का विधेयक पास होता तो कम से कम गांव की इकाई को पूरी ताकत मिलती और अधिकार होता कुछ उसको और वह इस देश की उन्नति कर सकते थे। लेकिन इस विधेयक में ऐसा मंत्री जी ने नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें। जैसा अभी सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि विरोधी लोग कहते हैं कि इस विधेयक को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय, यह उसी के काबिल है और इसको पास नहीं होना चाहिये और अगर विरोधी दलों में हिम्मत होती तो वे मंत्री जी के बंगले को घेर लिये होते और जनता भी उनके बंगले को घेर कर उनसे कहती कि यह रद्दी की टोकरी के काबिल ही विधेयक है। इसको पास न किया जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इसको वापस लें और कोई दूसरा इससे अच्छा विधेयक हमारे सामने लायें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण का भी अपना एक इतिहास होता है। १९४७ में पंचायत राज्य ऐक्ट जब बना, तो वह लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के लिये एक पग था। काशस रिफार्मर्स आल-वेज सक्सीड। लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण पर एकबारगी उतर आयें ऐसा संभव नहीं होता। १९५० में वयस्क मताधिकार पर जब देश का संविधान बनाया गया तो उस समय भी हम विकेन्द्रीकरण की ओर चल रहे थे और उसी की पृष्ठभूमि में हमारे प्लानिंग कमीशन ने मेहता कमेटी का निर्माण किया था। १९५७ में मेहता कमेटी ने राज्य सरकारों को जो संकेत किया था उस के अनुसार इधर विचार चला और जिला परिषदों का निर्माण हुआ। १९५९ में उसका विधेयक जब यहां लाया गया था तो उसमें यह हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि देश के साथ हम नहीं चल रहे थे। यहां के विचारकों का यह ध्यान था कि खंड क्षेत्रों के ऊपर आज अच्छे व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति नहीं मिलते हैं और इस कारण से ग्राम सभाओं में, खंड स्तरों में और जिला परिषदों में सह-संबंध स्थापित नहीं था और न वहां के सदस्यों में कोई संबंध था और इस कारण से उस विधेयक को वापस लेना पड़ा था और इस समय जो हमारे सामने १४ अध्याय, २७३ धाराओं का और ८ उपखंडों का विधेयक आया है इसके अन्तर्गत हमें खंड स्तरों पर अपनी योजना बनाने का अधिकार दिया गया है।

इसके ऊपर जितने भी भाव प्रकट किये गये हैं, जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने अपने विचार अधिकांश में विधेयक की धारा १० और २००–२२५ के ऊपर किये हैं। इमर्जेंसी काल के समय, उसकी स्थिति पर मेहता कमेटी ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं।

[श्री रामलखन मिश्र]

उन्होंने भी ऐसे समय में जिला अधिकारियों की ओर संकेत किया है कि इमरजेंसी के समय ऐसा ही विधान बनाना चाहिये। किसी भी माननीय सदस्य ने यह संकेत नहीं किया कि इमरजेंसी के समय क्या विधान बनाना चाहिये, लोकतंत्रीय पद्धति के अनुसार कौन सी कमेटी बनानी चाहिये। इस ओर किसी भी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कोई संकेत नहीं किया। मेहता कमेटी का नाम लिया जाता है, मेहता कमेटी ने इसका पर्याप्त संकेत किया है और उसी की भावनाओं के अनुसार इस विधेयक में जिला मैजिस्ट्रेटों को और कमिश्नरों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। हमारी शासन मंडली में, कमिश्नर का विभाग वह विभाग है जहां पर जाकर सारे विभागों का एकीकरण हो जाता है। मैं इसको नहीं मानता हूं कि यह विधेयक पूर्णतः स्वतंत्र विधेयक है, किन्तु मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्रात्मक की जो बात कही जाती है वह लोकतंत्र एकदम से नहीं लाया जा सकता, उस ओर कोई भी एकदम से कदम नहीं उठाया जा सकता। यह तो एक प्रयोगात्मक विधेयक है। अगर इससे हमारे कार्य सफल हुये तो इसका और भी विस्तार किया जा सकता है। इस कारण संदेह की दृष्टि हमें इस विधेयक पर नहीं जमानी चाहिये।

इस विधेयक के अन्दर ग्राम सुधार की योजना बनाने का पूर्ण अधिकार है, खंड स्तरों पर भी देखभाल का पूरा अधिकार है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिये। जिला परिषद् में खंड स्तर पर जो प्रतिनिधि आयेंगे उनका भी काफी मात्रा में इस विधेयक के अन्दर विचार किया गया है। मैं दोहराना नहीं चाहता अपनी बात को, इसके अन्दर सबसे बड़ा संकेत इस बात का है कि इमरजेंसी के समय हमको ऐसा विधान बनाना चाहिये। इस सम्बन्ध में किसी भी माननीय सदस्य ने अपनी राय नहीं बतलाई कि ऐसे समय में कौन सी पद्धति अपनानी चाहिये। किसी ने ऐसा संकेत नहीं किया कि ऐसे समय में लोकतंत्र पद्धति के अनुसार कौन सी कमेटी बनायी जाय। कौन सी ऐसी कमेटी बनायी जाय जो इमरजेंसी के समय उसको अपने हाथ में ले।

अधिष्ठाता महोदय, इस सारे विधेयक को देखने के पश्चात् मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक में हमारे लिये कार्य करने को बहुत से साधन हैं और उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार में, आदर्श रूप में न तो ऐसा विधेयक लाया जा सकता है और न उसके अनुसार कार्य ही किया जा सकता है। हमको देश में धीरे-धीरे क्रांति लानी होगी और जितने भी हमको यह अधिकार देने होंगे, चाहे वह ग्राम स्तर पर हों, चाहे खंड स्तर पर हों, उन पर काफी विचार करना होगा और विचार करने के उपरान्त ही उनको देखना होगा कि उनको किस प्रकार से रखें। यह सब कार्य धीरे-धीरे ही होगा। चूंकि और माननीय सदस्य भी बोलने के लिये इच्छुक हैं, मैं इस विधेयक की ओर पर्याप्त संकेत कर चुका हूं, इस कारण और विस्तार में नहीं जाऊंगा, और इतना कह कर बैठ जाता हूं।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक परसों से जेरे बहस है। मुझे हुस्न-इत्तफाक से शर्मा जी के साथ म्युनिसिपल कारपोरेशन कमेटी में रहने का इत्तफाक हुआ है, जिससे मुझे अन्दाजा हो रहा है कि वह एक काम तो करना चाहते हैं लेकिन उसे कर नहीं सकते। अभी चन्द रोज पहले इसी सदन में एक विधेयक जिला परिषद् का प्रस्तुत किया गया था। वह विधेयक एक कमेटी के सुपुर्द किया गया था, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वह विधेयक नाकामयाब साबित हुआ। उसके बाद यह दूसरा विधेयक हमारे सामने मौजूद है।

मुझे बड़ी हैरत होती है जिस वक्त यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि हमने पावर सत्ता को छोटे स्तर तक पहुंचाया है, गांव में पहुंचाया है और राहत दी है और यही उसूल रहा है। अब खैर साहब के जमाने में एक खेर कमेटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट आया हुई जिसमें कि मिस्टर सुल्तान आलम खां भी थे गालिबन और माननीय भारतीय जी भी थे। उस वक्त यह कहा गया था कि हम चाहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जितनी भी लोकल बाडीज हैं इनमें आटोनामी लायी जाय, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर आदि के अधिकारों को कम किया जाय। लेकिन ताज्जुब होता है कि जब हम देखते हैं कि कहीं भी इस आटोनामी का इतना खून कहीं नहीं हुआ है जितना कि इस बिल में हुआ है। यह भी कहा गया था कि सरकार किसी भी हालत में डिजालवेशन और सुपरसेशन नहीं करेगी, लेकिन जैसा कि मि० सुल्तान आलम खां ने कहा कि पोस्ट मार्टम सेक्शंस का हो रहा है, वह सेक्शंस का नहीं हो रहा है, अगर इस बिल का हो जाय तो बड़ा अच्छा हो। लेकिन ८-१० मिनट के कलील वक्त में जबकि वेल कंसीडर्ड ओपीनियन के बाद यह बिल पेश किया गया है, हमारे लिये इतना मौका नहीं है कि हम इस पर सही राय जनी कर सकें।

खेर कमेटी में था कि किसी हालत में सुपरसेशन न हो, यह २३२ बिल की धारा में था। स्टेट गवर्नमेन्ट की ओपीनियन में, या तो कोई रेप्रेजेन्टेशन करे, न भी करे, सरकार की समझ में यह बात आ जाय कि फलां जगह का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठीक काम नहीं कर सकता तो उसको डिजाल्व और सुपरसीड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि जिस चीज को गांधी जी के जमाने में कहा जाता था कि बुरी बातें हैं, आज अपने राज में मुस्तहकम तौर पर वही कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बचे हुये हैं, मेरी समझ में वह इससे हजार गुना बेहतर है, उनका डाइरेक्ट चुनाव होता है। इसमें कुछ प्रमुख हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोआप्ट किया जायगा और उसी में जो सब-क्लाज है उसमें दिया गया है कि ७ वें क्लाज के मातहत किस शक्ल से लोग चुनकर आवेंगे---जो डायरेक्ट एलेक्शन से होगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उनकी तादाद आधे से ज्यादा नहीं हो सकती। चुने हुये आदमियों को ऊंगलियों पर गिना जा सकता है। इस तरीके से डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का खून किया जा रहा है। कहीं पर पता नहीं चलता है कि यह डेमोक्रेसी है। हम किस सीमा पर जा रहे हैं और हर वक्त कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम और भी ज्यादा हाथ मजबूत कर रहे हैं सरकारी अफसरों के कि जो भी नीति होगी जिला बोर्ड की उसमें सरकारी अधिकारी बोलेंगे। कहा गया है कि क्षेत्र समिति में सभापति होंगे, लेकिन ब्लाक की मीटिंग में सभापति की क्या हालत होती है। उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। यहां भी सभापति आकर बैठ जायेंगे और कुछ लोगों को चुन कर भेजेंगे। वहां भी जाकर सरकारी अफसर डिस्कशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इमर्जेन्सी पावर्स आज भी हैं।

इसके अलावा जब भी बजट पेश होगा उसको कमिश्नर चाहे तो आल्टर कर सकता है। वह जो चाहे रिकमेंडेशन करेगा। और अगर उसकी बात न मानी जाय तो उसको अधिकार होगा कि वह अपनी बात को मनवा ले। इस तरह से आप किसी चैप्टर को उठाकर देख लें और फिर इसके उद्देश्य और कारणों को देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि वह कहां तक पूरे होते हैं। अपोजीशन पार्टीज ने आवाज उठायी कि उसको सेलेक्ट कमेटी न भेजा जाय, उसका एक कारण है कि १२ साल से अभी तक चुनाव नहीं हो पाये हैं। इसलिये सरकार से कहा गया कि सरकार उसको जल्दी से पास कर दे, चाहे गुलोटिन करा कर ही क्यों न हो, जिससे इलेक्शन जल्दी हो जाय। लेकिन मेरा ख्याल है कि सन् ६२ से पहले इलेक्शन होगा नहीं। अगर उन्होंने एलेक्शन करा लिया तो मैं समझूंगा कि एक मिरेकिल हो गया है। उसमें एक सेक्शन है कि अगर किसी ने ६ महीने से ज्यादा व्यवसाय किया है तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है और जबकि शहरों में ३२-३३ सौ पया पर टैक्स लगाया जाता है, देहात में ६०० रुपया पर लगाया जा रहा है। किसी भी चैप्टर को आप उठाकर देख लीजिये आपको यही मालूम होगा कि बजाय इसके कि जनता को अख्तियारात दिये जा रहे हों, जनता को सरकार पर विश्वास नहीं है और सरकार को जनता पर विश्वास नहीं है, इसलिये कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारियों को अधिकार दिये जा रहे हैं।

[श्री शिवराजबहादुर]

वित्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा ? उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होगी । मैं पूछता हूं अध्यक्ष किस लिये है ? बोर्ड किस लिये हैं । पुराने जमाने में जिस प्रकार से अंग्रेजी फौजें राजाओं और नवाबों के यहां रहती थीं और खर्चा वे ही लोग देते थे । राजा नवाब समझते थे कि हम खर्चा देते हैं, इसलिये फौज हमारा साथ देगी लेकिन होता इससे बरअक्स था । इसी तरह से अधिकारी मुकर्रर होगा गवर्नमेन्ट की तरफ से और उसका खर्चा देगी क्षेत्रीय समिति या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड । नतीजा यह होगा कि ये अधिकारी उन की परवाह बिलकुल नहीं करेंगे । अध्यक्ष को कारटून बना कर रख दिया गया है । उसको कोई ताकत नहीं है । २०० रुपये से ऊपर का कोई एप्वाइन्टमेन्ट वह नहीं कर सकता है । उसके लिये एक कमीशन होगा और उस कमीशन और बोर्ड के जरिये से एप्वाइंटमेंट किये जायेंगे । अगर कोई झगड़ा हुआ तो आगे को रिफर किया जायगा इसमें कहीं भी डेमोक्रेसी की झलक नहीं मालूम पड़ती ।

इसके अलावा शुरू में अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि किसी चेयरमैन के खिलाफ नो-कांफ्रीडेंस मोशन लाने के लिये अमूमन बहुमत की जरूरत होती है लेकिन इसमें बहुमत का जिक्र नहीं किया गया है बल्कि दो-तिहाई आदमियों का जिक्र किया गया है । दो-तिहाई वोट उस मोशन के फेवर में जरूर होने चाहिये । आज असेम्बली में यह नियम है कि १/५ सदस्य अदमऐतमाद का सवाल पेश कर सकते हैं लेकिन अगर जिला बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ यह सवाल लाया जाय तो कम से कम तिहाई आदमियों के दस्तखत होने जरूरी हैं । यह तादाद बहुत ज्यादा है । इसलिये सही मानी में डेमोक्रेसी लाने के लिये यह जरूरी है कि तिहाई से बहुत कम होना चाहिये इसमें जितने भी चैप्टर शुरू से आखिर तक हैं उनको पढ़ने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो बुनियादी चीज यानी डेमोक्रेसी हैं, उसको इस बिल में नजरन्दाज कर दिया गया है । इसलिये जरूरत है कि एक ऐसा बिल सामने लाया जाय जो अच्छा हो और हमारी बहुत सी जरूरतों को पूरा करे लेकिन अगर इसको शुरू से आखिर तक देखा जाय जिसका इस वक्त मौका नहीं है तो इसमें ऐसे नुक्स हैं जिनका इन्तहा नहीं है यह कहा जाता है कि हम यह चाहते हैं कि आटोनामी हमारे जिला बोर्डों के जरिये से लायी जाय, बालिग मताधिकार हो, लोगों के दिमागों में रोशनी आवे और आगे चलकर जिससे यह डिस्ट्रिक्ट बोर्डस कारामद हो सकें लेकिन इस बिल में तो इसकी झलक नहीं आती । माननीय मंत्री जी जिन बातों को मैंने कहा है उन पर गौर करें और जिस वक्त खंडों पर विचार हो उस वक्त बड़ी फराखदिली से अमेंडमेंट्स को मंजूर करें ताकि इसमें कोई खामी न रह जाय । ऐसा न हो कि बार-बार अमेंडमेंट ही आते रहें और मुहम्मद तुगलक की तरह से देवगिरि से दिल्ली और दिल्ली से देवगिरि जाते आते रहें । उस वक्त तो हवाई जहाज भी नहीं थे लेकिन आज तो हवाई जहाज भी हैं । इसलिये अगर आप आज इस बिल को ठीक से नहीं मंजूर करते हैं तो मैं कहता हूं कि इस सरकार के लिये बड़ा खतरा है और वह ऐसी गलती करेंगे जिसके लिये उनको माफ नहीं किया जायगा और जो हम करना चाहते हैं उससे हम वंचित रह जायेंगे ।

*श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय स्वशासन मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बिल पेश किया है जिसके लिये बहुत दिनों से इंतिजार हो रहा था । सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात से हुई है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि फरवरी तक वे चुनाव करा देंगे । हमें इस बात से तसल्ली है कि हमको जिलाधीश के अधिकारों से जल्दी ही नजात मिलनेवाली है ।

विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत जोर दिया है कि इस बिल में लोगों से मतदान का हक ले लिया गया है । मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता । जितने भी लोग चुनकर आयेंगे जिला परिषद् में या क्षेत्रीय समितियों में वे एलेक्शन से ही चुनकर आयेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहे वे ग्राम सभा के प्रधान की हैसियत से चुनकर आवें या सीधे ब्लाकों से चुनकर आयें या टाउन एरिया वगैरह से चुनकर आयें किसी न किसी प्रकार चुनकर ही आयेंगे और उनको जनता के सही नुमाइन्दे समझना चाहिये। कोई असेम्बली का मेम्बर हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो या जो सीधे मतदान से चुनकर आते हैं वे जनता के सही नुमाइन्दे ही होते हैं।

एक सदस्य ने इस बात का बड़ा घोर विरोध किया कि सरकार ने इसमें नामांकन की प्रणाली रखी है और उसके द्वारा महिलाओं और हरिजनों को अपनी मर्जी के मुआफिक चुन लेगी और उससे जिला परिषदों में सरकारी पार्टी का बोलबाला रहेगा। मैं उनका ध्यान जिला परिषद् बिल की ओर ले जाना चाहता हूं कि नामिनेशन का कहीं भी प्राविजन इस बिल में नहीं है, कोआप्शन का प्राविजन है। कोआशशन जिला परिषदें करेंगी इसलिये सरकार का इसमें हाथ नहीं रहता कि सरकार जिन लोगों को चाहे नामिनेट कर देगी। यह भी सही है कि बिल जो पेश किया गया है उसमें विकेन्द्रीयकरण एक बहुत बड़ा कदम है लेकिन साथ ही उसमें कुछ खामियां मेरी नजर में हैं। जब भी कोई बिल पेश होता है तो यह तो मुमकिन नहीं है कि सारे पहलू पहले से ही देख लिये जायं और यह मुमकिन हो सके कि वह बिलकुल मुकम्मिल हो सके और उसमें कभी अमेंडमेंट ही न आये। जैसे-जैसे प्रैक्टिकल कार्य होते हैं उनके आधार पर अमेंडमेंट लाना आवश्यक होता है और इसीलिये विधान सभायें और संसद बने हुये हैं कि जो भी दिक्कत सामने आये उनको अमेंड करके बिल को ठीक किया जाय।

कुछ चीजें मोटी-मोटी हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे मुख्य बात यह है कि जिला परिषद् के मुख्याधिकारी को बहुत से अधिकार दिये गये हैं। साथ ही बिल में प्राविजन है कि अगर जिला परिषद् का अध्यक्ष या क्षेत्र समिति का प्रमुख कार्य ठीक न करे और लोगों को उस पर विश्वास न रहे तो उसको अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन इस बिल में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि परिषद् या क्षेत्रीय समिति वहां के क्षेत्राधिकारी या मुख्य कार्याधिकारी के कार्य से सन्तुष्ट न हो और उसका कार्य ठीक न हो तो वह किसी प्रकार से भी उसको हटा सके। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर इसमें एक धारा यह भी रख दें कि अगर मुख्य कार्याधिकारी या क्षेत्राधिकारी के सम्बन्ध में वहां की परिषद् या क्षेत्रीय समिति बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि उनके कार्यों से वह असन्तुष्ट है तो उनको तुरन्त वहां से हटा दिया जाय।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह भी बतला देना चाहता हूं कि विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले में सबसे पहला कदम राजस्थान ने उठाया और राजस्थान हमारे प्रदेश के मुकाबिले में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ प्रदेश है। अभी पिछले दिनों में राजस्थान गया था तो वहां की बातें देखकर मुझे पता चलता है कि इस बिल में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा असर है। वहां के बी०डी०ओ० का कांफिडेंशियल रिपोर्ट वहां का प्रमुख लिखता है। श्रीमन्, सब से खास बात यह है कि वहां का बी०डी०ओ० यानी क्षेत्राधिकारी कोई आई०ए०एस० आफिसर होता है जिसकी कांफिडेंशियल रिपोर्ट वहां का प्रमुख लिखता है। इतना बड़ा अधिकार तो वहां की सरकार ने अपने यहां के प्रमुखों को दिया है लेकिन यहां के जिला परिषद् के अध्यक्षों का सम्बन्ध ज्यादा कर्त्तव्यों और अधिकारों से ही है। वहां पर जो धारा है उसमें लिखा हुआ है—अध्यक्ष और प्रमुख के अधिकार तथा कर्त्तव्य। तो अधिकार तो नहीं लिखा है लेकिन प्रमुख और अध्यक्ष की ड्यूटीज जरूर लिखी हुई हैं। कर्त्तव्य ज्यादा हैं लेकिन अधिकार उसका कोई नहीं है ड्यूटीज भी कम हैं, जैसे मीटिंग को प्रिसाइड करना या और किसी दूसरे मामले में इंटरफियर करना। दूसरी जगह जहां मुख्य कार्याधिकारी और क्षेत्राधिकारी के अधिकार का वर्णन है वहां पर जो हेड नोट लिखा हुआ है—मुख्य कार्याधिकारी के अधिकार तथा कर्त्तव्य तो अधिकार तो कम ही हैं और सब कर्त्तव्य ही कर्त्तव्य हैं। तो इन सब चीजों से साफ जाहिर है कि अध्यक्ष और प्रमुख को केवल नाममात्र के लिये सदारत का अधिकार है और सारा का सारा अधिकार दिया गया है मुख्य कार्याधिकारी को या क्षेत्राधिकारी को। इससे पूर्व जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस थे या अभी नगरपालिकायें जो मौजूदा कार्य कर रही हैं उनके अध्यक्ष को अधिक अधिकार हासिल है। लेकिन जिला परिषद् के

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

विकेन्द्रीकरण के लिये एक बहुत ही आवश्यक कदम है जो माननीय मंत्री जी ने उठाया है, उसमें सारे के सारे अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दे दिया गया है।

मैं एक चीज की ओर और माननीय सदन का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं, जहां कि यह लिखा हुआ है जिला परिषद् और क्षेत्रीय समिति के ये ये लोग सदस्य होंगे, वहां पर हमारे राज्य विधान सभा के सदस्य, कौंसिल के सदस्य और संसद के सदस्य भी उसके सदस्य । कुछ मेम्बरों ने कल ऐसा कहा कि उनको वोट का राइट नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वोट देने का राइट उनको है लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या क्षेत्रीय समिति के प्रमुख के रूप में वे नहीं चुने जा सकेंगे। यह सही है कि ऐसा होना चाहिये क्योंकि डुप्लीकेशन आफिस की कोई आवश्यकता नहीं है और न इसके लिये उन लोगों को इतना समय है कि वे उस कार्य को ठीक से देख सके लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह चाहता हूं कि इसमें वे इतना और कर दें कि म्युनिसिपैलिटीज के प्रेसिडेन्ट्स, और नोटीफाइड एरियाज तथा टाउन एरियाज के प्रेसिडेन्ट्स भी इस पद के लिये खड़े नहीं हो सकेंगे। क्योंकि इस समय भी नगरपालिका के अध्यक्ष जिला बोर्ड के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि नगर पालिका का अध्यक्ष टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया का अध्यक्ष भी दो-दो पदों पर अध्यक्ष के रूप में बना रहे, यह मुनासिब बात नहीं होगी। इसलिये इसके ऊपर भी रुकावट लगा देनी चाहिये। कि इन पदों पर वे न जा सकें।

इसके अलावा इस बिल की धारा २३१ और २३६ में लिखा हुआ है कि किस तरह की सदस्यों में अयोग्यता होने पर वहां से उनको निकाला जा सकता है। इस बिल की धारा २३६ की उपधारा (२) (क) में अयोग्यता का जिक्र है कि यदि किसी में शारीरिक या मानसिक कमी आ जाय तो उसको सेवा से वंचित कर दिया जायगा। इतना बड़ा अधिकार देना कि केवल शारीरिक या मानसिक कमी हो जाय, वह किसी को भी कहा जा सकता है कि फलां आदमी अयोग्य है और उस को सदस्यता से अलग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह का अधिकार देना उचित न होगा। इसमें साफ लिखना चाहिये कि यह-यह रोग हो जायं तब समझा जायगा कि कोई अयोग्य हो गाय या किसी बोर्ड की नियुक्ति की जाय, या किसी खास स्टेट्स के डाक्टर का सार्टिफिकेट इसके लिये हो तब किसी को अयोग्य माना जाय। इस तरह की चीज रखना ज्यादा उचित होगा।

आगे धारा २३१ की उपधारा (१) व(३) में लिखा है कि अगर कोई सदस्य जिला परिषद की सदस्यता के लिये निर्वाचित किया जायगा तो वह जिस नगरपालिका का अध्यक्ष या नोटिफाइड एरिया का अध्यक्ष होगा वह उस आफिस से भी अलग समझा जायगा। जब और किसी पर ऐसी बंदिश नहीं है वह यहां के सदस्यों पर नहीं है ग्राम सभा के प्रधानों पर नहीं है तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता है कि अगर कोई नगरपालिका का अध्यक्ष होगा तो उसका पद रिक्त समझा जायगा। इस तरह की चीज में मुनासिब नहीं समझता।

इसके अलावा जिलाधीश को जो अधिकार दिये गये हैं वे भी इतने अधिक हैं कि मैं समझता हूं कि उन के कारण जिला परिषद् के सदस्य ठीक से अपना काम नहीं चला सकेंगे। धारा २३५ में जो अधिकार दिये गये हैं उनमें यह है कि वह निर्देश भी परिषद् को दे सकते हैं, यह सुचारु रूप से इन इकाइयों का काम चलाने के लिये ठीक नहीं है। इससे वहां के रोज के कार्य में दिक्कतें होंगी।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, यह बिल इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद जब हमारे सामने प्रस्तुत किया गया तो हमें यह पूर्ण आशा थी कि इस में एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जीवन होगा, कुछ सार होगा। लेकिन हमें दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह निःस्सार बिल है और गौरव की वस्तु नहीं है और विशेषकर हमारे मंत्री जी के लिये तो यह लज्जा से सिर झुकाने की चीज है कि वह ऐसा बिल यहां प्रस्तुत करें। आज इस बिल का महत्व वह नहीं समझ पा रहे हैं, आज के इस विवाद के स्तर से यह देखा जा रहा है कि हमें उतावलापन है कि एलेक्शन जल्द हो जाय और यह उतावलापन है कि जितने दिन भी हो सके हम कुर्सी पर आरूढ़ रहें और वहां से अपना सिर न हटावें। सबसे बड़ी कसौटी यह है कि देखा जाय कि आप लोकल बाडी को इतनी एक्सटेंसिव पावर्स देने की बात करते हैं लेकिन इस बिल में आप देखें कि जिलाधीश और कमिश्नर उन्हीं अधिकारों से सम्पन्न हैं। सरकार जब चाहे किसी भी जिला परिषद् के सदस्य को निकाल सकती है, ठीक है उन वजूहात में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक इतिहास है, इंगलैन्ड यूनाइटेड किंडम, वेल्स और स्काटलैंड जहां के नमूने पर हमने अपनी इन संस्थाओं को ढालने का प्रयास किया है। मैं यह कहूंगा कि आज भी इंगलैन्ड में और वेल्स में ४७४ रूरल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स हैं और उनके पास सुरक्षा विभाग भी है, उन्हें पुलिस के भी अधिकार हैं और गवर्नमेंट के एप्रूवल से वह अपना लोन भी रेज कर सकती हैं। इस जगह देखने में क्या आ रहा है? अधिकार जिला परिषद् का कहीं नहीं बढ़ा है, अगर बहुत देखा जाय तो पंचायत सेक्रेटरी की मुअत्तली, तकुर्ररी, बहाली, यह अधिकार उनको दिया गया है। दूसरी जगह, जिलाधीश महोदय एक फरमान भेजते हैं। वह न मालूम कोई नादिरशाही फरमान होगा या क्या होगा। संभवतः आपने ही फरमाया था, श्रीमन्, कि एडवोकेट जनरल को भी यह हक है कि इस सदन में आकर संबोधित कर सकें। किसी हाउस में आकर बोलने का अधिकार एक चीज है और डाइरेक्टिव इश्यू करना एक दूसरी चीज है। आपको भी श्रीमन् म्युनिसिपैलिटी का तजुर्बा है, कोई सिविल सर्जन, हेल्थ आफिसर, भाग ले सकता था, लेकिन आदेश नहीं जारी हो सकता था।

इस बिल में जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है वह यह है कि एम०एल० ए० दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी दोनों ही इस विधान सभा के सदस्य हैं एक्स आफीशियो मेम्बर जिला परिषद् का और क्षेत्रीय समिति का रहेगा, लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन सा अधिकार है? एम०एल० ए० हो या न हो मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद का सदस्य हो सकता है तो संविधान में वह कौन-सी जगह है जहां पर उसके इस मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है? यह बात अगर चैलेंज हो तो इस हाउस में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय। आर्टीकिल २२६ क्या कांस्टीट्यूशन का लुप्त हो गया है? आर्टीकिल ३२ में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैं अगर होऊंगा तो जरूर जाऊंगा। क्या माननीय मंत्री जी ने यह समझा था कि कांग्रेस पार्टी के लिये कोई विधान बना रहे हैं? जब कानून पूरे सूबे के लिये हो तो उसे इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है।

हमारे सुल्तान आलम साहब जब इस पर तकरीर फर्मा रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यह क्या प्लानिंग के बजट पर कोई बहस कर रहे हैं। उन्होंने ब्लाक डेवलपमेंट में दो उप-समितियां बनवा दी हैं, नान-आफिशियल उसका चेयरमैन हो जायगा, इससे इस विधेयक का क्या प्रयोजन है? अगर आज इमरजेंसी है तो एक लोकल बाडीज ऐक्ट नहीं, १०-२० ऐक्ट आपको रद्द करने होंगे और किस दिन के लिये राज्यपाल महोदय हैं जब आर्डिनेंस की जरूरत नहीं तब तो आर्डिनेंस आते हैं और जब इमर्जेंसी होगी तो क्या उनकी पावर्स लुप्त हो जायेंगी?

कुछ माननीय सदस्य दौराने बहस अजीबोगरीब बातें बताते रहे। कुछ साहबों ने यह कहना शुरू किया कि पावर्स जो हैं वह घटाई कहां जा रही हैं, बल्कि समय-समय पर पावर्स दी जा रही हैं। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि जो गांव सभा अपनी जगह पर कुछ अधिकार रखती थी, उसके लिये भी यह परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी व्यावहारिकता में

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

जबकि यह देखा जायेगा कि जिला परिषद् उनके कामों में भी हस्तक्षेप कर सकेगी और अगर किसी को इस पर शिकायत हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बिल के पृष्ठ ११० पर अनुसूची के आइटम्स ४१ और ९० देखें, मेरा मतलब है कि जो पावर्स हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड में, दोनों में हुआ करती थी और उनके रिजोल्यूशन्स डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अगर समझें कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उनका ऐग्जीक्यूशन्स रोक सकता था। यह तमाशा गांव सभाओं में भी मौजूद है। वहां ऐसी कौन-सी चीज आ गई। शहर में हो सकता था कि सेंटीमेंट्स का सवाल हो, स्लाटर रोका जा सकता था लेकिन गांव सभाओं को जो अधिकार दिये गये हैं वे न्यून होंगे और पावर्स अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है लिहाजा ओवर लैपिंग आफ पावर्स होगा। इंगलैन्ड में जहां आर्थिक सुविधायें दी गई हैं साथ ही साथ उनकी पावर्स बहुत क्लीयरली डिफाइंड हैं। आपने स्वयं कहा कर्मचारियों के अधिकार और अध्यक्षों के अधिकार में वह झगड़े होंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं है।

अब मैं टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। प्रापर्टी और सर्कम्सटांसेज टैक्स जो हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के अनुभव होंगे वह जानते भी हैं, चाहे आप १ लाख या ४ लाख टैक्स लगावें सही वसूली उसकी बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिये मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि ५० रुपये पर तीन नये पैसे कर ऐसा कर होगा जिससे लोगों की कमर टूट जायगी और फायदा किसी को नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इसको सेलेक्ट कमेटी में तो भेजने के पक्ष में नहीं हूं और न यही चाहता हूं कि चुनाव टले लेकिन साथ-साथ यह जरूर चाहता हूं कि क्लाज वाइज डिस्कशन के समय अगर कोई सही संशोधन हो तो उसको मंत्री जी जरूर स्वीकार करें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अधिष्ठाता महोदय, दो दिनों से जिन माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान इस विधेयक के विभिन्न प्राविधानों की ओर आकर्षित किया है मैं उसका बहुत आभारी हूं। जो आपत्तियां लोगों ने की हैं उनमें से महज कुछ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह विधेयक एक निश्चित उद्देश्य से लाया गया है जिसका उल्लेख इस बिल के शुरू ही में है। अभी तक शासकीय कृत्यों से लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के लिये जो काम हुआ है उसको आगे बढ़ा सकें, जिले के विभिन्न स्तरों पर स्थानीय कृत्यों का ठीक से सम्पादन हो सके और गांव सभाओं के कृत्यों और अधिकारों का जिला परिषदों और क्षेत्रीय समिति के साथ समुचित समन्वय हो सके यह हमारा उद्देश्य है इस बिल को लाने का। मंत्री जी इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बिल के द्वारा वह सब बातें जो इसके द्वारा हम करना चाहते हैं नहीं कर पाये हैं और इसी वास्ते इस विधेयक में यह व्यवस्था रखी गयी है कि जब कभी उचित अवसर आये तो उस कार्य को हम और आगे बढ़ा सकें और अधिक जिम्मेदारियां दे सकें। इसलिये उसके बारे में बहुत शंका करना उचित नहीं है। परन्तु जिसके मस्तिष्क में संशय ही हो उसके लिये हमारे पास कोई चारा नहीं है। जिसकी आत्मा में ही संशय भरा हो उसके लिये हमारे पास कोई दवा नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम क्या करना चाहते हैं।

यह भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गांव के रहने वाले और जनता की समझदारी उनकी नेकनियती और उनकी सामर्थ्य पर हमको पूरा विश्वास है। इसी वजह से इस विधेयक के द्वारा यह विकेंद्रीकरण हम करना चाहते हैं। इसी बात को सामने रख कर पहले से ही यह आदेश हो चुका है कि ब्लाक स्तर पर कम्युनिकेशंस और सफाई संबंधी जो ग्रांट्स हुआ करती थीं और जिसका खर्च ब्लाक कमेटी के फैसले के अनुसार ही हुआ करता था वह गांव सभाओं को उनकी आबादी के हिसाब से दे दी जाय और उनको पूरा अधिकार हो कि बगैर किसी से मंजूरी लिये हुए वह उसको खर्च कर सकें। उन तमाम अनुदानों के बारे में जो मेचिंग ग्रांट की

शर्त थी उस शर्त को हटा दिया है वह उतना ही खर्च करें या उसमें ज्यादा खर्च करें इस बात की कोई शर्त नहीं रखी गयी है इसलिये कि हम उनके सामर्थ्य और शक्ति पर पूरा विश्वास करते हैं।

गांव समाज और क्षेत्रीय समितियों के साथ ठीक समन्वय हो सके इसके लिये ज्यादा सरल यही है कि नीचे की कमेटियों का ऊपर की कमेटियों के निर्माण में हाथ हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह समन्वय संभव नहीं है। हमारी क्षेत्रीय समितियों का निर्माण गांव सभाओं के प्रधानों से होगा। ऐसी हालत में हमारी क्षेत्रीय समितियां गांव सभाओं से गांव पंचायतों को अपने काम को अच्छी तरह से, आसानी से करा सकेंगी और उस तरह से आसानी से काम नहीं हो सकेगा अगर क्षेत्रीय समितियों में सदस्य डाइरेक्ट चुन कर आते हैं, डायरेक्ट चुनाव बड़ी अच्छी बात है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन जो काम कराना है, वह काम किस सूरत में, किस शक्ल में ज्यादा अच्छा होगा, इस बात को ध्यान में रखकर यह बात की गयी है।

इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है उसके लिये बड़ी आपत्ति उठाई गयी है। माननीय दीपंकर जी ने तो यहां तक कह दिया कि वे इसको एक प्रमाण मानते हैं कि विकेंद्रीकरण नहीं किया जा रहा है। उनको अप्रत्यक्ष चुनाव से इतनी नाराजगी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं और जिस तरह से हम गांव सभाओं और जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों की एक बाडी बनाना चाहते हैं वह उसी हालत में संभव है जब कि नीचे की कमेटियों का हाथ ऊपर की कमेटियों के निर्माण में हो और उसी दृष्टि से काम किया जाय। मैं बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि कल उसकी बहुत दोहाई दी गयी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट इस मामले में देख ली जाय कि उनकी राय क्या है। रिपोर्ट कहती है :—

"It has been suggested that these indirect Elections may lead to party politics of a bitter nature percolating from the District Headquarters to the Panchayat Samiti and through them to the Village Panchayat causing bitter electoral contests and ruining the peace of the villages so essential for a co-operative effort towards communly development. We are not impressed by this argument. Nor do we see how direct elections, either to the Panchayat Samiti or to the Zila Parishad, can guard against the danger of active politics withering the chances of community developments."

श्री अधिष्ठाता—इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—इसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों ने यह तर्क दिया है कि इनडायरेक्ट एलेक्शन से पार्टीबाजी ऊपर से नीचे तक फैल जायगी, जिससे कि जिस मतलब से हम काम करना चाहते हैं वह गड़बड़ हो जायगा, तो वह कहते हैं कि मैं इन बातों से इम्प्रेस नहीं हुआ हूं। वह कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट एलेक्शन करा देने से यह खराबियां कैसे दूर हो जायंगी। अपनी इस बात को सिद्ध करने में उन्होंने कमेटियों के निर्माण के बारे में जो अपनी राय दी है उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज १० पर उन्होंने कहा है—

"The Panchayat Samitis should be constituted by indirect elections from the Village Panchayats."

यह उनकी राय है जिसकी तरफ यहां पर खासतौर से ध्यान आकर्षित किया गया। इसी तरह से वह जिला परिषद् के निर्माण के बारे में भी कहते हैं कि—

"To ensure the necessary co-ordination between the Panchayat Samitis, we suggest a Zila Parishad of which the members will be the presidents of the Panchayat Samitis, all members of the State Legislature and of the Parliament representing a part or whole of a district whose constituencies lie within the

[श्री जय राम वर्मा]

district and district level officers of the Medical, Public Health, Agriculture, Veterinary, Public Health Engineering, Education, Backward Classes Welfare, Public Works and other development departments. The Collector will be the Chairman of this Parishad and one of his officers will be the Secretary." यानी जिला परिषद का जो निर्माण हो उसमें पंचायत समितियों के अध्यक्ष होंगे, विधायक होंगे और कुछ अधिकारियों को भी उन्होंने कहा है कि उसके सदस्य होंगे और जिला परिषद् का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा और उसका सेक्रेटरी एक आफिशियल होगा।

हमने जो इसमें किया है वह पंचायत समितियों का संगठन तो बिलकुल उसी तरह का है जैसा कि उनका सुझाव है। गांव सभाओं के प्रधानों के द्वारा उनका निर्माण होगा, कुछ आदमियों का कोआप्शन भी होगा। जिला परिषद् में हमने जरूर दोनों चीजों का समन्वय किया है, कुछ निर्वाचन डायरेक्ट होंगे और कुछ इनडायरेक्ट होंगे। इस संबंध में मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दूसरे प्रदेशों में जो जिला परिषद् और पंचायत समितियां बनी हैं उनकी तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। आन्ध्र प्रदेश में, जिसकी बहुत तारीफ की गयी है और अब भी बराबर की जा रही है, वहां पर पंचायत समितियों और जिला परिषद का निर्माण इनडाइरेक्ट तरीके से होता है, दूसरे तरीके से नहीं। इसी तरह से राजस्थान में भी इनडायरेक्ट एलेक्शन हुआ है। आसाम में भी इसी तरह से हुआ है। बल्कि आंध्र प्रदेश में तो वे एक कदम और भी आगे गये हैं। वे कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज के प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे। हमने अपने यहां जिन ६ कमेटियों का जिक्र किया है, उनमें एक को छोड़कर बाकी के मेम्बर चुने हुये होंगे और उनके अध्यक्ष चुने हुये आदमी होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे यहां प्रेसीडेंट नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुये हमारी समझ में नहीं आता कि जो हमने किया है उससे क्या गड़बड़ी होगी जिस पर सदस्यों को इतनी आपत्ति है।

एक माननीय सदस्य श्री माता प्रसाद जी ने यह सुझाव दिया था कि इन कमेटियों में टाउन एरियाज के चेयरमैन और नोटीफाइड एरियाज के प्रेसीडेंट भी हों। यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। पंचायत समितियों में तो इनको जरूर रखा गया है लेकिन जिला परिषद में उनका रखा जाना मुनासिब नहीं समझा गया क्योंकि उनकी आबादी बहुत थोड़ी होती है। ५,६ या १० हजार की आबादी पर उनका एक प्रतिनिधि जिला परिषद में भेजना मुनासिब नहीं समझा गया। इसलिये उनको क्षेत्रीय समिति में तो रखा गया है लेकिन जिला परिषद में नहीं रखा गया। जिला परिषद में म्युनिसपल बोर्ड के चेयरमैन को जरूर रखा गया है। हम चाहते हैं कि जिला परिषद में जिले का हर हिस्सा रिप्रेजेंटेड हो और कोई हिस्सा छूट न जाय जिस का प्रतिनिधि न हो। माननीय सदस्यों ने देखा कि म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के अतिरिक्त जो म्युनिसिपल क्षेत्र के एम० एल० एज० हैं वह भी इसके मेम्बर हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है। इसलिये कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको इसका मेम्बर रख लिया जाय लेकिन चेयरमैन क्यों बनाया जाता है क्योंकि उनके चेयरमैन हो जाने से वह एक समय में दो पदों पर हो जायेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शायद उन्होंने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। अगर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन जिला परिषद के अध्यक्ष हो जाते हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का स्थान खाली हो जायगा और वह एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकेंगे। इसी तरह टाउन एरियाज के चेयरमैन और नोटीफाइड एरियाज के प्रेसीडेंट अगर क्षेत्र समिति में प्रमुख हो जाते हैं तो अपने पद को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिये दो पदों पर कोई एक साथ हो जायगा, ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं है। इसको न पढ़ने के कारण लोगों के दिमाग में इस तरह की बात है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि एम० एल० एज० को इसमें रखा जाय और कुछ ने कहा है कि न रखा जाय, तो हमने बीच की बात की है कि इनको रखा जाय लेकिन यह प्रेसीडेंट या वाइस-प्रेसीडेंट न हों।

इसमें कोआपरेटिव सोसाइटियों के प्रतिनिधित्व की बात कही गई। श्री तेजबहादुर का सुझाव था कि जो प्रतिनिधि इनका चुना जाय उसका डायरेक्ट इलेक्शन हो। अब डायरेक्ट चुनाव का मतलब मैं समझ नहीं पाया। जो क्षेत्र समिति होगी उसके अन्दर साधन समिति, बहुधंधी समिति जो होंगी उनके दो प्रतिनिधि क्षेत्र समिति में आयेंगेऔर वह चुनकर ही आयेंगे। हमने इस संगठन के प्रतिनिधि रख दिये हैं इसी तरह से जो ब्लाक यूनियन तथा क्रय विक्रय समितियां हैं उनका प्रतिनिधि भी हमने रख दिया है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन और कोआपरेटिव क्रय विक्रय सोसाइटियों को अलग से जिला परिषद में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का हमारे गांवों के विकास में काफी हाथ होगा। जो किसान उत्पादन करेगा उसकी बिक्री के प्रबंध में क्रय विक्रय समिति का हाथ होगा। पैसे के इंतजाम का काम बैंक के हाथ में होगा, सामान पहुंचाने का काम डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फैडरेशन के हाथ में होगा, इसलिये इनका सहयोग लेना भी जरूरी था। इसलिये हमने इनके प्रतिनिधि भी इसमें रखे हैं। अब कुछ माननीय सदस्यों को एतराज है कि उनका प्रतिनिधित्व बिलकुल नहीं होना चाहिये और इनसे काम न लिया जाता तो अच्छा है लेकिन यह दृष्टि हमारे सामने थी, इसलिये उनका प्रतिनिधित्व वहां पर रखा गया।

जहां तक अनुसूचित जातियों के रिजर्वेशन की बात है यह बात सही है, कि हमारी क्षेत्र समितियों का चुनाव इनडाइरेक्ट है। उसमें इस तरह का रिजर्वेशन जैसा कि डाइरेक्ट चुनाव में हुआ करता है, सम्भव नहीं है। इस लिये अगर उनकी संख्या पांच से कम हो तो उसको पूरा करने के लिये कोआप्शन के द्वारा किया गया है। यह नामिनेशन नहीं है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों को गलतफहमी है। चुने हुये सदस्यों द्वारा कोआप्शन होगा। इसलिये इसमें वही आदमी चुने जायेंगे जिनको हम चाहेंगे ऐसी बात नहीं है। जिसको चुने हुये सदस्य चाहेंगे वह कोआप्ट होगा।

जहां तक जिला परिषद का सवाल है, इसमें कुछ इनडाइरेक्ट चुनाव है और कुछ डाइरेक्ट चुनाव है अनुसूचित जातियों के लिये अभी तक जो व्यवस्था है वह कोआप्शन की व्यवस्था है। लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे कि तो जहां तक डाइरेक्ट चुनाव का प्रश्न है, उसमें उनकी जनसंख्या के अनुसार रिजर्वेशन कर दिया जायगा। लेकिन बाकी चुनाव में रिजर्वेशन करना सम्भव नहीं है। आंध्र और राजस्थान में भी यही व्यवस्था की गई है। वहां पर हरिजनों, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिये कोआप्शन किया है और उन्होंने दो-दो स्थान दिये हैं और हमने पांच स्थान दिये हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें एक बहुत बड़ा एतराज प्रतिबन्ध के बारे में किया गया है। कहा यह गया कि जो अधिकार एक हाथ से दिया जा रहा है, प्रतिबन्ध लगा कर दूसरे हाथ से छीन लिया गया है। माननीय विरोधी दल के नेता एक प्रतिबध के बारे में बड़ी भारी आपत्ति की। वह खंड १(३) का दूसरा प्रतिबंध है। उसमें यह व्यवस्था है कि अगर नेशनल इमर्जेंसी हो जाय या देश के संरक्षण का सवाल पैदा हो जाय, तो ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना वांछित है तो जिले में या जिले के किसी भाग में इस अधिनियम का प्रवर्तन रोक दे, या वापस ले ले, या परिष्कारों के साथ लागू करे। उनको सबसे बड़ा एतराज यह था कि राज्य सरकार नेशनल इमर्जेंसी तय करेगी। राज्य सरकार नहीं करेगी। नेशनल इमर्जेंसी में, देश के किसी हिस्से को खतरा पैदा होने के कारण अगर राज्य सरकार यह मुनासिब समझे कि इसका प्रवर्तन किसी जिले में नहीं ठीक है तो रोक सकती है। इसी तरह एक दूसरा प्रतिबंध है जिसकी ओर माननीय नवलकिशोर जी ने ध्यान आकृष्ट किया है, वह खंड ४३ का प्रतिबंध है। उनका एतराज है कि यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है। वह यह है कि २०० पये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों का चुनाव आयोग द्वारा होगा। अगर आयोग की सिफारिश से जिला परिषद सहमत न हो तो वह उसको राज्य सरकार को रेफर कर सकती है और उसमें राज्य सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

[श्री जयराम वर्मा]

इन शब्दों के साथ में माननीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करे, और माननीय दोषंकर द्वारा जो प्रवर समिति में जाने के लिये प्रस्ताव किया गया है, उसको अस्वीकार कर दें।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनजाग्रति और विकन्द्रीकरण के लिये जो यह विधेयक लाया गया है जिसके ऊपर अभी-अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब की तकरीर हुई है वह पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं और उसके विषय में जो उन्होंने बातें कही हैं उनके लिये यही कह सकता हूं कि "जिनसे थी कुछ हाय आशा, उनसे भी निराशा हुई, जयराम जी वर्मा की लीडरी तमाशा हुई, सोशलिस्ट डींग सारी दूध में बताशा हुई"। यह विकेन्द्रीकरण के लिये बिल नहीं लाये हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---जब कोई बोलने के लिये खड़ा होता है तो क्या वह बीच में आपसे मिलते हैं ? क्या कोई इशारा होता है कि इन सदस्यों को ही मौका मिलना चाहिये ? हम पिछड़ी जाति के लोग वैसे ही रह जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों को समय मिलता है। जो हिन्दी के पढ़े-लिखे लोग हैं उनको समय नहीं मिलता है। मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन मेरा कोई खयाल नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता---अब आप बैठ जाइये।

श्री बुद्धीसिंह---मैं एक बात आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पारसाल जो जिला परिषद विधेयक आया था और एक वर्ष के बाद यह विधेयक लाया गया है और अभी नियोजन मंत्री जी ने यह कहा कि चूंकि पिछले वर्ष के विधेयक में विकेन्द्रीकरण की बात नहीं थी इस कारण अब फिर यह दोबारा बिल लाया गया है, तो इतना बड़ा खर्चा जो पारसाल उस विधेयक पर हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर पड़ती है। यह पूरी सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह जो विकास क्षेत्र का एरिया है, जो सीमा है और अभी तक जो उनमें जिस तरह से चल रहा है इस बिल के आने के बाद क्या उन्होंने इस तरह से कोई व्यवस्था इस बिल में रखी है कि उनका परिसीमन उनकी हदबन्दी कोई सही तरीके से हो जाय। वह अन्ट शन्ट तरीके से हलके लगाये हुये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक कमीशन मुकर्रर किया जाय और उस कमीशन के द्वारा यह जो विकास खंड सीमायें हैं, देहात में जो खंड हैं यह चुनाव के बहुत पहले अभी थोड़े दिनों बाद शुरू कर दिये जायं। यह १२, १३ वर्ष का जो समाजवाद है, विकेन्द्रीकरण है उससे यह साफ हो गया है कि सरकार के जो कानून बनते हैं वह केन्द्रीकरण करते जा रहे हैं, विकेन्द्रीकरण नहीं कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हलकाबन्दी जो है उन क्षेत्रों में वह कमीशन के जरिये से की जाय और उसका काम अभी थोड़े दिनों बाद शुरू कर दिया जाय।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि आमदनी का बटवारा इस तरह से किया जाय कि मालगुजारी का एक बटा तीन सूबे को, एक बटा तीन जिले को और एक बटा तीन हिस्सा आमदनी का ग्राम सभा को दिया जाय और इस क्षेत्रीय समिति को दिया जाय। इस विधेयक में जो आप हैसियत टैक्स लगा रहे हैं वह ५० रुपये की आमदनी पर लगा रहे हैं यानी जिनकी ६०० रुपये सालाना आमदनी होगी। मैं चाहता हूं कि २ हजार रुपये से जिसकी आमदनी अधिक हो उसके ऊपर यह टैक्स लगाया जाय। यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है। आपने साथ ही इसी विधेयक में बालिग मताधिकार के हक को छीन लिया है। उसमें आधे तो चुनाव से आयेंगे और आधे का चुनाव नहीं होगा, वह सीधे आयेंगे। मैं चाहता हूं कि दो बटा तीन सदस्य का चुनाव होना चाहिये। वह चुने हुये होने चाहिये उस क्षेत्रीय समिति में और जिला परिषद में। हर क्षेत्रीय समिति में एम० एल० ए० और एम० एल० सी०, एम० पी० को अधिकार दिया गया है कि उसमें ज.य। हम भी जहां जहां के हैं उसमें होंगे लेकिन यह बात कुछ अच्छी नहीं मालूम होती है। हर जगह का एम०एल० ए० उसमें हो जाय। एम० एल० ए० क्षेत्रीय समिति से अलग

रहे तो यह अच्छा होगा । जहां सब कमेटी बनी है क्षेत्रीय समिति या जिला समिति उन समितियों में कृषि समिति का नाम नहीं है, होना चाहिये, जैसा कि अभी अभी जगदीश शरण अग्रवाल जी ने कहा कि क्षेत्रीय समिति को अधिकार होगा कि वह नयी कमेटी बना सकती है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् कमेटी में इस समय ही इसकी व्यवस्था कर दी जाय । इस कृषि समिति की व्यवस्था कर दी जाय तो हमारे अधिक अन्न उपजाओ आदि आन्दोलनों को इससे बहुत बल मिल सकता है । पता नहीं कि आगे चल कर वे इसकी आवश्यकता महसूस करें अथवा नहीं । इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था इसी समय इस स्तर पर हो हो जानी चाहिये ।

गांव सभाओं को इसमें वसूलयाबी का अधिकार दिया गया है और आप देखेंगे कि इसमें जो अधिकार दिये गये हैं गांव सभाओं को उसके साथ ही मैं यह चाहूंगा कि उनके द्वारा जो रकम वसूल हो उसका १/३ भाग ग्राम सभा को न दी जाय । मैं यह निवेदन कर दूं कि ग्राम सभायें पंचायतें, टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी आदि अकर्मण्य होती जा रही हैं और जो नौकरशाही का पंजा है देश में ५५ लाख जो अधिकारी हैं, उनका पंजा ज्यादा से ज्यादा इन निकायों और पंचायतों पर होता जाता है, बढ़ता जाता है । इस तरफ हमारे माननीय मंत्री जी की निगाह होनी चाहिये । हमारे मंत्री जी भूदान पढ़ते हैं, गांधी जी के निकट रहे हैं और इतनी अहमियत रखने वाला बिल इस हाउस में लाये हैं । कम से कम भूदान में जो कुछ लिखा रहता है, ग्राम राज्य की जो परिभाषा उसमें दी गयी है, उसे पढ़कर यदि कुछ चीजों को इसमें वह रख लेते तो नौकरशाही का जो मजबूत पंजा इस बिल में है वह कुछ कमजोर हो जाता, यही मेरा निवेदन है ।

(इस समय २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

एक निवेदन और है । मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह देख कर कि विचित्र भाई बड़े विचित्र निकले । एक स्कीम देश में चल रही है अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग की इस समय और मैं समझता हूं कि यह विचित्र भाई का विचित्रीकरण है न कि इस बिल में उसके प्रतिनिधि को कोई कहीं स्थान नहीं दिया गया है । यह विकेन्द्रीकरण नहीं, विचित्रकरण है । उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया है । सूबे में कम से कम २०-२२ जिलों में वह संस्था है और उसका इतना विशाल संगठन है कि मुरादाबाद में ही मछरेहा, किसौली, सिंगपुर, कुदरखी, खादगूजर, कमेलपुर, धनौरा, डोंगरा, करोंदी, गंगेसरी, ताजपुर तथा बिजनौर में उसकी शाखायें हैं । उसकी समितियां बनी हुई हैं और पिछला कोई बिल है रजिस्ट्रेशन का उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और उन पर लगभग साढ़े तीन अरब रुपया देश में खर्च हो रहा है, लेकिन उनका एक भी नुमाइन्दा विचित्र भाई ने इसमें नहीं रखा । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं विचित्र भाई से कि वह अपने विचित्रीकरण में, विकेन्द्रीकरण में उसका भी समावेश कर लें और एक प्रतिनिधि उसका सघन क्षेत्र भी रख लें । सघन क्षेत्र विकास समिति का प्रनितिधि रख लें । जो और बातें कही गयी हैं, कलेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने के बारे में, उस विषय में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । किन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सरकार के जितने भी कानून होते हैं वे सब केन्द्रीकरण की ओर जा रहे हैं, विकेन्द्रीकरण की ओर नहीं ।

एक बात माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कही कि सरकार को निकायों को सुपरसीड करने की आदत सी पड़ गयी है और इस बिल में भी उसका प्रावीजन है । उसके अनुसार मुतालिक अधिकारी जब कभी भी चाहें उसको बरखास्त कर सकते हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी विचित्रीकरण की जगह विकेन्द्रीकरण करें और अपनी सुपरसीड करने वाली आदत को छोड़ दें । इसके लिये तो यह होना चाहिये कि अगर वे कोई गलती करें तो उनको तीन महीने के लिये बरखास्त कर दिया जाय और उन तीन महीनों में दोबारा चुनाव कराये जायं ।

[श्री बुद्धीसिंह]

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि थाने में रिपोर्ट आदि लिखाने के अधिकार भी, तथा उस संबंध में जो और भी अधिकार हैं, वे भी, ग्राम सभाओं को दिये जायं ।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् के जो अधिकार हैं धारा १ से २९ तक तथा क्षेत्रीय समिति के द्वारा धारा १—३१ तक आप उनको स्वावलम्बी बनायें आप उनको अधिकार दें । आज सरकार के प्रति एक दुर्भावना सी फैलती जा रही है, अकर्मण्य ा सी छाती जा रही है, समाजवाद का धुन्धला नक्शा दिखाई दे रहा है, इस ओर सरकार को विचार करना चाहिये । वह नक्शा जिससे कि सही तौर पर निर्माण हो सकता हो, उन्हें सन्त विनोबा जी से भी दर्शन शास्त्र लेना चाहिये और स्वराज्य की जगह ग्राम राज्य स्थापित करना चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—श्रीमन, यह बिल जो इस सदन में पेश है, इसकी कितनी अहमियत है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । इसके पीछे एक इतिहास है और इसलिये हमें इस पर बहुत ठंडे दिल से विचार करना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस बिल के पीछे एक बड़ा उसूल है जिसकी कि आजकल काफी चर्चा है और वह है डिसेन्ट्रालाइजेशन । जितनी भी स्पीचेज यहां पर हुई हैं और जिनको मैंने सुना है तथा अखबारों में भी पढ़ा है, उससे यही पता चलता है कि हमारे अन्दर सन्तोष के बजाय असन्तोष की भावना है और जो इसकी मूल एप्रोच है उसके खिलाफ सन्तोष के बजाय असन्तोष ज्यादा प्रकट हुआ है । डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का प्रयोग करने से पूर्व मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी उन बातों पर अवश्य गौर करेंगे जिन पर यहां असन्तोष प्रकट किया गया है । जहां तक डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का ताल्लुक है, मैं सब बातों को दुहराना नहीं चाहता और केवल एक प्वांइट पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

मैं ऐसा समझता हूं कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का अर्थ यह होता है कि क्षेत्रीय पैमाने पर या गांवों के अन्दर ग्राम आदमी यह समझने लगें कि वह सही मानों में राजा है अपने जीवन को बनाने का, अपन समाज को बनाने का, अपने देश को बनाने का, और जब ऐसा विचार उन लोगों में आ जाय तभी हम कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि जो गांव सभा का प्रधान है, जो क्षेत्रीय समिति का प्रधान है, वह अगर यह महसूस करता है कि मेरी वही पावर्स है जो कि प्रदेशीय स्तर पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द की हैं, और वह सही मानी में उतना ही स्वतन्त्र है, तो मैं समझता हूं कि वह सफल डिसेन्ट्रलाइजेशन समझा जायगा ।

मैं ऐसा समझता हूं कि सेन्ट्रलाइजेशन और डिसेन्ट्रइजेशन दो चीजें हैं । पहले पहल सेन्ट्रलाइजेशन को ही अपनाया जाता है और फिर धीरे-धीरे डिसेन्ट्रलाइजेशन पर पहुंचा जाता है । मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य महसूस करता हूं कि इस बिल में कई बातों को एक साथ रखने की कोशिश की गई है और ऐसी हालत में ऐसा होता है कि जैसे एक आर्टिस्ट कहीं से आंख, कहीं से नाक, कहीं से पैर इकट्ठे करता है और उनको जोड़ कर एक आदमी की शक्ल पैदा कर देता है । जो बन तो जाती है पर देखने में अच्छी नहीं लगती । यानी जब स्ट्रक्चर तैयार किया तो शक्ल अच्छी न लगी । तो इसमें बहुत प्रयत्न है डिफरेंट इन्टेरेस्ट्स को एक तरीके से जोड़ने का । अब उसके जोड़ने से कुछ खराबी भी आती है । लेकिन यह कहना कि यह बिलकुल खराब है, यह बिलकुल नाइंसाफी है । इसके पीछे प्रयत्न और बैलेंसेज हैं । कोशिश यह की गई है कि जो पहले झगड़े मालूम होते थे उनको बैलेंस किया जाय और इस कोशिश में काम बिगड़ भी जाता है, तो वह ठीक किया जा सकता है । लेकिन यह कहना कि इसके पीछे वह स्पिरिट ही नहीं रही है, मैं समझता हूं कि इसमें पावर को डिसेन्ट्रलाइजेशन करने की स्पिरिट है—हो सकेगी अच्छे तरीके से या नहीं, यह दूसरा सवाल है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह इस तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी सर्विसेज हैं, मशीन है उसको भी दुरुस्त करना है । डिसेन्ट्रलाइजेशन महज हम लोगों में ही लाने की जरूरत नहीं है, उसका दर्शन और आम सरकारी मुलाजिम भी समझेंगे तो दोनों मशीनें काम करने लगेंगी।

एक तरफ डेमाक्रेटिक डिसेन्ट्रालाइजेशन है और दूसरी सरकारी मशीन की व्यवस्था है, जिसको यह विश्वास होता चला जा रहा है कि यह पोलिटिकल लोग तो आने जाने वाले लोग हैं, परमानेंट लोग हम ही हैं। तो एक मशीनरी को हम बिल्कुल परमामेन्ट करने जा रहे हैं। फ्रांस में जो डेमाक्रैसी का जन्म और विकास हुआ वह इसी प्रकार हुआ कि उन्होंने कहा कि पोलिटिशियन्स आते रहें, जाते रहें, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का स्टील फ्रेम बना दें और उसके अनुसार जैसी डेमाक्रैसी वहां चली वह तो आप जानते हैं। तो इशारतन इतना ही कहूंगा कि जो आपने मेकैनिज्म रखा है सर्विसेज का उस पर पीपिल्स के नुमाइन्दों का कोई कन्ट्रोल नहीं है। कन्ट्रोल उसका होता है जिसको प्रोमोशन, ट्रांसफर, डिस्मिसल इत्यादि में दखल हो। अगर यह मेकैनिज्म बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और डिमाक्रैसी की मशीन ढीली होती चली गई तो डेमाक्रैसी का भविष्य अच्छा नहीं है। तो कोई तरकीब कीजिये । मुझे कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है।

मोटे तरीके से अगर आप यह एलीमेंट इसमें डाल सकें कि जो गांव का लेखपाल भी, एक गांव का मास्टर भी यह समझे कि आज मेरी तरक्की जो है, जो बाडी चुनी हुई है, उसका प्रमाण-पत्र मेरे लिये ज्यादा मानी रखता है। मैं एक मिसाल देता हूं कि किस तरीके से एक सिस्टम में लोगों का यकीन बदल जाता है। आज ऐसा हो गया है कि अगर एम० एल० ए० एक बात कहे और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक बात कहे तो हमारे जैसे जो साथी हैं वह यह कहते हैं कि बड़ी दुश्वारी पड़ जाती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय यह है। मुझे खुद इन बातों का तर्जुबा है, लेकिन मैं प्रोसेस बतलाता हूं कि जब हम अपने ही लोगों में डिस्कस करने लगते हैं तो दूसरी मशीनरी कहां पर जाकर रुकेगी ? तो एक प्वांइट जो खास मैंने सब स्पीचेज में पढ़ा वह यह था कि आप सर्विसेज को किसी तरह से ठीक कीजिये। या तो आप पीपुल को ट्रस्ट कीजिये या डिस्ट्रस्ट कीजिये। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो शुरू में गड़बड़ी जरूर होगी, पावर का मिस्यूज होगा, लेकिन वह हर जगह होता है। अगर आप लोगों पर इत्मीनान करेंगे तो सच्ची डेमोक्रैसी की बुनियाद पड़ जायगी। हालांकि आपने इसमें पूर्ण हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश की है, मैं जानता हूं कि मिनिस्टर महोदय के निजी खयालात इसमें क्या थे। उनकी ईमानदाराना राय यह थी कि एम० एल० ए० इसमें मेम्बर न हों, लेकिन परिस्थितियां, तर्क पेश कराने का तरीका, उन सब ने, चाहे कुछ भी उनकी निजी राय हो, उन को मानना पड़ा कि एम० एल० एज० को राय देने का हक हो।

अब एम० एल० एज० को आपने सुरक्षित रखा, सर्विसेज को आपने सुरक्षित किया और उधर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर पीपुल को सुरक्षित किया। इस सबका नतीजा यह होता है कि चारों तरफ असुरक्षा का वातावरण पैदा हो रहा है। जब बिल पास होकर ऐक्ट बन जाता है तो उसका इंटरप्रेटेशन कौन करता है, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा खयाल है कि कांग्रेस के लोगों का यह सबसे बड़ा कदम है जिनमें हम कह सकते हैं कि यह इमारत हमारे ढंग से बनने जा रही है। अभी तक हमें जितनी भी मशीनरी मिली, चाहे वह शासन की रही हो या शिक्षा की या न्याय की रही हो, किसी की भी रही हो, सभी अंग्रेजी हुकूमत की कायम की हुई मिली थीं मगर यह नयी मशीनरी हमारी अपनी तामीर की हुई होगी। इसके बनाने में हमने १३ साल लिये हैं। लोगों में आशा थी कि यह कोई नयी चीज निकलेगी लेकिन अगर यह मशीनरी लोगों की आशायें पूरी नहीं कर सकी तो इतिहास का लिखने वाला यही कहेगा कि इसमें वह आत्मा नहीं डाली गई जो डाली जानी चाहिये थी। सारे सैक्शंस में, सारे कानून में, लोग नहीं जाया करते हैं। मेरे ऊपर तो इससे यह असर पड़ा है कि व्यावहारिक रूप में इससे जरा भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। जब तक आम आदमी यह महसूस नहीं करेगा कि लेखपाल और सर्विसेज को जनता के चुने हुये नुमाइन्दे हटा सकते हैं तब तक आप

[श्री गोविन्दसहाय]

उस मशीनरी को डेमोक्रेसी के लिये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिये मैं ज्यादा वक्त न लेते हुये---मेरी सेहत भी ठीक नहीं है---यह निवेदन करूंगा कि यह कहना कि यह बिल खराब है या यह कहना कि इससे अच्छा बिल बन ही नहीं सकता था, इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं। कैबिनेट में और पार्टी के लोगों में कुछ रायें हो सकती हैं। उसके बाद इस बिल का यह स्वरूप निकला है। इसमें नीयत सरकार की अच्छी है और प्रयत्न भी किया है, तो कोई रूह भी इसमें डालने की कोशिश की जानी चाहिये।

राजस्थान का जिक्र किया गया। अभी डेमोक्रैटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, वहां के, कोई राय देना आसान नहीं है। मैं उसका निजी तरीके से बहुत ज्यादा कायल भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी बहस आज देश में चल रही है। यह ठीक है कि उन्होंने हमसे ज्यादा जनता को ट्रस्ट किया है लेकिन फिर भी वहां काफी कैओटिक हालत पैदा होने लगी है। तो इस तजुर्बे में शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है और लोग डेमोक्रेसी से भी नफरत कर सकते हैं, लेकिन सरकार को हिम्मत के साथ काम करना होगा। बीच का रास्ता छोड़ कर उसे जनता का विश्वास करना चाहिये या अविश्वास करना होगा। इस दोतरफा चाल से डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिये जो भावना जनता में होनी चाहिये वह पैदा नहीं हो सकती है।

इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी को इस विधेयक के लाने पर धन्यवाद देता हूं और आशा करूंगा कि वह हम लोगों के सुझावों पर गौर फरमाने की मेहरबानी करेंगे।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लाने के लिये तो मंत्री जी अवश्य बधाई के पात्र हैं परन्तु इससे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जरा भी होने वाला नहीं है। अभी गोविंदसहाय जी ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया, जितने भी सदस्य दोनों ओर से बोले, मैं समझता हूं कि सभी एक मत हैं। इससे कोई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने का मंत्री जी विचार नहीं रखते ऐसा तो मैं नहीं कहता लेकिन होने नहीं जा रहा है। यह मेरा निश्चित मत है। इसमें जिलाधीश को और कमिश्नर को बहुत अधिकार दे दिये गये हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझसे पहले जयरामजी वर्मा, जो इस विभाग के डिप्टी मिनिस्टर हैं, बोले और उन्होंने कहा कि नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहिये। मैं उनकी नीयत पर सन्देह नहीं करता लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में क्या इस सरकार ने ऐसे काम नहीं किये हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है? मैं दोहराना असंगत नहीं समझता हूं कि आज भी सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में रखा है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सरकार ही हटा सकेगी। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे जिले के चेयरमैन को सरकार ने हटाया नहीं लेकिन मालूम २,३ दिन में ही क्या बात हो गई, मालूम नहीं कि उन्होंने क्या नयी बात पैदा कर दी कौन सी कमियां उनकी दूर हो गईं कि इस सरकार ने दोबारा इन्हीं मंत्री जी के कार्यकाल में उनको रखा। सरकार की नीयत अच्छी है लेकिन पार्टीबाजी के दबाव में, दोस्तों के दबाव में, मालूम नहीं किन कारणों से, बहुत से ऐसे काम इस सरकार को करने पड़ जाते हैं जो स्वयं सरकार को अप्रिय हैं और वह करना नहीं चाहती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार सरकार को नहीं लेना चाहिये। जब विचित्र नारायण जी के जमाने में ऐसी बातें हो सकती हैं तो मैं किस मंत्री से आशा करूं हालांकि नीयत पर सन्देह की कोई बात नहीं है? पार्टीबाजी के चक्कर में आकर लोग गलत काम कर जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह देखता हूं कि ऐसी सरकार इस बिल को लाई है जो समाजवादी समाज की स्थापना का दावा करती है और जिसके दिल में ग्रामवासियों के लिये दर्द बताया जाता है, तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बिल के लाने से कौन से समाजवादी समाज की स्थापना होगी जबकि ६००) प्रति वर्ष आय वाले गांव के व्यक्ति पर १८ रुपया, फी रुपया ३ पैसा, टैक्स लगाया गया है। मैं हैरान होता हूं और समझ नहीं पाता कि आखिर ग्रामवासियों ही पर क्यों सरकार की सख्त निगाह है। आज मांग यह है कि जिस किसी की आमदनी १००) माहवार से कम हो उस पर टैक्स नहीं होना चाहिये। हर गवर्नमेन्ट सर्वेंट

की आमदनी, चाहे वह चपरासी हो या कोई भी हो, आज के जमाने में १००) माहवार से कम नहीं होनी चाहिये। तो ऐसी हालत में जिस व्यक्ति की आमदनी १,२०० रुपये प्रति वर्ष से कम है सरकार उस पर टैक्स लगाकर कैसे समाजवादी समाज की स्थापना की बात करती है? मैं समझता हूं कि सरकार का यह ढोल पीटना उचित नहीं।

मान्यवर, यह मेरी बदकिस्मती हो सकती है कि मैं गांव से आता हूं और मैं गांव का रहने वाला हूं। उप मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने तो टाउन एरिया के चेयरमैन को और म्युनिसिपल समितियों के चेयरमैन को जिला परिषद् में इसलिये रखा कि कहीं एक बहुत बड़ी संख्या अनरिप्रेजेन्टेड न चली जाय। उनका यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। जब एम० एल० एज०, ए० ए० सीज० और एम० पीज० उसमें मौजूद हैं तो क्या वे उस हलके के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? अगर सरकार ने टाउन एरिया के चेयरमैन को रखकर वहां टैक्स भी लगाया होता तो मैं समझता कि सरकार ने गांव और शहर को एक नजर से देखा है।

आप टैक्स लगाना चाहते हैं केवल गांव के रहने वालों पर या जो गांवों में बिजनेस करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई गांव का रहने वाला शहर में जाकर कमाता है लेकिन उसके बच्चे गांव में ही रहते हैं तो मंत्री जी उससे टैक्स ले लेंगे। लेकिन टाउन एरिया वालों से या शहर में रहने वालों से कोई टैक्स नहीं लिया जायगा, उनका कोई कन्ट्रीब्यूशन जिला परिषद् के फंड में नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने यह जरूरी समझा कि उनको वहां रखा जाय। इससे नतीजा यह निकला कि टैक्स तो लिया जायगा गांवों के रहने वालों से और नुमायदगी होगी शहरों के रहने वालों की। आखिर शहर के बारे में आपका यह प्रेम क्यों बढ़ता जा रहा है और गांवों की तरफ से क्यों कम होता जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह रखा गया है कि नो-कांफीडेंस का प्रस्ताव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख उपप्रमुख के विरुद्ध लाया जा सकेगा। उसमें आपने लिखा है कि एक साल बाद जब तिहाई मेम्बर लिख कर देंगे तब माना जायगा। यह उसमें जरूर रखा गया है कि वह पास होगा दो-तिहाई मेम्बरों के द्वारा। एक-तिहाई मेम्बरों को यह अधिकार देना कि वे ऐसा प्रस्ताव ला सकें, इससे पार्टीबाजी को बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे वहां का काम कुशलता से नहीं चल सकता है। जिस प्रकार से टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी में यह अधिकार दिया हुआ है कि आधे से ज्यादा मेम्बर ही इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं और आधे से अधिक मेम्बर ही उसको पास कर सकते हैं, वैसा ही इसमें भी रखा जाना चाहिये यानी आप दो-तिहाई के बजाय भी आधा कर दें और एक-तिहाई के बजाय भी आधा कर दें।

जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा, आपने जो कार्यसमितियों को बनाया है, वह एक भूल हुई है। उस कार्य समिति को सब कार्य करने के अधिकार होंगे। माननीय जगदीशशरण जी ने कहा कि जो डिसीजन्स होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिये एक छोटी समिति होनी चाहिये लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, आपको उन कमेटीज पर विश्वास करना होगा। केवल यह कहना कि उन के पास बहुत से काम होंगे इसलिये वे डिसीजन्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, यह कुछ उचित नहीं है और बिल कुल ही नामुनासिब मालूम होता है।

एक बात और समझ में नहीं आयी। इसमें मेम्बर रखा गया है—एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० को और इसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा कि वाया-मीडिया निकाला गया। एक तरफ तो आप उनको मेंबर बनाते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उन को चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनने का कोई अधिकार नहीं है। आपको यह अधिकार था कि आप कहते कि इन लोगों को मेम्बर बनने का कोई अधिकार नहीं है। सिद्धांत की बात है। लेकिन एक तरफ यह कहना कि इनको मेम्बर बनने का तो अधिकार है लेकिन मेम्बर बनाने के बाद आप समझते हैं कि उनको कुछ अधिकार न हों। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल में विरोध के भी उचित संशोधन मान लें।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह बिल हाउस के सामने आया है और माननीय मंत्री जी के विभाग के कर्मचारियों ने बड़े परिश्रम से इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की है और मंत्री जी ने इसको पेश किया है, इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बहुत बड़ा इन्सान भी हो तो उससे भी गलतियां होती हैं इसलिये जो इसके अन्दर लूपहोल्स हैं उनकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे उस पर गौर जरूर करेंगे और अगर मुनासिब समझेंगे तो उनको सुधार करने की कोशिश करेंगे।

इसमें सरकारी अधिकारियों को वोट करने का अधिकार दिया गया है। मैं स्वयं इस राय का हूं कि उनको जरूर अधिकार मिलना चाहिये। सरकारी अधिकारी होने से ही वह नालायक नहीं हो गये कि उनको अधिकार न दिया जाय लेकिन तजुर्बा यह बतलाता है कि सरकारी अधिकारी मीटिंगों में शरीक तो रहते हैं, बातचीत भी करते हैं लेकिन वोट नहीं करते। मैंने अपने जिले में कई बार कहा कि आपको अधिकार है आप लोग वोट क्यों नहीं करते। पालिटिशियन्स पार्टीबाजी में पड़कर वोट देते हैं लेकिन आप किसी पार्टी में नहीं हैं, आप निष्पक्ष होकर वोट करेंगे लेकिन वह वोट नहीं करते। तो मैं कहता हूं कि जब वोट वह ही नहीं करते हैं तो फिर उनको वोट का अधिकार क्यों दिया जाय।

इसके अतिरिक्त इसमें यह नियम बना दिया गया है कि वहां परिषद् में, समिति में एम० एल० एम० जा सकते हैं और एम० पी० जा सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किराया उनको यहां से मिलेगा या वहां से। हम १० पया रोज छोड़कर अपना जावें और अपना किराया खर्च करें और लौटकर आवें भी। सरकारी कर्मचारी जायें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जावें तो उनको किराया भी मिले, भत्ता भी मिले लेकिन हम लखनऊ से बैठ जायं, अल्मोड़ा जायं लेकिन हम को किराया न मिले। तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। हम को किराया क्यों न दिया जाय? मेरा खयाल है कि किराया हम को मिलना चाहिये चाहे यहां से मिले या वहां से मिले। मैंने बस्ती के परिषद् में भी कहा था और उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि मकान से वहां तक किराया मिले बस का, यद्यपि यह भी उचित नहीं है। बहरहाल, किराया तो हम को जरूर मिलना चाहिये जैसे यहां मिलता है चाहे यहां से मिले चाहे वहां से।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आजकल सिक्स्थ क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बिना अंग्रेजी पढ़ाये आदमी की कद्र नहीं होती। यहां ही जब टंडन जी थे तब तो सारा काम होता था हिन्दी में और टंडनजी के हटते ही यहां हिन्दी से अंग्रेजी में काम होना शुरू हो गया। यहां से चिट्ठियां पहले जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या और विभागों को हिन्दी में जाती थीं, अंग्रेजी में भेजी जाने लगीं। हुजूरवाला, यह बड़े अफसोस की बात है। लड़के पास करने के लिये चिड़िया के बदले बर्ड रटने लगे.....

श्री उपाध्यक्ष---यह आप जिला परिषद् विधेयक पर बोल रहे हैं या हिन्दी के ऊपर?

श्री सीताराम शुक्ल---सारा मजमून तो पढ़ने पर ही होगा। यह प्रशासन प्रशिक्षण पर ही चलेगा और अभी तो बहुत समय बाकी है। बाद में आप लाल रोशनी कर देंगे, इसलिये जिस टुकड़े को लेकर मैं बात कर रहा हूं उसको बीच में ही तोड़ देना मुनासिब नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है लड़के को कौन कहे, नार्मल के मास्टर तक चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं। मैंने अपने लड़के को पढ़ाने के लिये एक ट्यूटर को बुलाया जो बी० ए० पास थे, बच्चा बहुत छोटा है, मैंने उन साहब से कहा कि आप पढ़ा कर दिखलावें तब मैं आपको रखूंगा। उसे अ नहीं कहने आता था, वह अ को व, ण को न तथा छ को क्ष कहता था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी को नौकर रखा जाय तो उसका इम्तहान फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया जाय ताकि भविष्य के लिये लोगों को डर रहे कि ठीक से पढ़ना चाहिये। आजकल होता यह है कि लड़के नकल करके तो पास हो जाते हैं और सिफारिश से नौकरी पा जाते हैं। एक साहब के लड़के ने कहा भी कि पढ़ने की क्या जरूरत है, नकल करके पास हो जाऊंगा और सिफारिश से नौकरी मिल जायगी, इसलिये पढ़ने की तकलीफ कौन उठावे। मेरी गुजारिश है कि अगर इम्तहान लेकर नौकरी देने की बात हो जायगी तो आयन्दा लोग डरेंगे कि बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है।

श्रीमन्, पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी मुझे यह कहना है कि वह ऐसा होना चाहिये जिसे पढ़ कर लड़के अच्छे नागरिक बन सकें। श्री गोविन्दसहाय जी ने प्रजातंत्र की बहुत सी बात कहा लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उससे उनका क्या मतलब था। मैंने बड़े गौर से सुना कि आखिर उनका कैसा प्रजातंत्र है और क्या है। मेरी गुजारिश यह है कि अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बच्चों में धार्मिक भावना को जाग्रत करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि हम आराम से रहें तथा वे भी आराम से भविष्य में रहें तो उनके अन्दर धार्मिकता पैदा करनी होगी। अगर बचपने से बच्चों में धार्मिकता नहीं आयी, मास्टर में धार्मिकता नहीं आयी, ईश्वर का डर न हुआ तो मेरा खयाल है कि आपकी सारी स्कीम फेल हो जायगी। आज हमारे यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाखों रुपये ३ रु० सैकड़े सालाना सूद पर कर्ज देने के लिये तैयार हैं और ऐसे नौजवान, होशियार, चरित्रवान और बुद्धिमान आज भी मौजूद हैं जो ६ रुपये सैकड़े सूद पर कर्ज लेकर भी सूद वापस करके हजार रुपया महीना कमा लें। लेकिन जब तक अनीश्वरवाद में आस्था रहेगी, धार्मिक भावना में विश्वास नहीं होगा, तब तक यह चीज होने वाली नहीं है। अब तो गबन करने वाला ही होशियार कहा जाता है। आज जो अधार्मिक, चरित्रभ्रष्ट सेठ जो पूंजीपति के रूप में बैठे हुए हैं और चरित्रवान नौजवान पैसे न होने की वजह से खुदकुशी के लिये तैयार हैं। इसलिये चरित्र की तरफ भी ध्यान दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों शाम से क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् विधेयक के ऊपर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मैं यह समझता हूं कि क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी राय प्रकट करने में किसी भी प्रकार के राजनीतिक दोशार के बन्धन को स्वीकार नहीं किया। जनहित में और देश हित में जो कुछ भी उचित किसी भी माननीय सदस्य ने समझा, उसने वह बात कही।

मैं समझता हूं कि इस पूरे सदन के लिये यह गौरव की ही बात है कि जनहित और राष्ट्र-हित में वह स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को प्रकट करें। इस वजह से मैं चन्द नहीं बल्कि तमाम ही माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने विचारों को प्रकट कर के बहुत बड़ा योग दिया है। यहां विशेष रूप से मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि इस बिल में जो सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है और पूरे सदन में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना हुई है वह यही है कि सरकार जनता के ऊपर, जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर पूरा विश्वास करने को तैयार नहीं है और उसके मन में यह हिचकिचाहट है कि यदि जनता को इतने बड़े अधिकार देंगे तो न जाने उनका कितना दुरुपयोग होगा और वह जनता और प्रदेश के विकास में न जाने कितनी बड़ी बाधा डालेंगे। जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, पूरा सदन इससे सहमत है, और विशेष रूप से उन माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया जो सरकार की पार्टी में हैं, यानी बहुमत सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं वह इस बात को साबित करते हैं कि यह सदन सचमुच यह चाहता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर पूर्ण विश्वास किया जाना चाहिये और यही चीज हमारे प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का कारण बन सकती है।

माननीय नवलकिशोर जी ने एक बात बहुत सही कही और मैं समझता हूं एक बहुत नई बात उन्होंने कही, जिसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा, कि यदि हम आज कुछ कुछ पुरानी

[आचार्य दीपंकर]

परम्पराओं से सम्बन्ध तोड़ना चाहते हैं और नई सामाजिक और सांगठनिक प्रगति करना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ साहस बटोर करके आना पड़ेगा।

जिलाधीश के सम्बन्ध में यह गलत धारणा है कि जितने भी जिम्मेदारी के काम हैं वे सब जिलाधीश ही केवल सम्पन्न कर सकते हैं और समझा जाता है कि वह कोई भी गैरजिम्मेदारी या गलती का काम नहीं कर सकते। यह आश्चर्य की बात है कि जनता के प्रतिनिधि जिनको कई कई हजार जनता ने मिलकर चुना है उनकी बात तो अविश्वसनीय हो सकती है, उनका चरित्र कलंकित हो सकता है लेकिन कल का लौंडा, जिसने कोई अनुभव नहीं किया है, परीक्षा पास करने के बाद उसको सब चीज के लिये जिम्मेदार समझा जाता है। इससे ज्यादा कोई गैरजिम्मेदारी की बात नहीं हो सकती और इस तरह के पिछले और प्रस्ताव और विचार सरकार के हैं। जिनको जनता ने जिम्मेदार आदमी समझा है उनको ही वह अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है और वह समझती है कि यह हमेशा जिम्मेदारी से काम करेंगे, उन पर सरकार का विश्वास नहीं है। श्री नवल किशोर जी ने यह भी कहा कि यदि विकेन्द्रीकरण के प्रश्न को इतना नीचे तक ले जाने का सवाल है तो क्यों नहीं ऐसा प्रयोग किया जाता कि ऐसी संस्था बने कि जिसका नाम आफिशियल चेयरमैन हो और जिलाधीश सेक्रेटरी बने और इस प्रकार वह काम करें। माननीय गोविन्दसहाय जी ने कहा कि अब तक हम जो पुरानी अंग्रेज के जमाने में मशीनरी थी उसी का प्रयोग करते थे और जो मशीनरी इस बिल के द्वारा सरकार बना रही है वह एक नई मशीनरी सम्पादित की जायगी। इस बिल के द्वारा यदि नई राष्ट्रीय मशीनरी स्थापित होना है तो मुझे आशंका है कि यह एक खतरनाक ब्यूरोक्रैटिक पावर की परम्परा खड़ी की जा रही है और उसी पर एक अटूट विश्वास खड़ा कर के जनतंत्र की किस्मत को उसी की मुट्ठी में दिया जा रहा है, यह चीज बहुत आशंकाजनक है।

इस पर कल विरोधी दल के नेता, माननीय त्रिलोकीसिंह, ने अपने विचारों को प्रकट करते हुये बहुत ठोस सुझाव इस बिल के सम्बन्ध में रखे थे और उन्होंने कंक्रीट तरीके से एक एक बात का उल्लेख करके जो आलोचना की थी उससे मैं समझता हूं कि बहुत ठोस तरीके से इस पूरे विधेयक की कमजोरियों को उन्होंने प्रकट किया। यह एक बड़े कमाल की बात है कि पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, तो जिसको अंग्रेजों की नौकरशाही की मशीनरी को मजबूत करने के लिये बनाया गया था, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार थे भी, परन्तु अब सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिये जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें आज अस्पताल तक खोलने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है।

पूरे सदन ने, बिना इस बात का खयाल किये हुये कि कौन कांग्रेस पार्टी का है और कौन विरोधी पक्ष का है, जनहित में इसकी जितनी आलोचना होनी चाहिये थी वह की। इन तमाम विचारों के लिये मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा जो तीन उम्मीदें की गई थीं, वह तीनों पूरी नहीं होती हैं।

पहली उम्मीद थी कि सत्ता एकत्रित न होकर विकेंद्रित होनी चाहिये, उसको बंट जाना चाहिये। बंटी हुई सत्ता भ्रष्टाचार का नियंत्रण करती है और सामाजिक बुराइयों को दूर करती है। सत्ता जब एक जगह केंद्रित हो जाती है तो सारी बुराइयों का भंडार वहां हो जाता है। यह बात इससे पूरी नहीं होती। दूसरे, जनता की जो शक्तियां रिकंस्ट्रक्शन के काम की हैं, वह जागृत हो सके, वह भी इसके द्वारा पूरी नहीं होती है। तीसरी बात जनता अपने साधनों का संग्रह करके किस प्रकार नवनिर्माण के कार्य में आगे बढ़े, जो बलवन्तराय मेहता कमेटी का सारांश है, वह भी इसके अन्दर खत्म हो जाता है। उसमें जो जन विरोधी तत्व बतलाये गये हैं वह सारे के सारे इसमें एकत्रित कर दिये गये हैं। जनता के ऊपर जो विश्वास करके अख्तियार देने का सवाल है वह इसमें से निकाल दिया गया है।

इन चीजों के बावजूद विरोध पक्ष के माननीय नेता ने मंत्री जी से बातचीत की थी और मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि पिछले १२–१३ वर्ष से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पुराना ढांचा था उसको वह बदलना चाहते हैं और उसकी जगह फरवरी में जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इस योग्य नहीं है कि इसको कोई नैतिक समर्थन प्राप्त हो। फिर भी, विरोधी पक्ष का एक लायल मेम्बर होने के नाते और विरोध पक्ष के नेता ने जो आश्वासन मंत्री जी को दिया और जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया कि फरवरी में चुनाव करा देंगे, उनको ध्यान में रखते हुये और यह कि मैंने जो संशोधन रखा था वह कोई व्यक्तिगत हैसियत से नहीं रखा था बल्कि विरोध पक्ष के एक वफादार मेम्बर होने के नाते रखा था, मैं उसको वापस लेता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं भी इस आदरणीय सदन का बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं। माननीय सदस्यों ने अपनी स्वतंत्र राय दी और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि बिना इस बात का खयाल किये हुये कि वह किस पार्टी से आते हैं, अपनी राय दी, इसके लिये मैं उन सब लोगों का अनुगृहीत हूं। वास्तव में सरकार की तरफ से कोशिश की गई और हर ऐसे मौके पर जबकि जरूरी हुआ तो विरोधी दल के माननीय नेताओं को और दूसरे सदस्यों को भी जहां तक संभव हुआ विश्वास में लेने की कोशिश की गई और उनकी राय से लाभ उठाया गया तथा बहुत बार उसके मुताबिक काम भी किया गया। मैं माननीय दीपंकर जी का और भी ज्यादा अनुगृहीत हूं कि उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया और इस विधेयक पर विचार होने के लिये जो रुकावट हो सकती थी, उसको हटा लिया।

बहुत ज्यादा जो यहां पर भाषण हुये उनके पीछे अगर इतनी ज्यादा अविश्वास की भावना न होती तो शायद वह तस्वीर जितनी विकृत और दूषित दिखाई दी उतनी न दिखाई देती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार सरसरी तौर से न पढ़ कर थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश की होती और चीजों का जो सही रूप है उसको देखने की कोशिश की जाती तो ऐसा विकृत रूप लोगों को दिखाई नहीं देता जो दिखाई दिया। मुझे दुख हुआ उन लोगों के भाषण सुन कर, जिनके अनुभव के सामने मैं अपना सिर झुकाता हूं और जिनकी माकूल राय को मैं बहुत सही पाता हूं लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि उन्हें जितना ध्यान इस बिल के अध्ययन में और समझने में देना चाहिये था, उतना उन्होंने नहीं दिया। मैं बहुत ज्यादा दोष भी नहीं दे सकता हूं दुर्भाग्य से आज का वातावरण ऐसा है कि एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं और कहा जाता है कि जो ऊपर से कहा जाता है वास्तव में वह सही चीज नहीं है, दिल के अन्दर कोई चीज और है और लोगों को आशंका रहती है कि कहीं उनकी असावधान अवस्था में वे किसी गिरफ्त में न आ जायं, इसलिये बहुत सजग और संदेह में लोग रहते हैं।

बार-बार कहा गया कि इस बिल से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट कहीं ज्यादा ताकत देता था और प्रोग्रेसिव था। श्रीमन्, मैं यह तस्लीम करता हूं और आज अगर मुझसे कहा जाता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की पुनरावृत्ति कर दो तो बहुत मुमकिन था मैं उससे और कहीं आगे जाने को तैयार हो जाता और दे देता और भी कुछ ज्यादा ताकत जिनकी यहां मांग हुई। लेकिन सवाल तो यह है कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है नहीं, उससे कहीं ज्यादा काम दिया जा रहा है और जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं अगर समझदारी से उनको वर्क आउट करे तो इसके अन्दर ऐसा जाल बिछाया गया है कि वह बढ़ता ही जा सकता है पीछे नहीं हटेगा। और जो कदम आगे बढ़ेगा, जनता ने अगर ठीक से आचरण किया तो यह बढ़ता जायगा, इसकी संभावनायें विकसित होंगी पीछे हटने वाली चीज नहीं है। समझना चाहिये कि हम एक ऐसी चीज प्लानिंग इस संस्था को दे रहे हैं, यह सही बात है कि बहुत से विभागों द्वारा उतना विचार इस पर नहीं दिया गया जितना स्वायत्त शासन ने दिया है, कारण यही हो सकता है कि उतना समय अन्य विभागों को न मिला हो, और हमने इंतजाम नहीं किया। इसीलिये यह प्राविधान रख लिया कि जब वह समय आवे तो इसमें हम इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जहां हम प्लानिंग दे देते हैं वहां वास्तव

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

में हर डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अधिकारी के लिये लाजिमी कर देते हैं कि वह वहां पर उपस्थित रहे, परिषद् के विचार विनिमय में भाग ले सके, सूचना दे सके, सवालों का जवाब दे सके, कैफियत अगर कोई तलब की जाय तो दे सके, सफाई दे सके, यह सारी बातें इसके अन्दर हैं।

जिस तरह से डेमोक्रेसी बढ़ती है, सबसे अच्छा उदाहरण जिसका अगर कहीं है, जिसकी आज तारीफ की जाती है, और जो अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देता जाता है, वह इंगलैन्ड है। उनका अगर हम विधान देखेंगे तो वह रिएक्शनरी विधान हैं लेकिन वहां पर जिस तरह से आचरण हुआ सरकार की ओर से और विरोधी दल की ओर से जिस सजगता तथा सावधानी का परिचय दिया गया उससे वहां के अधिकार बढ़ते गये और जैसे दो चार बार पहले कह चुका वहां का किंग एम्परर एक लड़की के साथ शादी करने के लिये भी स्वतंत्र नहीं हो पाता, यहां तक शक्ति सीमित हो जाती है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो किसी ऐक्ट में बहुत सारी चीजें डाल देने से वह चीजें नहीं कर सकेंगे जो कि जनता के सजग होने से, योग्य होने से, सावधान होने से कर सकेंगे।

सबसे बड़ी गलती जो माननीय सदस्यों ने यहां बतलाई वह यह कि एक तरफ तो हम हामी भरते हैं लोकतंत्र प्रणाली की और उसी लहमें में उस डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात कहते हैं। वह कहते हैं कि सरकार विश्वास करती है ब्यूरोक्रेसी का, इलेक्टेड मेम्बर्स का नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं इलेक्डेड नहीं हूं? जब मेरा अविश्वास किया जाता है, सरकार का अविश्वास किया जाता है तो किसका अविश्वास किया जाता है? यह डेमोक्रेसी का अविश्वास नहीं है। क्या कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी विलेज, क्षेत्रीय तथा जिला परिषद स्तर पर सही हो सकती है लेकिन राज्य स्तर पर वह गलत हो जाती है, उसमें दोष आ जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि गांधीवादी साहब इसे लेकर आये हैं, यह विचित्रीकरण है। वास्तव में मेरी ख्वाहिश का ही यह बिल नहीं है, यह बिल सदन का है। सदन की मोहर लगा कर यह बिल पास होगा। अगर मैं एक डिक्टेटर होता तो एम० एल० एज० को मैं इसमें नहीं चाहता था, वह इसमें न होते। लेकिन यह बिल सदन का है। एम०एल० एज० चाहते हैं कि हम इसमें रहें तो मैं कौन हूं बाधक होने के लिये। उसी लहमें में हम यह कहें कि डेमोक्रेसी तो अच्छी है लेकिन स्टेट लेविल पर वह खराब हो जाती है। जब करोड़ों लोगों से चुनकर आदमी आये हों तो वे खराब हो जाते हैं। और जो यहां की ब्यूरोक्रेसी है उसका भी हर आदमी खराब है। अगर डेमोक्रेसी को सफल होना है तो वह ब्यूरोक्रेसी जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेगी पब्लिक ओपीनियन को और पब्लिक ओपीनियन के मुताबिक यह काम नहीं करेगी तब तक हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। क्या यह समझा जाता है कि यहां की ब्यूरोक्रेसी भी रिएक्शनरी रहे, यहां की डेमोक्रेसी भी रिएक्शनरी रहे और इस पर भी हमारा विकेंद्रीकरण सफल हो जायगा। यह कंफ्यूजन आफ थाट है।

एक महाशय ने कहा कि बुलन्दशहर में ऐक्शन लिया गया प्रेसीडेंट के बरखिलाफ और दो दिन के बाद मिनिस्टर ने उसे बदल दिया। विचित्रनारायण शर्मा को दोष दिया जाता है कि वे कायम क्यों नहीं रहे उनको हटा देने के लिये। अगर विचित्र नारायण शर्मा ने गलती की, गलत आर्डर्स निकाल दिये और फैक्ट्स को देखने के बाद यह मालूम हुआ कि यह गलती थी उसको दुरुस्त कर लिया तो उसके लिये तारीफ होनी चाहिये थी कि जो नाजायज चीज थी उसे ठीक कर लिया। दोष दिया जाता है इसके लिये तुमने लीनियेंसी क्यों दिखलाई, आटोक्रेटिक क्यों नहीं रहे। तुमने उस आर्डर को वापस क्यों ले लिया। लेकिन एवरीथिंग इज फेयर जिससे कि सरकार को पीटा जा सके। सरकार का दोष अगर साबित हो सकता है तो वही चीज जिसे हम दूसरी जगह अच्छी मानते हैं यहां बुरी हो जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तरीका इस विधेयक को समझने का मेरे खयाल में गलत है। जब तक हम उसे सही प्रकार से नहीं समझेंगे कि जो जनता स्टेट लेविल पर निकम्मे आदमियों को भेज सकती

है वह जिला स्तर पर बड़े अच्छे आदमियों को भेज देगी, जिनसे कभी गलती नहीं हो सकती और जिन्हें कभी सुपरसीड करने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं कहूंगा कि दिमागों के अन्दर विचारों की सफाई नहीं है, उलझनें हैं।

यहां पर ज्यादातर उन पार्टियों के लोग बैठे हुये हैं जिन्होंने केरल की एक सरकार को खत्म करने के लिये आवाज ही नहीं उठायी बल्कि एक इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा किया केरल के अन्दर कि जनमत के सामने वहां की सरकार को खत्म करना पड़ा। आज भी आसाम के ऊपर बंगाल शोर मचा रहा है, जनता की तरफ से शोर मचाया जा रहा है कि यहां पर सेंटर हस्तक्षेप करे। हमको समझना चाहिये कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम यह कल्पना कर रहे हैं कि जो जिला परिषद् बन रहे हैं ये हम अपने दुश्मन पैदा कर रहे हैं, ये ऐसे हैं कि उग्रसेन का लड़का कंस पैदा हो रहा है कि जो सब को खत्म करने के लिये ही आया है। यह गवर्नमेंट का एक विस्तारमात्र है और उसको व्यापक बनाया जा रहा है। सरकार एक और शक्ति जिला स्तर पर खड़ी करना चाहती है।

जिला स्तर पर हम एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और वह उसी कदर साकार है जितनी कि स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट वैसी ही है जैसी कि केंद्र की गवर्नमेंट है और हमारी पंचायतें जो हैं ये शासन के विकेंद्रीकरण की चीजें हैं। ये सब समझदारी के साथ नीचे से ऊपर तक चलें, यह कल्पना की जाती है। और अगर हमारा समाज समझदारी से काम ले तो इनमें संघर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर संघर्ष होता है तो फिर जो छोटी शक्ति है उसे बड़ी शक्ति के सामने, जो शक्ति छोटे दायरे के अन्दर लोकतंत्र को रेप्रेजेंट करती है, उसे झुकना पड़ेगा उस शक्ति के सामने, जो बड़े पैमाने पर, व्यापक दृष्टि से लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कोई कंट्राडिक्शन की बात नहीं है। यह सोचना कि मिनिस्टर गलती कर सकता है उतना ही ज्यादा शक करना है जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर जितना सरकार सोचती है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष, उसके सदस्य कभी-कभी गलती कर सकते हैं।

जिस तरह से केरल में गलती हो सकती है वैसे ही यहां भी हो सकती है, यह बिलकुल मुमकिन बात है। आज ऐसा अध्यक्ष आ सकता है जो सतत् सत्याग्रह के अन्दर विश्वास करता हो, ऐसे भी आ सकते हैं जिनका यह विश्वास हो कि उनसे या उनके ग्रुप के बाहर डेमोक्रेसी है ही नहीं, जो डेमोक्रेसी है वह सिर्फ वहीं तक है जहां तक वे समझते हैं। करोड़ों आदमी जो दूसरे हैं वे अपने को फ्री विल से एक्सप्रेस करें, अपना विधान बनायें, वह डेमोक्रेसी नहीं है। यह विरोध निकालना होगा। फिर सरकार के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वह क्या थी। हम एक ऐसे डिपार्टमेंट को, ऐसे काम को जो कल तक और आज भी कहा जा सकता है कि सरकार की मार्फत चल रहा है, उसको हम जनता के हाथ में दे रहे हैं। तो हमसे यह आशा की जाती है कि एकदम सोलह आने हस्तांतरित कर दिया जाय। यह ऐसी चीज है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने आपको हेल्पलैस फील करती है क्योंकि प्लानिंग का कन्सेप्शन लोकतंत्र के विचार से थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। अब कोई प्लान बनता है तो उसके मुताबिक काम हो, जल्दी हो तो इन सबके अन्दर रेजीमेंटेशन आ जाता है और इसे एवाइड नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहे तो भी नहीं कर सकती है। इसलिये दसियों बार यहां से लिखा गया और कोई चीज तय होती है तो प्लानिंग उसको काट देता है। अब ऐसी चीज, जिसके लिये हमारे कमिटल हैं केंद्रीय सरकार के प्रति, जिनको हम दुहराते हैं और बजट में डालते हैं तो उनका भी हम सेफगार्ड न करें कि कमिश्नर बजट के पास करने के लिये इतना तो देख ले कि प्लान के जो आइटम्स हैं उनमें ही खर्चा हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह खर्च कर दिया गया हो?

श्रीमन्, आज भी ऐसा होता है कि सड़कों के लिये रुपया दिया जाता है लेकिन उन पर खर्च न होकर वह तनख्वाहों में खर्च हो जाता है, वाटरवर्क्स के लिये रुपया दिया लेकिन खर्च दूसरी जगह होता है, इसी तरह से बिल्डिंग्स के लिये रुपया देते हैं लेकिन उन पर खर्च न हो कर

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

दूसरी जगह खर्च हो जाता है। अब इतना भी अधिकार न रहे कि यह मिसयूज न हो तो यह कहां तक ठीक है। आज मिसयूज होता है और जनता के प्रतिनिधि कहते हैं जो आज हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है कि हम ऐसा करते हैं। क्या फैक्ट्स से भी इंकार किया जा सकता है? और जब तक यह चीज रहेगी हमें यह प्राविधान रखना पड़ेगा। आज भी कानपुर में जिस तरह से बजट पास होना चाहिये था नहीं हो सका है। कानपुर के बारे में हम समझते थे कि सबसे बड़ा शहर है, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के मेम्बर्स आये हैं और नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख दोनों एक ही पार्टी के हैं तो होमोजीनिटी रहेगी और होमोजीनियसली काम चलेगा। लेकिन वहां पर बजट तक पास नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट क्या करे? हमने इंटरफियर नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट इन चीजों के लिये कुछ न करे और बहुत ज्यादा खराबी देखे तो इंटरफियर करे इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। इसलिये जिन चीजों को गवर्नमेंट के नियंत्रण में किया जा रहा था उनको प्रतिनिधियों को दे रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—कहां दे रहे हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो समझ की बात है। उनको दिखाई नहीं देगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सावन में दिखाई नहीं देता और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन को और महीनों में दिखाई नहीं देता। मैं यह कह रहा हूं कि सदन फैसला करेगा .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि हर बात में बोलने का तरीका सही नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके बाद कहा गया कि डेमोक्रेसी में यह आपत्तिजनक है। किसी ने कहा कि उनको अपना सिर नीचा कर लेना चाहिये जो वह ऐसा विधेयक लाये हैं। लेकिन मैं तो अपना सिर गौरव से ऊंचा करता हूं क्योंकि जो सदन चाहता है और जो उसकी इच्छा है वह प्रतिफलित होती है इसलिये मैं क्यों शर्मिन्दा हूं। जब किसी चीज पर सदन की मोहर लग जाती है तो उसके लिये यह कहना कि यह डेमोक्रेसी नहीं है, यह गलत है। सबसे बड़ी आपत्ति यह की गयी कि सरकारी अफसरों को वहां पर रख दिया है। थोड़ी देर के लिये मैं मान लेता हूं कि सरकारी अफसर रखना गलत है लेकिन अगर सरकारी अफसर न रखेंगे तो कोई तो रखेंगे ही। आज जिनको रखे हुये हैं उनके रखने के बाद क्या नतीजा है। कितने सदस्य ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं कि हर बोर्ड के अन्दर सेक्रेटरी और एक्जिक्यूटिव अफसर को लेकर म्युनिसिपल बोर्ड में झगड़ा और पार्टीबन्दी है।

एक मेम्बर थे म्युनिसिपल बोर्ड के। मेरी पार्टी के नहीं थे लेकिन मेरे से मिलने आया करते थे खास तौर से जब मैं उनके शहर में जाता था। मैंने उनसे एक बार कहा कि सब तो तुम्हारी बात ठीक है लेकिन ऐसे खराब आदमी को, जिसकी इतनी ख्याति खराब हो, उसको क्यों सपोर्ट करते हो? मालूम नहीं क्यों उनको मेरी बात लग गयी। उन्होंने थोड़े दिनों के बाद उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद ऐक्शन लेना शुरू किया। डेढ़ दो महीने के अन्दर पांसा पलट जाता है। सेक्रेटरी और एक्जिक्यूटिव आफिसर दूसरी पार्टी के साथ अलाइनमेंट कर लेते हैं। उन महाशय के खिलाफ नो कांफीडेंस आ जाता है और दूसरे रोज उनको लद कर चला जाना पड़ता है। कई जगह ऐसा हो चुका है। इसीलिये माननीय सदन का यह बार-बार तकाजा हुआ कि आप इन सब की सर्विसेज को नेशनलाइज करें। उसका हम सेपरेट विधेयक लाने के लिये सोच रहे हैं। अगर वह हो जाता है तो वह प्वाइंट तो रहेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो सकेगा। वह आज भी हो सकता है।

यह कहना कि एक नया कैडर अगर बने तो अच्छा हो जायगा और सरकारी अफसर गलत रहेंगे, यह डेमोक्रेसी में बैठता नहीं। अगर हमें अपने देश के अन्दर डेमोक्रेसी को सफल करना

है तो इस ब्युरोक्रेसी को बदलना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं बदल सकते तो हमारे कार्य सफल नहीं हो सकेंगे, अगर वाकई में हम इनको प्रतिक्रियावादी और गलत मान लें। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मेरे लिये कहा गया कि मैं ईश्वर से भी ज्यादा उनसे डरता हूं। मैं विश्वास करता हूं और मेरा यह सौभाग्य है कि अगर मैंने विश्वास किया तो मुझे विश्वास का फल विश्वास में मिला। मुझे स्मरण नहीं होता कि मुझे बहुत आदमियों ने धोखा दिया। मैं उसके लिये पश्चात्ताप नहीं करता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आफिशियल और नान आफिशियल के नाम से जो भड़क जाते हैं यह मिटाना होगा और इस विकेन्द्रीयकरण और यहां स्टेट लेविल को डेमोक्रेसी को एक ऐसी अवस्था प्राप्त करानी होगी जिसमें यह भेद हट जायं। और यह एक उसका तरीका है। हम उनको जिम्मेदार बनाते हैं, अधिकार देते हैं और अगर हम इसको समझदारी के साथ काम में लायें तो हमारी ये ताकतें बढ़ती चली जायेंगी और हमने इस विधेयक में जिन चीजों का ख्वाब देखा है वह सही हो सकेंगे और किसी को रिग्रेट करने का मौका नहीं मिल सकेगा।

कहा गया कि गलत चीजों पर सरकार सुपरसीड करती है। एक तो बुलन्दशहर का मैं अभी बता चुका हूं। तीन केसेज मुझे मालूम हैं, जिनमें शायद दो का जिक्र सदन में भी आया है। एक का नहीं आया लेकिन वह मेरे इल्म में है। मैं मानता हूं कि हमारे यहां से गलत आर्डर कई बार चले जाते हैं। जब से मैं इस विभाग में काम कर रहा हूं तब से मेरा अनुभव है कि ३ आर्डर ऐसे गये जिनको गलत समझा गया। जैसे वह मेरे नोटिस में आये तो मैंने उनको रेक्टीफाइ कर दिया। यह मैंने वादा कर दिया था कि मैं उनको रेक्टीफाइ कर दूंगा। ऐसे फ्रीवोलस रीजन्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड को चूंकि उन्होंने किसी स्कूल को ग्रांट क्यों दी, सुपरसीड किया जाय तो इससे ज्यादा गलती और नहीं हो सकती।

मुझे अफसोस है कि ऐसे आर्डर हमारे यहां से गये हैं। उसके लिये मुझे अफसोस है लेकिन समझना चाहिये कि यह अधिकार मैं अपने लिये नहीं मांग रहा हूं। मैं यहां रहूंगा ही यह कौन जानता है। अभी थोड़ी दिनों बाद चुनाव आने वाला है। विरोधीदल के लोग क्या यही मानते रहेंगे कि वह कभी जीतेंगे नहीं या हमेशा वह विरोधीदल में ही बैठे रहेंगे और हमारे साथ नहीं आ सकते हैं? बहुत से बदल जाते हैं और बदल सकते हैं। आखिर हम यह कैसे मान लें कि जब तक हम यहां रहेंगे तो गलती पर ही रहेंगे? अपनी गलतियों को दुरुस्त भी कर सकते हैं और हम भी अपनी राय बदल सकते हैं। इस बिल में अगर कोई चीज हुई, वह कौन सी गलत चीज है। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो भी जनता को प्रिय हो, जिनका नेतृत्व, व्यक्तित्व जनता को पसन्द होगा वह आयेंगे और अगर वह आते हैं तो सरकार यह अधिकार उनको देना चाहती है।

सरकार तो इस सदन की एक कठपुतली है। मैं तो इस सदन को अधिकार दे रहा हूं, अपने लिये कहां मांग रहा हूं? अगर मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार देता हूं या जिसमें इस सदन का विश्वास है, उन माननीय सदस्यों के हाथ में अधिकार देता हूं तो कौन सी गुनाह करता हूं। यह कौन से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपुल के खिलाफ है? इस सदन की मार्फत उनको यह अधिकार देते हैं कि वे अपने यहां का काम चलायें। हम तो थोड़ा सा वाच करेंगे। अगर कहीं किसी तरह की गलती हुई तो थोड़ा सा हम कुछ करेंगे। इसमें कौन सी बुराई की बात है? अगर हमको कुछ देना न होता और कुछ करना न होता तो हमें किसी ने कहा था कि ऐसा करो? हम क्यों ऐसा करते कि आ बैल मुझे मार, हम खामोश रहते। केवल चुनाव करा देते और मामला खतम हो गया होता लेकिन हम सचमुच में चाहते हैं कि विकेन्द्रीयकरण हो। हम चाहते हैं कि जनता का जितना काम उनसे ताल्लुक रखता है उस काम को उनको स्वयं करना होगा। जहां तक और विभाग हैं जिनका ताल्लुक जिला परिषद् से है, हम चाहते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा उन विभागों का काम जिला परिषद् की इच्छा के मुताबिक चले, यह हमारी ख्वाहिश है। यही हमारी इच्छा और हमारी कोशिश होगी। हमने पुलिस को नहीं दिया इसके लिये माननीय विरोधीदल के नेता ने मांग की लेकिन जिन लोगों से मैंने व्यक्तिगत बात की, किसी ने यह मांग नहीं की कि पुलिस का ट्रांसफर उचित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैंने प्रस्ताव किया था वह आप भूल गये। मैंने पुलिस के अधिकार पंचायत को देने के लिये कहा था।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—सन् १९३८ में खेर कमेटी ने यह प्रस्ताव किया था।

श्री उपाध्यक्ष—बिला आज्ञा इस प्रकार से बोलना उचित नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कम से कम जितने महाशय मेरे सामने बैठे हैं उनसे मैंने इसके लिये पूछा। उन्होंने कहा कि बड़ी खतरनाक बात होगी। ऐसे व्यक्ति, जिनका विश्वास आज हमारी पुलिस में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेविल के जो नेता हैं, उनके हाथ में अगर पुलिस चली जायगी तो क्या होगा? जिनका आज हमारी अदालतों में विश्वास नहीं है, जो एक हर कदम पर हर चीज के लिये सत्याग्रह या दु ाग्रह करने की बात सोचते हैं वह इस चीज को हम से मांगें, कल को सब से पहले वही कहेंगे कि हमें तबाह कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, कहां यह पुलिस इन के हाथ में दे दी। सरकार के हाथ में रहती है तो इतना जुल्म करती है और अगर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर यह चली जायगी तो हमारे लिये कयामत बरपा हो जायगी, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह भले ही हमारा सौभाग्य हो अथवा दुर्भाग्य, जिस पार्टी को हम रेप्रेजेन्ट करते हैं उसने इस बात को माना नहीं।

इसके अलावा जो नियंत्रण हम इसमें रख रहे हैं उनको भी अगर देखा जाय तो वास्तव में पता लगेगा कि वे कितने निर्दोष हैं। कहा गया कि जिस तरह से गवर्नर महोदय यहां आते हैं और एड्रेस करते हैं सारे हाउस को ऐसे ही डी० एम० एड्रेस करेंगे। ऐसी कोई कल्पना इस के अन्दर नहीं है और एड्रेस करने की बात डी० एम० के, जहां तक है वह जिला परिषद् के मानने न मानने पर निर्भर करती है, उसके हाथ में है। डी० एम० सिर्फ डाइरेक्टिव्स ईश्यू कर सकता है और वह उस हालत में कि जब वह गवर्नमेन्ट के बिहाफ पर ऐसा करे। गवर्नमेन्ट को कंफीडेंस में लेकर वह ऐसा करेगा। पहले गवर्नमेन्ट को खबर दे, या अगर तत्काल ऐक्शन लेना जरूरी है तो वह गवर्नमेन्ट को खबर देगा। बिला गवर्नमेन्ट की परमीशन के, सहमति के वह कोई ऐक्शन नहीं ले सकता और अगर डी० एम० ऐक्शन लेता है तो गवर्नमेन्ट ऐक्शन लेती है। यह सजेशन कि गवर्नमेन्ट ऐक्शन न ले, श्रीमन्, कम से कम इस स्थिति में कोई भी सरकार हमारे स्थान पर होतीं, कभी नहीं मान सकती थी, कम से कम ऐसा निर्णय नहीं ले सकती थी। यह नहीं कर सकती थी कि जितने भी डिपार्टमेन्ट चल रहे हैं उनको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उनको ट्रान्सफर कर दिया जाय। कम से कम इस सरकार की हिम्मत इसके लिये नहीं पड़ी कि जिस तरह से यह संस्थायें चल रही हैं उन के ढंग को देखते हुये ऐसा अधिकार उनको दिया जाय। अगर वह कोई गलती न करती है तो ऐसा कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन अनुभव के बाद ऐसा करना सरकार के लिये खतरनाक होता।

इसमें सर्वेन्ट्स को पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत लेने की बात है और इस बारे में भी टीका टिप्पणी हुई। टीका यह हुई कि पब्लिक कमीशन की बात तो ठीक है, लेकिन सरकार ने जो एक दूसरा स्टेट कमीशन बनाने की बात की है वह ठीक नहीं है। यह इसलिये किया जा रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ६,७ मेम्बर्स होते हैं और यह काम जिसका इस के अन्दर प्राविधान है, जल्दी ही हो जाना चाहिये। जितने परिषदों के सर्वेन्ट्स हैं वे इस के लागू होते ही टैम्पोरेरी हो जायेंगे। ऐसी हालत में उन सब का वहां से एप्रूव होना, उनके परीक्षण आदि में पब्लिक सर्विस कमीशन में देरी लग सकती है। यह देर न लगे और यह काम जल्दी हो जाय इस वास्ते एक दूसरा कमीशन बनाने की बात की गयी है जो कि उन्हीं के लिये है। इसके अलावा जैसा कि सदन में कई बार मांग रही है कि इन सर्विसेज को प्राविंशियलाइज किया जाय तो उसके लिये भी एक कमीशन हमें बनाना पड़ेगा और यह कमीशन वह कार्य करेगा। और यह डिस्ट्रिक्ट लेविल पर अलग-अलग भी बना सकते हैं। यह सोचा गया था कि अगर इस काम को जल्दी

कराने की आवश्यकता होगी तो एक कमीशन शायद काम न कर सके, और इसीलिये यह किया गया कि दस-दस, आठ-आठ जिलों के लिये एक कमीशन बना दिया जाय ।

अब जहां तक कर्मचारियों की सेवायें स्थायी करने का प्रश्न है, इस पर भी सरकार को कोई आग्रह नहीं है कि इनको ऐसा ही किया जाय और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस समय वह विषय सामने आयेगा उस समय इस पर विचार किया जा सकता है कि वे अस्थायी हों या न हों। हमें इस पर कोई आग्रह नहीं है कि हम ऐसा ही करेंगे।

जहां तक और बातों का संबन्ध है उनके बारे में भी हमें किसी प्रकार का आग्रह नहीं है और जहां कहीं भी किसी संशोधन की आवश्यकता होगी, आवश्यकता पड़ने पर उसे किया जायेगा और उसको मानने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी ।

एक बात माननीय पालीवाल जी ने कही । वे इस समय यहां नहीं हैं । उन्होंने कहा कि आपने अधिकार तो दिये, काम भी दिया, जिम्मेदारियां भी दीं, मगर आपने साधन नहीं दिये। जहां तक साधनों की बात है, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि साधन आज केन्द्रीय सरकार के पास भी कम हैं, हमारे पास भी कम हैं और यह जो जिला परिषद् या और संस्थायें हैं इनके पास भी कम हैं। आप जानते हैं कि आज करोड़ों और अरबों रुपया हमारी सरकार बाहर से उधार ले रही है। हमारी अपनी प्रदेशीय सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से करोड़ों रुपया उधार ले रखा है और [illegible] ले लेती है और [illegible] में पब्लिक लोन भी रेज करती है। अभी अभी [illegible] के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि [illegible] करोड़ का लोन खोल दिया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि साधनों की कमी हमारे यहां है लेकिन सवाल यह है कि साधन कहां से लिये जायें और कहां पर थोपे जायें। इस सबसे इस विधेयक का क्या ताल्लुक है? इन बातों से इस विधेयक से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। इसके अन्दर तो हमने इस बात का प्रावधान कर दिया है कि जो भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, वह टैक्स परिषद् भी लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी स्वीकृति देनी होगी और वह स्वीकृति दी जा सकती है। उसके लिये इंडिपेन्डेन्टली एक सवाल किया जा सकता है, उसके लिये मांग की जा सकती है, सदन में उस पर विवाद किया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। आज भी अगर कहीं पांच, दस रुपया वेतन बढ़ाने की बात होती है तो उसे भी देने की बात पर सरकार सोचती है। लैन्ड रेवेन्यू का भी एक अच्छा हिस्सा उनको दिया जाय, यह भी हम सोचते हैं। इसके लिये हिदायतें भी दी गयी हैं कि इस प्रश्न को एग्जामिन किया जाय कि लैंड रेवेन्यू का हिस्सा उनको दिया जाय। आज भी सरकार करोड़ों रुपया देती है। इन सब के लिये सदन हमेशा मांग कर सकता है और इस सदन की मांग को कोई भी सरकार इनकार नहीं कर सकती है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा हूं जिससे कि अगर यह विधेयक पास हो गया तो हमेशा के लिये दरवाजा ही बन्द हो जायेगा, ऐसा नहीं है।

बहुत आपत्ति की गई इस बात पर कि आपने परिषदों के अन्दर ६०० रुपये की सीमा रखी है, वह तो डेढ़ हजार, १,२०० या २,००० होना चाहिये थी। श्रीमन्, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सरकार सब कुछ खुद करना चाहती है और सत्ता को केन्द्रित करती है, पर यहां तो सरकार ने केवल इशारा कर दिया है कि ६०० रुपये सालाना पर ५० रुपये मासिक से कम पर न हो, लेकिन यह कहां है कि ६०० रु० सालाना जिसकी आमदनी है उस पर लगेगा ही। जिस परिषद् के अधिकार छीनने का हमको दोष दिया जाता है, अगर हम उसको यह अधिकार देते हैं कि वह अपनी समझदारी से, अक्लमन्दी से और जनता का खयाल रख कर टैक्स लगायेंगे तो यह क्यों कहा जाता है कि वह जरूर बेईमानी और परेशानी करेंगे? एक तरफ तो अगर जरा कंट्रोल रखना चाहते हैं तो कहा जाता है कि लिल्लाह! क्या किया आपने? यह सरकार दस्तन्दाजी करती है, और अगर अधिकार देते हैं तो कहते हैं कि आपने तबाह कर

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

दिया, किन कम्बख्तों के हाथ में अख्तियार दे दिये। तो दोनों चीजें उलझन में डालने वाली हैं और मैं समझ नहीं सकता हूं कि एक ही साथ एक स्वर में दो विरोधी चीजों की मांग एक ही पक्ष से, कभी-कभी वह एक ही सदस्य के मुंह से आती है, एक ही समय में आती है। भिन्न-भिन्न समय पर आये तो मैं समझ सकता हूं कि आदमी की स्मृति भूलने की होती है हम भी भूल जाते हैं, लेकिन उसी क्षण, उसी वक्त, उसी वक्तृता में, भाषण में एक साथ दो मांगें एक दूसरे के बरखिलाफ ! थोड़ा खुदा का डर करना चाहिये कि चीज हम कह क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह समझना चाहिये। महज कहने ही कहने से काम नहीं चलेगा।

इसके अलावा, श्रीमन्, वा या यह है कि आज इस देश की हालत बहुत खराब है। आज साधारण नागरिक की आय कम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कितने आदमी ऐसे हैं जिनकी २,००० और ३,००० आमदनी है १०-१५ परसेंट से ज्यादा नहीं होंगे। ५-६,००० की आमदनी वाले तो ४ परसेंट से भी कम होंगे। सचमुच जिनकी आमदनी इतनी है कि उनकी आमदनी और न बढ़े तो डर नहीं। नहीं तो इ बदकिस्मत देश के ९५ प्रतिशत नागरिकों की आमदनी बढ़ने की आवश्यकता है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ऐसे गरीब देश का आपको इन्तजा करना है, अगर एक गरीब मजदूर को अपनी औरत के लिये कपड़ा लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, मकान पर फूस डालना है, खाना खाना है तो उस में से काट छांट करेगा। अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं और अधिकार देना चाहते हैं स्वायत्त शासन के क्षेत्र पर और गांव पर भी, तो गांव में करोड़पति मैं कहां से ले आऊंगा कि जिस पर टैक्स लगाकर यह काम चलाया जाय ? यह बदकिस्मती हमारी है। हमने तो इतना किया था कि कम से कम ५० रुपये से नीचे न हो और यह छोड़ दिया जिला परिषदों पर कि वह लगायें चाहे न लगायें, न लगाना चाहें तो न लगायें। ऐसे भी कुछ जिले हो सकते हैं जहां टैक्स आफिसर का खर्चा और जो मुनीम वगैरह रखे जाते हैं उनका खर्चा उस आमदनी से कम हो जाय, तो मैं सलाह दूंगा कि वे न लगायें यह टैक्स। गुनाह बेलज्जत क्यों किया जाय? गरीबों से रुपया ले लिया जाय, आपके पल्ले भी न पड़े और खामख्वाह को छेड़खानी हो तो इससे क्या फायदा? और जहां टैक्स लगाते हैं वहां थोड़ी चोरी वगैरह भी होती है, कुछ उसमें भी चला जायगा। सारा पैसा भी नहीं आयेगा तो कौन-सी बुरी बात इसमें है, कौन से दोष की बात इसमें है कि हमने यह सब परिषद् पर छोड़ दिया।

आचार्य दीपंकर--३ पैसे सैकड़ा ज्यादा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--एक पैसा एक रुपया का सौवां हिस्सा होता है तो ३ पैसे क्या चीज है? उसका खयाल भी कोई नहीं करता है। एक मामूली आदमी जिसके पास दो आने, ८ आने पैसे हैं वह भी २-३ पैसे भिखमंगे और गरीब को दे देता है। क्या मांगा है? एक महीने में ३ पैसे। अब साल भर में वह क्या देगा? हर रोज वह क्या देगा? एक कौड़ी भी नहीं आयेगी।

अध्यापकों की बात कही गई। अगर किसी अध्यापक की आमदनी १,००० रुपया है तो उससे टैक्स क्यों न लिया जाय? अगर वह कोई दूकान भी करता है तो अध्यापक की वजह से उससे टैक्स क्यों न लिया जाय?

दो-चार बातें और भी कही गयीं। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने २-३ बातें कहीं। मुझे लगा कि वास्तव में हमने क्या गुनाह किया? लेकिन मैं उनकी इन्फार्मेशन के लिये यह बता देना चाहता हूं कि पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जो अधिकार एजूकेशन के बारे में थे वे अब भी दिये गये हैं। प्राइमरी एजूकेशन और हाई स्कूल से नीचे की एजूकेशन पहले भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देते थे, अब भी उनकी ओर से ही होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--पहले उनके पास हर प्रकार के स्कूल थे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—क्योंकि साधनों की कमी उनके पास है इसलिये ऊपर की एजूकेशन की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। आज भी सरकार को उनके टीचर्स की अधिकतर तनख्वाह देनी पड़ती है। इसलिये अगर नीचे के टीचर्स को ही वे अपने पास रखें और उनको अच्छा वेतन दे सकें, उनको सेटिसफाई कर सकें, उनका प्रबन्ध ठीक प्रकार से कर सकें, तो मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। वह मेम्बरशिप इसलिये चाहता है कि मेम्बर होकर वह अपनी तनख्वाह बढ़वा सके, ट्रान्सफर करा सके। अगर उनकी हालत अच्छी हो जायगी तो उसको इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर टीचर्स तो हमारी नस्लों को बनाने वाले हैं, शेप करने वाले हैं, वह तो हमारी सारी समाज-रचना को करने वाला है, हम तो अपने नौनिहालों को उसके पास भेजते हैं, वह उन पर अपनी मुहर लगाकर भेजता है और वही विधायक भी बनते हैं और वही परिषद् के सदस्य भी बनेंगे। कुम्हार जो घड़े और सुराही बनाता है, वह कहे कि हमें रेफ्रीजेटर दे दो, वैसी ही यह बात भी होगी। हमने तो टीचर को सबसे बड़ा अधिकार दे रखा है, अपनी भावी संतानों को निर्माण करने का काम दे रखा है। हां, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि माननीय विरोधीदल के नेता यह कोशिश अवश्य करें कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाय। अगर ऐसा होगा तो वे मेंबरशिप की मांग नहीं करेंगे। तो हमारी इच्छा यही है कि जिला परिषद् जो भी काम करें वह अच्छा ही करें, व्यापक करें और खूबसूरती के साथ करें।

जहां तक अस्पतालों का प्रश्न है, वे अस्पताल खोल सकते हैं। शेड्यूल के अन्दर यह चीज है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी अस्पताल चलाये जाते हैं। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी है। वास्तव में सवाल इस समय यह है कि कौन काम सरकार करे और कौन काम वे करें, कितने साधन यहां रखे जायं और कितने साधन उनके पास रहें। यह तो केवल काम के बटवारे का ही सवाल है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाप और बेटे में या भाई-भाई में अथवा भाई-बहन में काम का बटवारा होता है। किस तरह से बटवारा किया जाय, यह बात देखने की है।

श्री उपाध्यक्ष—आपके २-३ मिनट ही और बाकी रह गये हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी तो मैं बरसों जिऊंगा लेकिन बोलने के लिये आप कहें तो थोड़ा सा ही मैं और बोलूंगा।

एक आध चीज और कही गयी। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने फिजीकल और मेंटल डिसएबीलिटी के बारे में कहा। मान लिया किसी को कुष्ट रोग हो जाय या कोई ऐसी बीमारी हो जाय या कोई सचमुच में पागल हो जाय, अभी एक आदमी ने बहुत सारे आदमी मार डाले लेकिन यह कहा जाता है कि उस आदमी का दिमाग खराब है तो फिर सोचा गया कि उसको आगरा भेजा जाय और उसका परीक्षण हो जाय। वैसे तो उसको फांसी का दंड हो सकता है लेकिन यह जरूरी है कि उसको पहले देख लिया जाय कि सचमुच वह पागल तो नहीं है या क्या है। तो इसमें भी इसी तरह से देख लिया जाय कि ऐसा आदमी तो वह नहीं वरना निश्चय रखिये कि इस से किसी पोलिटिकल परपजेज के लिये इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं है और इस परपज के लिये बिलकुल इस्तेमाल नहीं होगा सिवाय इसके कि जब तक आप स्वयं ही सचमुच में उसकी गिरफ्त में न आयें।

इसके अतिरिक्त १ बटा ३ के लिये कहा गया कि उससे अविश्वास का प्रस्ताव आता है, उसको न करके १ बटा २ से कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव को मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन सरकार का ऐसा खयाल है कि अविश्वास का प्रस्ताव पास करने में यही शर्त रखने से स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। उस अवस्था में आज पास हुआ नहीं कि कल दूसरे नो कान्फीडेंस की तैयारी हो जाती है और सारी शक्ति एक दूसरे को नीचा

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

गिराने में लगती है। इसलिये कि लोग समझें कि जब तक सब्स्टैंशल मेजारिटी न होगी तब तक हम उसको हटा नहीं सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उसे प्रेस न करें, वैसे उसमें सुधार ही होगा बिगाड़ नहीं होगा।

परिषद् की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात है। मुझे प्रसन्नता होती अगर मैं यह मान सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि १००, १२० या ११० आदमी के जो बड़े परिषद् बनेंगे वह इतने बड़े होंगे कि वह एग्जीक्यूटिव का काम कर नहीं सकेंगे। इन दि नेचर आफ थिंग्ज इतने आदमी शक्ति को ले नहीं सकते। शक्ति का वास्ता थोड़े आदमियों से होता है इसलिये हमने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की कल्पना की है। उसमें दूसरी कमेटियों के प्रेसीडेंट्स भी होंगे ताकि यूनिटी आफ परपज रह सके। अगर उसको नहीं रखेंगे तो सारे काम की वाकफियत जो रखते हों ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे तो ऐसी हालत में ताकत कार्याधिकारी के हाथ में चली जायगी और जो आफिशियल आदमियों के हाथ में ताकत चली जाय तो वह उचित नहीं होगा, पर उस स्थिति में उसको हम रोक भी नहीं सकेंगे। इसीलिये १०, १५ आदमी जो जिम्मेदार हों, जिन पर सबको विश्वास हो सके, जो सबकी सद्भावनाओं को संभाल सकें उनमें से कुछ शिक्षा समिति में, कुछ वित्त समिति में प्रेसीडेंट हो जायं और इस तरह से कमेटी की रचना हो तो काम ठीक चलेगा।

एक सदस्य—कृषि समिति के बारे में भी कहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कृषि का कार्य तो क्षेत्रीय समितियों को दे दिया गया है। एक ओर तो आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, परिषद् में उसको रखा जाय। कृषि अधिकारी जो रहेगा वह यहां से डाइरेक्शन्स लेगा, यहां से पैसा उसको दिया जायगा, लेकिन उसको परिषद् के अधीन रखा है। लेकिन आगे भी विचार हो सकता है कोई क्लोज्ड माइन्ड नहीं है, क्लोज्ड बुक हमारी नहीं है।

अब श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। फिर जब अलग-अलग खंडों पर विचार होगा, उस समय फिर ये प्रश्न आयेंगे और उस समय अपनी बात सब लोग कहेंगे, मैं भी अपनी बात कहूंगा और जो तय होगा वह रख दिया जायगा। फिर मैं सदन का अन्त में आभार मानता हूं कि उन्होंने बहुत सद्भावना के साथ और सहयोग की भावना के साथ भाग लिया है उसके लिये मैं उनका उपकृत हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह समय स्पष्टीकरण का नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, यह प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

परिभाषायें

(१) "अनुसूचित जातियों" का तात्पर्य उन जातियों से है जो "भारत का संविधान" के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जायं;

(२) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ में "शिड्यूल्ड बैंक" का है; ऐक्ट संख्या २, १९३४।

(३) "अंतरिम जिला परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा ४ के अधीन संघटित अंतरिम जिला परिषद् से है; उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८

(४) "उपविधि" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है ;

(५) "कलेक्टर" के अन्तर्गत वह अपर (एडीशनल) कलेक्टर भी है जिसे कलेक्टर ने लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य प्रतिनिहित किया हो ;

(६) "क्षेत्र समिति" का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित क्षेत्र समिति से है तथा इसके अन्तर्गत क्षेत्र समिति की कोई समिति, सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा क्षेत्र समिति के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्त्तव्य या कृत्य का सम्पादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो ;

(७) "खंड" का तात्पर्य जिले के किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार ने धारा ३ के अधीन इस रूप में निर्दिष्ट किया हो ;

(८) "गांव सभा", "गांव पंचायत" और "सर्किल" के वही अर्थ होंगे जो यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में दिये गये हैं ; यू० पी० ऐक्ट, संख्या २६, १९४७

(९) "गृह" के अन्तर्गत कोई दूकान, गोदाम, छादक (शेड) तथा गाड़ी या पशु रखने के लिये प्रयुक्त कोई बाड़ा भी है ;

(१०) "ग्राम्य क्षेत्र" का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी तथा नगरमहापालिका क्षेत्र के अतिरिक्त जिले के क्षेत्र से है ;

(११) "जिला परिषद्" तथा "परिषद्" का तात्पर्य धारा १७ के अधीन स्थापित जिला परिषद् से होगा तथा इसके अन्तर्गत जिला परिषद् की कोई समिति तथा उसका (जिला परिषद्का) कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा जिला–परिषद् के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्त्तव्य या कृत्य का संपादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो;

(१२) "जिला परिषद् का सेवक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो जिला परिषद् से वेतन पाता हो और उसकी सेवा में हो ;

(१३) "जिला मैजिस्ट्रेट" का तात्पर्य, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १० के अधीन नियुक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से है ; ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(१४) "जिला स्तर के अधिकारी" का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करे ;

(१५) "त्रिमास" का तात्पर्य तीन महीने की उस अवधि से है जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में से किसी महीने के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ हो ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४ ऐक्ट संख्या २, १९२४

(१६) "नगरपालिका", "नगरपालिका बोर्ड", "नोटीफाइड एरिया" तथा "नोटीफाइड एरिया कमेटी" के वही अर्थ होंगे जो यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन क्रमशः "म्युनिसिपैलिटी", "म्युनिसिपल बोर्ड", "नोटीफाइड एरिया" तथा "नोटीफाइड एरिया कमेटी" के हैं; "टाउन एरिया" तथा "टाउन एरिया कमेटी" के वही अर्थ होंगे, जो यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ में दिये गये हैं और "छावनी" तथा "छावनी बोर्ड" के वही अर्थ होंगे जो कैन्टोन्मेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन क्रमशः कैन्टोमेंट तथा "कैन्टोन्मेन्ट बोर्ड" के हैं;

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(१७) "नगर महापालिका" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ ई० के अधीन स्थापित नगर महापालिका से है;

(१८) "नियत" का तात्पर्य अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम द्वारा नियत से है;

(१९) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिये नियत प्राधिकारी के रूप में गजट में विज्ञापित किया गया हो;

(२०) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से है;

(२१) "निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय)" का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे;

(२२) किसी खंड या जिले के "सम्बन्ध में निश्चित दिनांक" का तात्पर्य क्रमशः धारा ५ या धारा १७ के अधीन विज्ञप्ति दिनांक से है;

(२३) "न्यायाधीश" का तात्पर्य जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) से है और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा तदर्थ नामांकित या नामोद्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) भी है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

(२४) "भूमि प्रबन्धक समिति" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में यथा परिभाषित भूमि प्रबन्धक समिति से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(२५) "मंडल", "जिला" तथा "तहसील" के वही अर्थ होंगे जो यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रमशः "डिवीजन", "डिस्ट्रिक्ट" तथा "तहसील" शब्दों के हैं;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(२६) किसी क्षेत्र समिति अथवा परिषद् के सम्बन्ध में "मंडल आयुक्त" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १२ के अधीन उस मंडल (डिवीजन) के लिये नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर यथास्थिति क्षेत्र समिति अथवा परिषद् अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो तथा उक्त ऐक्ट की धारा १३ के अधीन उस मंडल के लिये नियुक्त अपर आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी इसके अन्तर्गत है;

(२७) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(२८) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(२९) "लोक सेवक" का तात्पर्य इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ में यथा परिभाषित "पब्लिक सर्वेन्ट" से है ; ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(३०) "वयस्क" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने २१ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;

(३१) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग कर के बनाये गये विनियम से है ;

(३२) किसी खंड के सम्बन्ध में "संघटक गांव पंचायत" तथा "संघटक गांव सभा" का तात्पर्य क्रमशः उस गांव पंचायत या गांव सभा से है जो उस खंड के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो ;

(३३) किसी खंड के सम्बन्ध में "संघटक टाउन एरिया कमेटी" का तात्पर्य उस खंड में स्थित टाउन एरिया कमेटी से है ;

(३४) "सरकार" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या भारतीय संघ के किसी राज्य की सरकार से है ;

(३५) "सरकार की सेवा में व्यक्ति" के अन्तर्गत जिला सरकारी अभिभाषक (डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट काउन्सिल), अपर या सहायक जिला सरकारी अभिभाषक, कोई ऐसा अन्य अभिभाषक जिसे सरकार ने रखा हो परन्तु जिसे मासिक वेतन न दिया जाता हो, सरकारी कोषाध्यक्ष (गवर्नमेंट ट्रेजरर), पूर्णतया अवैतनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया हो, नहीं है ;

(३६) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य उस सड़क, पुल, पुलिया, सामान्य मार्ग, रास्ता या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जन-साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधि-कारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो ;

(३७) "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य उस स्थान से है जो निजी संपत्ति न हो और जन साधारण के प्रयोग अथवा उपभोग के लिये खुला हो, चाहे वह स्थान स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या न हो ;

(३८) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत गांव सभा भी है ।

श्री देवनारायण भारतीय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ का उप-खण्ड (५) निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, इस उपखन्ड में कलेक्टर के जो भी अधिकार हैं वे अवसर पड़ने पर एडिशनल कलेक्टर को भी दिये जा सकते हैं । यह इस उपखन्ड का मंशा है । मैं इसका विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि कलेक्टर को अंग्रेज ने ही जिले का खुदा बना रखा था और हमारी कांग्रेस सरकार ने उस खुदा के चार हाथ और बढ़ा दिये हैं । अब कलेक्टर को हमारी परिषद् के ऊपर पूरा अधिकार होगा और उनको वह स्वेच्छारिता और निरंकुशता से इस्तेमाल कर सकेगा । प्रान्तीय सरकार के अतिरिक्त उस कलेक्टर को कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने बार-बार अपने भाषण में जन-तन्त्र की दुहाई दी है, परन्तु वह जनतन्त्र कहां है, कलेक्टर तक ही सीमित होता तो वहां तक गनीमत थी, लेकिन अब इस

[श्री देवनारायण भारतीय]

उपखण्ड के द्वारा वह अधिकार दिया जायगा एडिशनल कलेक्टर को भी और मेरा जहां तक अनुमान है, आगे एडिशनल कलेक्टर से एस० डी० एम० को, सिटी मैजिस्ट्रेट को या ज्वायंट मैजिस्ट्रेट को भी यह अधिकार दिया जा सकता है। इस प्रकार हर मैजिस्ट्रेट परिषद् के ऊपर एक अधिकारी बन जायगा। परिषद् में एक तो मुख्य कार्य अधिकारी की जगह पर एक सरकारी कर्मचारी रहेगा ही जिसको प्रमुख से भी ज्यादा अधिकार इस विधेयक के द्वारा दिये जा रहे हैं। और फिर उनके साथ ही साथ एक जिला कलेक्टर और उसके अतिरिक्त एडिशनल कलेक्टर को भी वही अख्तियार दे दिये जायं कि वह परिषद् के हर काम में बाधा डाले और परिषद् को आगे न बढ़ने दे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो यह समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण का माने यह हैं कि जैसे हमारे यहां प्रान्तीय स्तर पर मुख्य सचिव हमारे माननीय सदन के सामने जिम्मेदार हैं उसी तरह से एक जिले का कलेक्टर हमारी परिषद् के सामने जिम्मेदार हो, तो मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण की ओर हमारा कदम बढ़ा है। परन्तु इस उप खन्ड द्वारा कलेक्टर तो दूर रहा एडिशनल कलेक्टर को भी वे ही अधिकार दिये जा रहे हैं। इसलिये मैं इस उपखन्ड का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस संबंध में माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, जिस उप खन्ड में यह संशोधन रखा गया है उसमें कलेक्टर की परिभाषा दी गयी है और उसमें एडिशनल कलेक्टर भी शामिल किया गया है कि कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि उस मौके पर कलेक्टर मौजूद न हो तो उस स्थिति के लिये ऐसा किया गया है। कलेक्टर की परिभाषा में एडिशनल कलेक्टर भी शामिल है। इसलिये यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है, यह उचित नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस खन्ड के मूल में ही कई शाब्दिक दोष हैं। जैसे शब्द "कलेक्टर" ही गैर भाषी है, इसके स्थान पर जिलाधीश रखा जा सकता है, लेकिन मालूम होता है कि हिन्दी का कोई शब्द सरकार को कोष में मिला ही नहीं इसलिये कलेक्टर रख दिया। यद्यपि जिलाधीश का शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है फिर भी उसे न रख कर कलेक्टर ही रखा गया है।

दूसरा दोष इसके अन्तर्गत यह है कि एडीशनल कलेक्टर के लिये "अपर कलेक्टर" रखा गया है। इससे मालूम होता है कि "उच्च" शब्द हिन्दी में नहीं था। कलेक्टरों का दौर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कलेक्टर एडीशनल के अलावा और भी तरह-तरह के होते हैं, ज्वायंट कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर सभी होते हैं। जैसा कि माननीय भारतीय जी ने बतलाया यह एडीशनल कलेक्टर बढ़ाकर इस अधिकार को विकृत रूप में रखा गया है, जगह-जगह कलेक्टर को छिपाकर रखा गया है ताकि वह हर जगह दस्तन्दाजी कर सके, अगर इस धारा को पूरा ही हटा दिया जाता तो जो अधिकार कलेक्टर के बिल में जगह-जगह हैं वे सब समाप्त हो जाते।

मूलतः इसका अर्थ यह है कि कलेक्टर ने जहां भी पदार्पण किया है वह प्रजातन्त्र को ठेस पहुंचाने के लिये ही किया है, आपने उनकी निरंकुशता कायम रखने के लिये किया है और अगर उसको रखा रहने दिया गया तो वह हमेशा भाले की नोक की तरह कोंचते रहेंगे। अगर उनको निकाल दिया जाय तो इन परिषदों तथा समितियों का काम चलने में बड़ी सुविधा होगी। यह संशोधन बहुत सुन्दर है, इस को निकालने से जो इसकी खोट है वह निकल जायगी और बिल में सुन्दरता आ जायगी और जब उसमें कोई खोट नहीं झलकेगी तो उसका सुन्दर निखरा हुआ रूप प्रजातन्त्र अपने सही रूप में आ जायगी। मेरा विश्वास है कि कलेक्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कहीं जरूरत नहीं है क्योंकि प्रजातन्त्र के अन्तर्गत हम स्वायत्त शासन के अधिकार विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार देने जा रहे हैं जनता को, तो उनके साथ-साथ छिपा कर कलेक्टर का रखना उचित नहीं है। अगर वे परिभाषा से ही हट जायं तो सारे बिल से ही हट जायंगे और उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा, उनके सारे अधिकार खत्म होकर जनप्रतिनिधियों के पास आ जायंगे . . . .

श्री उपाध्यक्ष—पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसलिये यही स्थान है कि यहीं से अगर हम इस बिल को सुधारें यानी परिभाषा से ही कलेक्टर को हटा दें तो अपने आप हर जगह से वह अल्टीमेटली हट ही जायंगे। मैं आशा करता हूं कि संशोधन को मानकर यहां से यह शब्द हटाये जायेंगे ताकि विधेयक से कलेक्टर के अधिकार समाप्त हों।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, माननीय भारतीय जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें जिस भाग को निकालने की बात है वह यह है कि 'कलेक्टर' के अन्तर्गत वह अपर (एडीशनल) कलेक्टर भी हैं जिसे कलेक्टर ने लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य प्रतिनिहित किया हो।" यह देखने में बहुत छोटा अंश है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब हम आगे खण्डों पर आयेंगे तो उनमें कलेक्टर के अधिकार दिये गये हैं कि वह मीटिंग बुला सकते हैं और इसी तरह के तमाम दूसरे अधिकार हैं।

जब हमारा ध्येय जनतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का है और उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जनता में उसके लिये इन्सेन्टिव पैदा किया जाय, इनिशियेटिव पैदा किया जाय, डेमोक्रेटिक संस्थाओं को डेवलप किया जाय। यह कलेक्टर का एक ऐसा पद है जो अंग्रेजों के जमाने की एक लीगेसी है और उनकी शिक्षा जिस वातावरण में हुई है वह कतई जनतंत्रीय नहीं है। इसलिये आज एक व्यक्ति के हाथ में तमाम जिला परिषदों के अधिकार देना और जनतन्त्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जहां आपका पक्का इरादा है कि आप जनता को अपना काम सौंप रहे हैं तो क्या जरूरत है कि जिसको पुरानी परिषदों में तमाम अधिकार दिये और बाद में जनता ने त्राहि-त्राहि की और वह जनता की पुकार को नहीं समझ सके। फिर आप क्यों "कलेक्टर" को यहां रख रहे हैं? जिस समय अंग्रेज गये तो बहुत से अफसर यहां यह समझते थे कि हमारे अधिकार कम तो नहीं होंगे, हमारा क्या स्टैन्डर्ड होगा, उनको बड़ा डर था।

आज डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन करने से प्रान्त भर के तमाम कलेक्टरों के दिमाग में ऐसी भावना हो गई है कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन से जिस समय जिला परिषद् अपना रूप लेगी उस समय हमारा क्या होगा। अभी मसूरी में, हालांकि वह प्रोसीडिंग्स सीक्रेट हैं, सारे हिन्दुस्तान के कलेक्टर आये थे। वहां भी हमने वाद विवाद किया। आज उनके अन्दर यह भावना विद्यमान है कि जिला परिषद् बनीं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जायगा। आज हम देखते हैं कि कांग्रेसी राज्य में सब से आनर्ड व्यक्ति यदि कोई हो तो वह कलेक्टर है। सारे जिले का डेवलपमेन्ट आफिसर भी वही है। हम समझते थे कि इस विधेयक में वह डेवलपमेन्ट आफिसर नहीं रखा जायगा। श्रीमन्, पहले भी जिला बोर्ड में कलेक्टर थे, लेकिन इस तरह से छाये हुए नहीं थे। ला ऐन्ड आर्डर उसके पास रहे, यही काफी है। लेकिन आज मंत्री जी ने उस कलेक्टर के हाथ में यह अधिकार दिया है कि जिला परिषद् की बैठक को जब चाहे बुला ले।

इस जिला परिषद् का ऐनिमी नम्बर वन अगर कोई है तो वह कलेक्टर है। इससे विकेन्द्रीकरण की सारी बात खत्म हो जायगी क्योंकि मंत्री जी ने उसे हमारा गार्जियन बना दिया है। कलेक्टर को इस तरह से न रख कर होना यह चाहिये था कि जिला परिषद् जो प्रस्ताव पास करेगी उसके इम्प्लीमेन्टेशन का काम उसे देना चाहिये था। मुझे डर है कि जिला परिषद्

[श्री प्रतापसिंह]

कोई प्रस्ताव पास करेगी तो कलेक्टर यह देखेगा कि कैसे गैर सरकारी व्यक्ति अपना काम चला सकते हैं। अगर इस विधेयक में यह न रखा गया कि इम्प्लीमेंटेशन का भार उसके ऊपर रहेगा तो पता नहीं कि काम कैसे हो सकेगा ? अगर कलेक्टर तुल जाय तो जिला परिषद् से प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी काम नहीं हो सकता; अगर यहां पर कलेक्टर रहा तो हमारे सब प्रयास बेकार हो जाते हैं। इसलिये हम कलेक्टर को निकालना चाहते हैं ताकि हमारा विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त कार्य रूप में परिणत किया जा सके।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--श्रीमन्, सही बात यह है कि प्रतापसिंह जी के भाषण ने मुझे खड़े होने के लिये विवश कर दिया। मैं देख रहा था कि आखिर यह विवाद है क्या ? बहुत छोटी सी बात है कि खण्ड २ के उपखण्ड (५) में कलेक्टर की परिभाषा के अन्तर्गत एडीशनल कलेक्टर को सम्मिलित कर दिया गया है। वह भी उस दशा में जब कि कलेक्टर उन्हें लिखित रूप में किसी कार्य के लिये नियुक्त करे। बहुत लम्बी बहस प्रतापसिंह जी ने यह कर दी कि कलेक्टर ब्रिटिश काल में क्या था और आज उसे बहुत अधिकार हैं और इस विधेयक के अन्तर्गत न जाने क्या क्या अधिकार हो जायंगे, जितनी विकेन्द्रीकरण की बात है वह समाप्त हो जायगी।

श्रीमन्, मैं बहुत समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं और माननीय प्रतापसिंह जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन के संबंध में अधिक समय न लेते तो अच्छा था। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं और विशेष रूप से माननीय प्रतापसिंह जी से, कि यदि विकेन्द्रीकरण का अर्थ केवल इतना हो कि एक विधेयक हम यहां सदन के सामने रखेंगे और उसमें कुछ अधिकारों की हम परिभाषा करेंगे और वह अधिकार केवल कुछ थोड़े से व्यक्ति चलाते रहेंगे, तो मेरी दृष्टि में उन्होंने इस चीज को पूरे तौर से समझा नहीं पाया है। कुछ ऐसे अधिकार जरूर होंगे कि जिनका उपयोग कुछ लोगों के द्वारा करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति उन अधिकारों को कार्य रूप में परिणत करेंगे उनका नाम कहीं कलेक्टर होगा, कहीं एडीशनल कलेक्टर होगा और कहीं कुछ और होगा।

जितना कि मैं इस विधेयक को जानता हूं इसमें कलेक्टर को किसी तरह से यदि कोई अधिकार है तो केवल इतना है कि जो विकास का कार्य या अन्य किसी प्रकार का कार्य जो जिले में होता है परिषद् के अन्तर्गत या क्षेत्रीय समिति के अन्तर्गत, उसके संबंध में कलेक्टर केवल इतना सा कार्य कर सकता है कि वह समय-समय पर यदि कोई कार्य न हो तो उसके संबंध में ध्यान आकृष्ट कर सकता है या सरकार के आदेशों को कार्य रूप में परिणत करवा सकता है, या कोई कार्य होने को है और परिषद् न करे तो उसे करवाये। मैं नहीं जानता कौन से बड़े अधिकार इसमें कलेक्टर को दिये हैं ? मुझे मालूम नहीं, माननीय प्रतापसिंह जी ने स्वयं अपने मुंह से कुछ ऐसी चर्चा कर दी जिसको वह दूसरी प्रकार से न करते। उन्होंने कहा मसूरी में चूंकि अधिकारीगण आये थे उनमें इस बात की आशंका थी कि जिला परिषद् और क्षेत्रीय समिति विधेयक जब अधिनियम बन जायगा तो उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी ? लेकिन इस प्रकार की आशंका का कोई भी प्रश्न कलेक्टर के संबंध में या अन्य किसी अधिकारी के संबंध में है नहीं। क्योंकि जो विधेयक सदन के सामने है इसमें स्पष्ट रूप से कुछ अधिकार जनतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत कुछ अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने की योजना है। उन अधिकारों को जब कभी कार्य रूप में परिणत किया जायगा तो कुछ अधिकारी करेंगे ही। वह कलेक्टर हो सकता है या कुछ और अधिकारी हो सकते हैं, मैं इस समय उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन कोई न कोई अधिकारी इन परिषदों के अन्तर्गत उसके आदेशों को कार्य रूप में परिणत करेगा। मैं नहीं समझ पाया ऐसी कौन सी चीज है जिसको स्वयं अधिकारी अपने तौर पर परिणत कर सकेगा ? खैर, यह इस समय विवाद का विषय नहीं है।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कलेक्टर जिला परिषद् के अन्तर्गत स्वयं एक अधिकारी होगा और शायद प्रत्येक सदस्य की सदन में यह राय भी थी कि कलेक्टर को जिला परिषद् का अधिकारी नहीं होना चाहिये। एक ओर तो मांग यह है कि कलेक्टर को जिला परिषद् में अधिकारी नहीं होना चाहिये, दूसरी ओर यह मांग है कि कलेक्टर का नाम ही निकाल देना चाहिये। क्यों? आखिर कलेक्टर सरकार का अधिकारी है, उसे कुछ काम सरकार के आदेश के अनुसार करने पड़ते हैं, सरकार को भी कुछ अधिकार हैं और यदि उन अधिकारों की पूर्ति का समय आवे या आदेश हो और परिषद् यदि उनको न करे तो कोई तो अधिकारी होना चाहिये जो उन आदेशों को कार्य रूप में परिणत करा सके। और यदि मेरे मित्र माननीय प्रतापसिंह तथा भारतीय जी के कहने का मतलब यह है कि कोई भी आदेश हो, कुछ भी हो और यदि उनको परिषद् या दूसरी संस्थाएं कार्य रूप में परिणत न करें तो वह कभी भी कार्य रूप में परिणत न हों तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इस पर बहुत विचार की शायद आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें तो केवल एक सहूलियत के लिये कलेक्टर के साथ एक अन्य अधिकारी को जोड़ा गया है। माननीय प्रताप सिंह जी ने जो विवाद इस सदन के सामने रखा और जो उनका तर्क था उसमें कहा कि कलेक्टर के पास जिले में बहुत अधिक कार्य है, उनको समय नहीं मिलता है। तो जब समय नहीं मिलता है कृपा कर कुछ एक दूसरे अधिकारी की भी कल्पना कीजिये जो कलेक्टर के अतिरिक्त कार्य कर सकें। अगर उनके आदेश से या कलेक्टर के आदेश से कोई दूसरा अधिकारी काम करता है तो क्या इसमें विवाद है, मेरी समझ में नहीं आता। माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा कलेक्टर को समय नहीं है, यदि समय नहीं है और एक दूसरे अधिकारी की कल्पना है तो मेरे खयाल से उन्हीं के तर्क का यह उत्तर है।

श्री प्रतापसिंह--मैंने कहा कि कांग्रेसी राज्य में अगर कोई सेक्योर्ड अफसर है तो कलेक्टर है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि कलेक्टर के पास कभी अधिक काम हो सकता है। अब यदि उसके पास में अधिक काम है और वह अपने काम को दूसरे किसी अधिकारी के द्वारा कराना चाहता है तो मेरे खयाल से अनुचित बात नहीं है और इसका प्राविधान इस विधेयक में है तो वह भी अनुचित नहीं है।

प्रासंगिक रूप से एक चीज की चर्चा कर दूं तो शायद अनुचित नहीं होगा। हम बार-बार अधिकारियों की चर्चा इस सदन के सामने करते हैं। अधिकारियों पर हम जनतांत्रिक प्रणाली में कोई विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। अगर विश्वास करेंगे तो उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन क्या कुछ अधिकारी ऐसे नहीं होंगे जिनके द्वारा हमें अपना कार्य चलाना होगा। क्या सारे अधिकारी अविश्वास के पात्र हो जायंगे? क्या उनके बिना हमारा काम चल सकेगा और यदि नहीं चल सकेगा तो कुछ अधिकारियों पर हमें विश्वास करना होगा और उस विश्वास का प्रतिफल हमें मिलेगा। यदि हम उनके विषय में चर्चा कर सकते हैं तो मेरी समझ में हमारी भी चर्चा की जा सकती है और समय-समय पर की जाती है और यदि उसका तात्पर्य यह हो कि हम यहां इस विधान सभा के सदस्य न बन कर आयें तो उस विधान को जिसके अन्तर्गत हम यहां आकर बैठे हैं, तो उसे समाप्त करना होगा। अधिकारी अविश्वासनीय हो सकते हैं लेकिन कुछ का विश्वास करना होगा और उनके द्वारा काम करवाने होंगे या किसी ऐसे विधान की हम कल्पना करेंगे जिसमें कोई अधिकारी कार्य नहीं करेगा। मेरे खयाल में यह असंभव प्रतीत होता है मेरे मित्र शायद इसको स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं भारतीय जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० पर भाषणों के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--यह निश्चित हो चुका है कि ८ रोज में ये सब खण्ड और तीसरा वाचन भी समाप्त होगा। तो यह उचित होगा कि मैं निश्चित कर दूं समय हर एक

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड के संशोधनों को उपस्थित करने के लिये, यानी उपस्थित करने वाले के लिये समय और उत्तर देने वाले के लिये समय। मैं इसलिये यह तय करना चाहता हूं कि आखिर में ऐसा न हो कि १०, १५ क्लाज तक आप पहुंच पायें और बाद में सब खण्ड ऐसे ही बहस न होकर पास हो जायं। पंचायत राज्य बिल में १४ तक हम १९४७ में पहुंच पाये और १००, १२५ खण्ड वैसे ही पास हो गये। संशोधन जो माननीय सदस्य उपस्थित करें वे ७ मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। शुरू में यह कर रहा हूं, आखिर में शायद यह भी करना पड़े कि तीन मिनट ही बोलें। मंत्री जी जो उत्तर देंगे वे भी ७ मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे और बाकी कोई अन्य सदस्य बोलें तो ५ मिनट उनके लिये समय रहेगा। मैं यह भी तय किये देता हूं कि पक्ष में साधारणतः दो और विपक्ष में दो सदस्य बोलेंगे। चार स्पीचेज के बाद क्लोजर अगर आ जाय तो उसको स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री उग्रसेन—बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हों तो उन पर ज्यादा लोग बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—खंड २ पर जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है वह चूंकि व्याख्या है इसलिये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक अधिकार का सवाल है वह महत्वपूर्ण होता है, उस पर अधिक भाषण हों, यह विचारा जा सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—दो ही आदमी बोलेंगे पक्ष और विपक्ष में। आपने दोनों को समकक्ष रखा है। पार्टियां ५ हैं।

श्री अध्यक्ष—एक तरफ तो, आप यह चाहते हैं कि पूरे खंडों पर विचार हो जाय. . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन विरोधी पार्टियों को कुछ न कुछ मौका तो हो।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। तीन से अधिक विरोधी पक्ष से नहीं बोल सकेंगे, यदि क्लोजर स्वीकार कर लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

खंड २ (क्रमागत)

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भारतीय जी का और मेरा संशोधन यह है कि खंड २ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय और इस बारे में जो माननीय भारतीय जी और प्रतापसिंह जी आदि ने अपने मत व्यक्त किये हैं उनका हमारे मंत्री जी ने अभी विरोध किया तो कुछ भ्रम सा हो गया। इसी में मंत्री जी देखें कि खंड २ का उपखंड १३ है जिसमें लिखा है कि "जिला मैजिस्ट्रेट का तात्पर्य कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १० के अधीन नियुक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से है।" उसी खंड में एक जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है और दूसरी जगह "कलेक्टर" शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं अंग्रेजी जमाने में यह नाम था कलेक्टर ऐंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दोनों के अलग-अलग अर्थ हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब है कि वह जिले की मैजिस्ट्रेसी चलाता है, जिले का न्याय, जिले का प्रबन्ध, ये सब जितने कार्य हैं, ये उसके आदेश से होते हैं, वहां वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम करता है। और जहां वह माल विभाग की मालगुजारी इकट्ठा करता है वहां वह कलेक्टर कहलाता है।

कलेक्टर शब्द शेरशाह के जमाने में जब उन्होंने मालगुजारी वसूल करने का इन्तजाम किया वहां से ओरिजिनेट करता है और मुगल बादशाहों ने भी उसे लिया और वहीं से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी लिया। इस बिल के ड्राफ्टर्स को मैं क्या कहूं, कलेक्टर को यहां रखना ही नहीं चाहिये। १८९८ के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर यहां जो कलेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है यह बिलकुल बेबुनियाद है। यह एक खामी कलेक्टर शब्द में है। दूसरी खामी क्या है? एक तो करेला वैसे ही कड़ुवा होता है दूसरे नीम

चढ़ा । कलेक्टर शब्द ही नहीं होना चाहिये और फिर उस आदमी को होना ही नहीं चाहिये, जो एग्जिस्ट नहीं करता, वह देगा क्या ? नंगा मनुष्य अगर नहाये तो वह निचोड़ेगा क्या ? तो जब वह एग्जिस्ट ही नहीं करता तो किसी को देगा क्या ? इसमें लिखा है कि वह अपने अधिकार अपर कलेक्टर को दे दे ।

माननीय अवस्थी जी ने ठीक ही कहा कि हिन्दी कहीं छुई नहीं गयी है । सन् १९५० में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि जितने सरकारी विधेयक बनेंगे वे हिन्दी में होंगे और राज्य भाषा हिन्दी का विधेयक सन् १९५१ में पास हुआ था । इन तमाम विधेयकों के बाद भी हिन्दी का यह हाल है । मैं तो यह भी सवाल उठा सकता हूं कि 'अपर' शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया । यदि हिन्दी है तो मुझे एतराज नहीं । यह कलेक्टर शब्द जहां-जहां आया है इसमें नौकरशाही की बू आती है । जब कोई नौकरशाही की बात करता है तो स्वायत्त शासन मंत्री जी जरा बरदाश्त कर लेते हैं, लेकिन माननीय आचार्य जी जेल के मंत्री हैं, ज्यादा बोलेंगे तो जेल में पहुंचा देंगे, उनका चेहरा लाल हो जाता है । उनको कोई कुछ कह नहीं सकता है । हमारे जैसे छोटे कार्यकर्त्ता के लिये भले ही कुछ कह दिया जाय लेकिन उनके अधिकारियों के लिये कुछ न कहा जाय । जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है तो मैं कहता हूं कि परिषद् जो तीन महीने में एक बार बैठेगी तो उसकी कार्य समिति महीने में नियम के अनुसार कई बार बैठेगी और वह काम करेगी । अगर कलेक्टर चला जायगा तो वह मौजूद है । श्रीमन्, अध्यक्ष के संबंध में मैं समझता हूं कि वही बात है कि जब हम कालेज में पढ़ते थे तो एक नकली पार्लियामेंट होती थी मजाक के लिये और दिखाने के लिये नकली संसद बनाते थे तो भी अध्यक्ष क्या नकली संसद का है ? कलेक्टर जो कहे वही होगा । अगर कोई मास्टर आता है और मुख्य कार्याधिकारी न हो और वह अध्यक्ष के कमरे में चला जाय तो उसको वह निकाल देगा । श्रीमन्, भले ही यह रख दिया जाय लेकिन कार्यरूप में जब यह परिणत होगा तो फौरन संशोधन विधेयक पेश हो जायगा । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर अड़ें नहीं और इसको मान लें अन्यथा जनतांत्रिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण में गड़बड़ी हो जायगी. । इन शब्दों के साथ मैं भारतीय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय—अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन के पक्ष में भाषण दिये हैं मैं उनका आभारी हूं । लेकिन मंत्री जी ने या उपमंत्री ने जो इसका विरोध किया उसका मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि वह तो नौकरशाही के बल पर चल ही रहे हैं इसलिये वह कलेक्टर का निकाला जाना कैसे स्वीकार कर सकते थे । माननीय समाज सुरक्षा मंत्री जी ने एक बात कही कि अगर कलेक्टर नहीं होगा तो परिषद् के प्रस्तावों को, उसके कामों को कौन करायेगा । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप परिषद् को जिले की सत्ता दे रहे हैं तो परिषद् के अन्य और भी कर्मचारी होंगे जो कलेक्टर के न रहने पर उसके काम को कर सकेंगे ।

एक बात यह है कि जब हम कांग्रेस में रहे तो बराबर इस बात का ऐलान करते रहे कि कलेक्टर का पद हटा दिया जाय, कमिश्नर का पद हटा दिया जाय, लेकिन आज हमको आजाद हुए १३ वर्ष हो गये और यह विधेयक आया जिसको कि विकेन्द्रीकरण का पहला कदम कहा जाता है; उसमें भी हमने देखा कि कलेक्टर मौजूद है तो हमें बड़ा दुःख और आश्चर्य हुआ और हम समझे कि विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है ; बल्कि केन्द्रीकरण का एक रूप ही लादा जा रहा है हमारे सिर के ऊपर । एक बात और जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि इस खंड के उपखंड (१३) में जिला मैजिस्ट्रेट मौजूद है तो उसके रहते हुए यह शब्द "कलेक्टर" निरर्थक हो जाता है । इसलिये हर सूरत में यह उपखंड निकाला जाना मैं जरूरी समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन का विरोध करता हूं । प्रतापसिंह जी के भाषण सुनने के बाद जो मैं नहीं समझता था वह बात भी समझ में आ गयी कि इनको कलेक्टर

[श्री जयराम वर्मा]

शब्द से बहुत ज्यादा चिढ़ है इसी वास्ते इसको हटाना चाहते हैं । लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत कुछ कृत्य कलेक्टर को दिये गये हैं इसलिये उसका रहना जरूरी है । इसके अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है जिसको वह अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार दे तो वह भी इसमें शामिल होगा और यह आवश्यक है । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । शायद कुछ ऐसा खयाल है कि "अपर" शब्द अंग्रेजी का है । लेकिन यह हिन्दी का ही शब्द है । उसमें ऐतराज नहीं होना चाहिये । मैं समझता हूं कि माननीय सदन इसको अस्वीकार कर देगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२२,
विपक्ष में---८४ ।)

श्री देवनारायण भारतीय---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१४) की पहली पंक्ति में शब्द "अधिकारी" के बाद का वाक्यांश निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय :-

"का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जो प्रशासन सम्बन्धी विभागीय अध्यक्ष होंगे ।"

मेरे प्रस्ताव का मंशा यह है कि मूल प्रस्ताव में जैसा है कि जिला स्तर के अधिकारी का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करें । उसका मतलब यह है कि हर प्रकार के आदमी को सरकार गजट में विज्ञप्ति करके निर्दिष्ट कर सकती है । मैं केवल उन्हीं अधिकारियों को चाहता हूं जो प्रशासन सम्बन्धी विभागीय अध्यक्ष हों । इसके अतिरिक्त किसी को भी परिषद् में भाग लेने का अधिकार न हो । मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । इसका अर्थ तो यह हो जायगा, अगर यह अधिकार सरकार के हाथ में न हो कि जिस को चाहे इस सम्बन्ध में समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करे, तो जिले के सभी विभागाध्यक्ष हमारी प्लानिंग समिति के मेम्बर हो जायेंगे और यह हमारा इरादा कभी नहीं है कि जिन अधिकारियों की जरूरत नहीं है उसमें वह भी रखे जायं। जिनकी जरूरत होगी उनको विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किया जायगा । इस संशोधन से उनकी संख्या और बढ़ाना चाहते हैं । जो इसका मन्शा है उससे खिलाफ यह संशोधन जाता है । इसलिये यह संशोधन अनुचित होगा और इसी कारण से मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय---मान्यवर, मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन अपनी जगह पर ठीक है । प्रशासन के जितने भी विभागीय अधिकारी होंगे उनका प्रशासन के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं वरन् एक मातहत की हैसियत से वहां पर उपस्थित रहना आवश्यक है ताकि वह अपने अपने विभागों के काम का जवाब दे सकें जब कभी वहां पर कोई ऐतराज हो । इसलिये मैं उनका परिषद् के मातहत रहना उचित समझता हूं । इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर फिर जोर देता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय ।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, इसका उपयोग हमने नियोजन समिति के निर्माण में किया है कि जिला परिषद् के सभी जिला स्तर अधिकारी उसके सदस्य होंगे । जो यह संशोधन किया जा रहा है उससे वहां पर सभी विभागाध्यक्ष सदस्य माने जायंगे और वहां पर उनका रहना आवश्यक हो जायगा । अगर हर एक जिला परिषद् की नियोजन समिति ने १-२ विभागाध्यक्ष

मान लिया जाय तो उनकी संख्या बढ़ जायगी जिसकी जरूरत नहीं है । इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१४) की पहली पंक्ति में शब्द "अधिकारी" के बाद का वाक्यांश निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जो प्रशासन सम्बन्धी विभागीय अध्यक्ष होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

ग्राम्य क्षेत्रों का खंडों में विभाजन

३—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खंड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुये प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्रों को खंडों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खंडों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खंड बना सकती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की पंक्ति ३ में शब्द "क्षेत्रों को" तथा शब्द "खंडों" के बीच में शब्द "प्राकृतिक व्यवधानों का विचार करते हुये" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, इसकी जरूरत इसलिये पड़ी कि मेरा अपना यह तजुर्बा है कि मेरी तहसील शाहगंज में चकबन्दी हो रही है । वहां पर सी० ओ० सर्किल बनाई गई है । एक सी० ओ० सर्किल सिगरामऊ में बनाई गई जहां पर बीच में एक नदी पड़ती है और नदी के उस पार सड़क है, तो उन लोगों को यहां पर आने के लिये ४०, ४५ मील घूमकर आना पड़ता है । अगर प्राकृतिक व्यवधान शब्द रख दिया जाय तो क्षेत्रों को बनाते समय यह विचार रखना पड़ेगा कि किसी प्रकार से प्राकृतिक व्यवधान न हो जिससे लोगों को उस क्षेत्र समिति की कार्यवाही में सम्मिलित होने में झंझट पड़े । केवल इतनी सी बात के लिये मैं यह चाहता हूं कि यह संशोधन मान लिया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह जो संशोधन रखा गया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं । यह जो आपत्ति माननीय सदस्य ने उठाई उसका निराकरण होना उचित है । इसके साथ ही साथ में यह भी चाहता हूं कि यह प्राकृतिक व्यवधान नहीं रहना चाहिये । जहां पर इस प्रकार से प्राकृतिक व्यवधान की बात आवे और इसी प्रकार की समानान्तर बातें आयें तो उस सम्बन्ध में आपत्ति पहले उस स्थान के निवासियों से प्राप्त कर ली जाय और उसके निराकरण के लिये सरकार को चाहिये कि कुछ अवधि मुकर्रर कर दे । यदि उस निराकरण के बाद और उस आपत्ति के खत्म होने के बाद खंडों का विभाजन होता तो अधिक अच्छा था । इसी बात को वह संशोधन से दूर करना चाहते हैं । इसमें स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस प्रकार के व्यवधान के ऊपर विचार करेगी या नहीं । इस व्यवधान को लेकर या बहुत सी अन्य बातों को लेकर जनता को आपत्ति हो सकती है और उन आपत्तियो को सुने जाने का यहां कोई प्राविधान नहीं है । इसलिये आशा इस बात की थी कि जो संशोधन हैं वह तो उचित हैं ही, उसे तो सरकार मानेगी और उस के द्वारा ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उस स्थान के निवासियों को इसमें आपत्ति करने का मौका मिल जाता है विधान के अन्तर्गत और इस तरह से पता लग सकेगा कि जो खंड बन रहे हैं उनमें जनता का एक हाथ भी आ जाता है और इससे यह पता लग सकेगा कि वह उन्हें उचित समझती है अथवा नहीं । हो सकता है कि सरकारी अधिकारी जो कार्य करें उससे जनता की राय भिन्न हो और अंत में उनको कष्ट उठाना पड़े । इसलिये उचित यह दिखाई देता है कि संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय और सरकार जनता की आपत्तियां सुनने के लिये बाध्य हो और उन आपत्तियों पर निर्णय लिया जा कर ही कुछ कार्य हो सके ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने जो घटना बताई है वह सी० ओ० सर्किल के बारे में है, खंडों के बारे में ऐसी बात नहीं है। खंडों का विभाजन सब बातों को देखते हुये कि क्या उचित है और क्या नहीं, किया जायगा। ऐसा नहीं किया जायगा कि किसी खंड में ऐसे टुकड़े शामिल कर दिये जायें कि जिनको शामिल करना उचित न हो। सब बातों को देख कर के ही खंडों का विभाजन किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी की एक बात समझ में नहीं आयी। हम जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने जा रहे हैं और जनतंत्र में आपस में समझौता कर के ही चलते हैं तो विचित्रनारायण जी ने जो यह विधेयक पेश किया है उसमें इस संशोधन को मानना ही चाहिये। नेचुरल बाउन्ड्रीज को कोई अमान्य नहीं करता। उसको ध्यान में रख कर ही खंड बनाने चाहिये। मैं अपनी मिसाल दूं। कांस्टीट्यूयेन्सी नैनीताल में मुक्तेश्वर से शुरू होती है और सारा तराई आदि का हिस्सा लेती हुई काशीपुर तक आती है। तो ४५० मील लम्बी बाउन्ड्री है और दोनों भागों की समस्यायें अलग-अलग हैं। इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि इस तरह के खंड सरकार न बनाये कि जिससे वहां की जनता की समस्याओं का समाधान न हो सके। अगर मेरी मिसाल के माफिक कहीं खंड बन गये तो आधा हिस्सा एक जिले में रहेगा और आधा दूसरे में ....।

श्री अध्यक्ष—जब ऐसे खंड बनने से आप चुन लिए गए तो शिकायत तो आप को नहीं होनी चाहिये।

श्री प्रतापसिंह—जी हां। तो मैं कहूंगा जहां तक नेचुरल बाउन्ड्रीज का प्रश्न है आज तक उसे किसी ने अमान्य नहीं किया और इस आधार पर आपको भी इसे स्वीकार करना चाहिये और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का जो उत्तर सुना उससे मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। अभी सी० ओ० सर्किल जो बने हैं, उन्हें विभाग ने बनाया है, वह गलत बने हैं और आप कहते हैं कि विभाग गलती नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि जब इसका आप के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है तो आप को इस बात को मान लेना चाहिये। अभी चकबन्दी में जब यह गड़बड़ियां हो रही हैं तो क्या खंड बनने में नहीं हो सकतीं? इसमें सीधा सवाल यह है कि आप को इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है और इसे मानने में मंत्री जी को कोई हानि भी नहीं है और बात साफ हो जाती है। इससे गलती की संभावना नहीं रहेगी और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—मान्यवर, संशोधनकर्ता महोदय ने जिस आधार पर इस प्रस्ताव को रखा है, मैं समझता हूं कि उस आधार पर इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। शाहगंज में, जिसकी बाबत उन्होंने उदाहरण दिया, वहां पर जो खंड बने हुए हैं वह बिलकुल नदी के इस तरफ है और यह सी०ओ० सर्किल नदी के उस पार भी चला गया है। यह तर्क जो उन्होंने दिया यह उचित नहीं है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं पहले माननीय सदस्य को यह बतला देना चाहता हूं कि कुंवर श्रीपालसिंह जी के संशोधन से विधेयक में जो संशोधन होगा, यदि माननीय मंत्री जी मान जायंगे तो यह केवल शाहगंज पर ही लागू न होगा, बल्कि नैनीताल से लेकर झांसी के बार्डर तक लागू होगा। यह पहली बात माननीय सदस्य मान जायं। यह रही सीमा की बात। विकास खंडों का जो परिसीमन हुआ है, वह राज्य सरकार ने बनाया है और जब यह सरकार मोहर लगा देगी तो वे खंड बन जायेंगे और वे कोई १४ मील की दूरी पर होंगे, कोई ८

मील की दूरी पर और कोई कितनी दूरी पर बिना यह सोचे हुए कि उसके बीच में क्या है, नदी है नाला है, पहाड़ है ? जब आप एक नये खंड बनाने जा रहे हैं तो मैं तो समझता हूं उसके लिये स्पष्ट प्रावीजन होना चाहिये इसमें ताकि कोई गलती न हो सके और जो आयोजना कमीशन ने गलती की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खंड बनाते समय उसको दूर किया जाना चाहिये । उसका सुधार तभी हो सकता है जब माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें । आप देखें कि दूसरे देशों में भी नदी आदि को सीमा मानी गयी है । कांगों अफ़्रीका की जो सीमा है आप देखें कि वहां बीच में नदी पड़ती है और उसके एक तरफ अफ़्रीका कांगों है और दूसरी तरफ बेल्जियम कांगो है । तो यहां भी जो नदी नाले हैं उनके अगर एक तरफ इनको कर दिया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । अगर पंखा एक मिनट के लिये खराब हो जाता है तो सदन की कार्यवाही श्रीमन् को रोक देना पड़ती है । तो जब व्यवधानों पर विचार करके खंड बनाये जायेंगे तो उससे काफी सुविधा होगी । इसलिये इस संशोधन को माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—मान्यवर, कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो संशोधन रखा है मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी उसे मान लें । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि चकबन्दी के संबंध में जो कमेटियां बनी हैं उनमें गड़बड़ी हो सकती है किन्तु इसमें नहीं हो सकती, तो ऐसी बात नहीं है । आपको इस संशोधन को मान लेना चाहिये और अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत पड़ सकती है । इधर का आदमी न उधर जा सकता है और न उधर का इधर । इस तरह की दिक्कतें पड़ सकती हैं । इस संशोधन के मान लेने से इसमें सतर्कता रहेगी और जो भी खंड बनेंगे उनको ठीक प्रकार से गठित किया जायेगा और नहीं तो जिस प्रकार का काम कागज में चलता है वैसा ही चला करेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करें ।

कुंवर श्रीपाल सिंह —माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया । मेरा यह संशोधन कोई ऐसा संशोधन नहीं है जिसके कारण माननीय मंत्री जी की किसी विचारधारा में अड़चन पड़ती हो । इससे केवल इतना होगा कि एक प्रतिबंध सा जरूर लग जायेगा । चकबन्दी वाला तो एक उदाहरण ही मैंने दिया था कि सी० ओ० सर्किल जो बनाये गये हैं वे उसी सरकार के अधिकारियों द्वारा बनाये गये हैं और जब वह विभाग गलती कर सकता है तो यह विभाग भी गलती कर सकता है । जब एक व्यक्ति को पैदल चलना पड़ता है तब तो उसे २० मील ही चलना पड़ता है और जब वह किसी सवारी पर जाता है तो ४० मील चलना पड़ता है । तो इस प्रकार के क्षेत्रीय विभाजन से क्या फायदा होगा ? इस प्रकार की गलती फिर हो सकती है । इसलिये मैंने अपना संशोधन रखा था कि इस प्रकार की गलती फिर न हो । उधर की सरकार आगे चल कर न हो और इधर की सरकार हो तो उससे भी यह गलती हो सकती है यह विधेयक केवल थोड़े ही दिनों के लिये तो है नहीं, यह तो हमेशा के लिए बन रहा है इसलिए इसमें एक छोटी सी चीज के रख देने से न तो मंत्री जी की विचार धारा में व्यवधान पड़ेगा न यह उनकी इच्छाओं के विरुद्ध होगा । अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे मानने की कृपा करें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा —श्रीमन्, मुझे दुःख है कि मैं नहीं मान सक रहा हूं । दो आपत्तियां हैं। एक तो यह कि इसको रखने से ऐसा लगेगा कि प्राकृतिक व्यवधान ही सब कुछ है जब कि दूसरे खयालों को रखकर रचना होनी चाहिये । इस तरीके से कोई रचनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती है । प्राकृतिक व्यवधान से क्या मतलब है ? मुझे तो ताज्जुब है कि प्रतापसिंह जी ने यह चीज कही । पहाड़ पर तो १०–१० मील के खंड हैं जहां बहुत सी नदियां और पहाड़ पड़ते हैं तो किस तरह से इससे गाइडेंस मिलेगा ? इसलिये इससे तो एक रांग एम्फेसिस जाहिर होती है दूसरे को मिसलीड करने के लिये यह हो जायगा ।

[श्री त्रिचित्रनारायण शर्मा]

खंडों को बनाने के लिए तो बहुत से और कंसीडरेशंस हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको विदड्रा कर लें, अगर नहीं करते हैं तो सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसे रिजेक्ट कर दे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति ३ में शब्द "क्षेत्रों को" तथा शब्द "खंडों' के बीच में शब्द "प्राकृतिक व्यवधानों का विचार करते हुए' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब श्री गेंदासिंह जी का संशोधन है।

(श्री मदनपांडे के खड़े होने पर) क्या आप उपस्थित करेंगे ?

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मुझे श्री गेंदासिंह जी ने अधिकार दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय —

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त प्रकार खंडों का विभाजन एक समिति की सिफारिश के आधार पर होगा जो विधान सभा की समान सर्वदलीय प्रतिनिधित्व आधार की होगी और वही सिद्धान्त जिला स्तर पर भी लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा निर्दोष संशोधन है और सरकार तथा जिस पार्टी के हाथ में यह शासन इस वक्त है उसे कलंक से मुक्त करने वाला संशोधन है। मैं कुछ ऐसी बातें कहने वाला हूं जो मुमकिन है कि शासक पार्टी के मंत्रियों को कटु भी लगें लेकिन यह कटुसत्य है। अगर इस पर अमल किया जाय तो यह लाभकारी सिद्ध होगा।

अबतक जो खंडों का विभाजन था, जिस प्रकार वेबनाये गये थे उनमें कहीं पर चुनाव की चर्चा नहीं थी। अब जो खंडों का विभाजन होगा वे सारे सूबे के अन्दर उसमें हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। जब चुनाव की चर्चा आती है तो निश्चित है कि दिमाग में यह भाव पैदा होता है और यह सही भी है कि जो पार्टी इन पावर है वह संभवतः यदि उसके हाथ में यह ताकत दें कि वह डिलिमिटेशन आफ कांस्टीट्युएंसीज करे और ऐसे क्षेत्रों में प्रदेश को बांटे जहां से चुनकर लोग आने वाले हों तो निश्चित रूप से लोगों के दिमाग पर यह होगा कि संभव है कि उनके हाथ में जो अधिकार दिये जा रहे हैं उसका दुरुपयोग हो। ऐसी मिसालों की कमी नहीं है जिनमें इस तरह की चीजें की गई हों और ऐसा करते हुये सत्ताधारियों पर तमाम आरोप लगाये जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी बहुत सी मिसालें आपके सम्मुख रख सकता हूं, लेकिन मैं उनको यहां तफ़सील से कह कर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण अब कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३१ अगस्त, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

१,३६२ हरिजन नवयुवकों ने १ जनवरी, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक अपना नाम गोंडा सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत करवाया। इन पंजीकृत व्यक्तियों को किन-किन विभागों में भेजा गया इसकी सूचना १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५९ तक की अवधि की उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभागीय नियमों के अनुसार एक वर्ष के उपरान्त सेवा योजन कार्यालयों में इंडेक्स कार्ड (Index Card) तथा आर्डर कार्ड रद्द कर दिये जाते हैं। १ अगस्त, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक २०७ मिडिल पास, ५१ हाई स्कूल पास तथा ५ इंटरमीडिएट पास व्यक्तियों को निम्नलिखित विभागों को भेजा गया :—

क्रम-संख्या	विभाग का नाम जहां भेजा गया	मिडिल पास	हाई स्कूल पास	इंटर मीडिएट पास	बी० ए० पास
१	२	३	४	५	६
१	सिविल सर्जन, बहराइच	२	..	..	..
२	ऐन्टी मलेरिया आफिसर, उत्तर गोंडा ..	२	..	..	..
३	जिला संख्या अधिकारी, गोंडा	१	..	..	..
४	ऐन्टी मलेरिया आफिसर दक्षिण गोंडा	१	..	..	..
५	डाइरेक्टर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश, लखनऊ. .	..	६	..	..
६	ज्येष्ठ आडिटर, कोआपरेटिव, बहराइच ..	१३	..	..	..
७	पूर्वोत्तर रेलवे, गोंडा ..	५६	११	..	..
८	बी० डी०ओ० बलरामपुर, गोंडा	९	..	..	..
९	फाइलेरिया कन्ट्रोल आफिसर, गोंडा	२६	..	..	..
१०	चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर, अन्तरिम जिला परिषद्, गोंडा	१	..	..	..
११	डिस्ट्रिक्ट जज, गोंडा ..	२	..	..	..
१२	प्लान्ट ब्रीडर, एग्रीकल्चर फ्लड रिसर्च स्टेशन, घाघरा घाट, बहराइच ..	३	..	..	..
१३	सिक्योरिटी आफिसर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोंडा ..	१७	..	..	..
१४	डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, गोंडा ..	११	..	..	..
१५	प्रिंसिपल, आई० टी० आई० गोंडा ..	३	..	..	..

क्रम सं०	विभाग का नाम जहां भेजा गया	मिडिल पास	हाई स्कूल पास	इंटरमीडिएट पास	बी० ए० पास
१	२	३	४	५	६
१६	सेटिलमेंट आफिसर, बाराबंकी ..		२	..	..
१७	डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, बहराइच ..	६	..	..	..
१८	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिंचाई विभाग, गोंडा ..	८	..	..	..
१९	जिलाधीश, बहराइच. .	४६	२१	२	..
२०	सहायक इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, बाराबंकी ..	..	११	३	..
	टोटल ..	२०७	५१	५	..
	कुल ..	२६३	..	..	..

९९ अनपढ़ लोगों को तथा ६३ नवयुवकों (पढ़े लिखे) को रोजी दिलायी गई।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१४३ एल० ए०—१९६०—८४५ ।